Page No 1

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10 ] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का आठवां दिवस [ संख्या 6



सोमवार,

दिनांक 22 मार्च, 1971

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.01 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

------

तारांकित प्रश्नोत्तर

[चिकित्सा, सिंचाई, शिक्षा, विद्युत, राजस्थान नहर परियोजना अकाल सहायता, यातायात, पंचायत विभाग ]

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न ।

श्री दिग्विजयसिंह ।

**उनियारा अस्पताल में सुविधाएं**

47. **श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा)**: क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कस्बा उनियारा में एक अस्पताल है ? यदि हां, तो उसमें कुल कितना स्टाफ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कस्बे की जनसंख्या व आसपास के कई ग्राम भी अस्पताल से लाभ उठाते हैं उसको देखते हुए वहां सुविधा बहुत ही कम है ?

(3) क्या यह सही है कि भूतपूर्व ठिकाना उनियारा के समय इस अस्पताल में दो कम्पाउन्डर थे और अब राजस्थान सरकार ने वहां सिर्फ एक ही रखा है ? यदि हां तो यह कमी क्यों की गई ?

(4) क्या यह सही है कि इस अस्पताल को पूरी दवाइयां नहीं दी जाती है जिससे वहां पर जनता को दवाइयों की असुविधा होती है ?

(5) क्या यह सही है कि वहां पर एक ठिकाने के जमाने का भवन बना हुआ है उसी में यह अस्पताल है और उसकी आज दिन तक कोई मरम्मत नहीं की गई है ?

(6) क्या विभाग द्वारा उस अस्पताल में कोई नया कार्य करवाया गया है ? यदि हां, तो कहां और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(7) क्या यह सही है कि मौजूदा अस्पताल की हालत बहुत ही खराब हो रही है और विभाग द्वारा उसकी मरम्मत हेतु कुछ नहीं किया जा रहा है ?

(8) क्या सरकार उस भवन की मरम्मत कराने का विचार रखते हुए कार्य शुरू करा देगी ?

# Page No 2



**राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा)** : (1) जी हां। इस अस्पताल में निम्नलिखित स्टाफ स्वीकृत एवं कार्यरत है:—

| पद | स्वीकृत | कार्यरत |
|---|---|---|
| डॉक्टर | 1 | 1 |
| कम्पाउन्डर III श्रेणी | 1 | 1 |
| दाई | 1 | 1 |
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 3 | 3 |

(2) सन् 1970 में उनियारा अस्पताल के रोगियों का दैनिक औसत आउटडोर 54 एवं इनडोर 1 है अतः यहां की सुविधा पर्याप्त है।

(3) भूतपूर्व ठिकाना उनियारा का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। उनियारा का राजस्थान में विलय होने से अब तक एक ही कम्पाउन्डर कार्यरत है। कोई कमी नहीं की गई है।

(4) रेशनेलाइजेशन पैटर्न के अनुसार रोगियों के दैनिक औसत 100 रोगियों से कम होने पर दवाइयों का वार्षिक बजट 3,500 रुपये का स्वीकृत होता है जब कि उक्त अस्पताल की दवाइयों का वार्षिक बजट 7,000 रुपये स्वीकृत है।

(5) जी हां। किन्तु भवन की मरम्मत समय समय पर होती रहती है।

(6) जी हां। बिजली फिटिंग करवाये जाने के लिए 3,195 रुपये राशि व्यय की गई।

(7) जी नहीं, विभाग द्वारा सन् 1970 में 400 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(8) जी हां, अस्पताल की चार दीवारी एवं क्वार्टर्स की मरम्मत के लिए एस्टीमेट बनवाया जा रहा है।

**श्री दिग्विजयसिंह** : आपने कहा कि मरम्मत होती रहती है समय समय पर तो आप बताने का कष्ट करेंगे कि आज दिन तक कुल कितना खर्चा इसकी मरम्मत पर किया जा चुका है?

**श्रीमती सुमित्रा** : मरम्मत पर नहीं किया गया। बिजली की फिटिंग के लिए मैंने निवेदन किया था।

**श्री अध्यक्ष** : आवश्यकता होती है तो।

**श्री दिग्विजयसिंह** : मैं पूछना चाहता हूं कि आज दिन तक विभाग ने कितना खर्चा किया?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा (चिकित्सा मंत्री)** : यह फिगर्स अवेलेबल नहीं हैं।

**श्री दिग्विजयसिंह** : कब आवश्यकता महसूस की गई और कब मरम्मत कराई गई? आप ने स्पेसिफिक कहा है कि जब आवश्यकता हुई तो मरम्मत करवाई गई। इसका मतलब मंत्री महोदय की नालेज में है।

**श्री अध्यक्ष** : आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

**श्री दिग्विजयसिंह** : क्या यह सही है कि अभी हाल में ही डाइरेक्टर महोदय स्वयं पधारे थे और उन्होंने इस बिल्डिंग का निरीक्षण किया और क्या यह महसूस किया कि इसकी मरम्मत होना आवश्यक है?

Page No 3



**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : यह तो परसों की ही बात है ।

**श्री अध्यक्ष** : नई बात ।

**श्री दौलतराम सारण** : (डूंगरगढ़): क्या यह सही है कि इस अस्पताल की अब तक मरम्मत कराई नहीं गई ?

**श्रीमती सुमित्रा** : एक बार कराई गई है सन् 67 के अन्दर ।

**श्री दिग्विजयसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेन्टीनेन्स के रूप में 400 रुपये व्हाइट-वाश के लिए खर्च किये गये थे और जो भी पूरी बिल्डिंग की व्हाइटवाश नहीं हो सकी ।

**श्रीमती सुमित्रा** : 67 में मरम्मत कराई गई ।

**श्री दिग्विजयसिंह** : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि चार दीवारी और क्वार्टर्स सब टूटे पड़े हैं तो मरम्मत किस बात की कराई गई ?

**श्री अध्यक्ष** : दीवार में गड्ढे होंगे ।

**श्री दिग्विजयसिंह** : अध्यक्ष महोदय, व्हाइटवाश ही पूरा नहीं हुआ और सन् 54 के रिजम्पशन के बाद में बिल्डिंग की रिपेयर के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है ।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : रिपेयर्स की फिगर्स तो पी० डब्ल्यू० डी० से प्राप्त की जा सकती है ।

**श्री दिग्विजयसिंह** : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय को आपके द्वारा कि मैं स्वयं भी सी० एम० ओ० से कई बार मिल चुका हूं और पी० डब्ल्यू० डी० वालों से भी निवेदन किया । पी० डब्ल्यू० डी० वाले कहते हैं कि हमें जब तक विभाग नहीं कहे तब तक हम कैसे एस्टीमेट्स बना सकते हैं तो जब तक आपके यहां से नहीं लिखा जाये तब तक वह कैसे करेंगे ?

**श्रीमती सुमित्रा** : आपके प्रश्न 8 के उत्तर में बताया गया है कि एस्टीमेट्स बनाये जा रहे हैं क्वार्टर्स और चार दीवारी के वह आयेंगे ।

**श्री दिग्विजयसिंह** : यह एस्टीमेट्स कब बन जायेंगे ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : इस वर्ष से यह व्यवस्था की है कि यह शिकायत आने पर कि किस स्थान पर क्या आवश्यकता है मेडिकल डिपार्टमेन्ट के पास एक इन्जीनियर नियुक्त किया है और उसको स्टाफ भी दिया है । इसलिए जहां जहां मरम्मत तलब इमारतें हैं उनकी एक दफा जांच करके उनके एस्टीमेट्स तैयार करके उनको जल्दी ही मरम्मत के लिए काम शुरू कराया जाये ।

**श्री दिग्विजय सिंह** : कम से कम यह तो आश्वासन दे दें कि एस्टीमेट्स आने पर आप इस भवन की मरम्मत करवा देंगे ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : इस वर्ष से मरम्मत के लिए काफी प्रावधान रखने का विचार है जैसा भी बजट आप पास करेंगे उसके मुताबिक काम होगा ।

**श्री दिग्विजयसिंह** : जब आपने एस्टीमेट्स मंगा ही लिये हैं तो कम से कम आश्वासन तो दे दें कि वह आने पर आप इस भवन की मरम्मत करा देंगे ? जब आप प्रावधान रख ही रहे हैं तो फिर कहने में क्या है ?

**श्री बृजसुंदर शर्मा** : मैंने जैसा निवेदन किया कि रिपेयर्स की मद काफी रखी है और उसमें जिस तरह से प्रायोरिटी फिक्स करेंगे जहां जहां की वहां काम जरूर होगा और उसी के अनुसार उनकी मरम्मत का काम हाथ में लेंगे ।

**श्री दिग्विजयसिंह** : इसको आप करायेंगे या नहीं यह बता दें ?

**श्री अध्यक्ष** : उस सन्दर्भ में वह आवश्यक है या नहीं देख लें ।

**श्री दिग्विजयसिंह** : आज दिन तक मरम्मत नहीं हुई और आप स्वयं कहते हैं कि भवन की हालत खराब है तो फिर कहने में क्या है कि एस्टीमेट्स आने पर मरम्मत करा देंगे ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : मैं इस समय आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं कि इसमें कितना रुपया दिया जायेगा और इससे कितनी मरम्मत जरूरी होगी ।

**श्री दिग्विजयसिंह** : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि कितना रुपया देंगे । मैं तो इतना ही जानना चाहता हूं कि आप इसको प्रायोरिटी में लेंगे या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष** : इसका उत्तर दे दिया कि जितना आवश्यक होगा ले लेंगे ।

**श्री दिग्विजयसिंह** : फिर दूसरे आ जायेंगे और वह आवश्यक हो जायेंगे ।

**श्री अध्यक्ष** : इन्होंने कहा कि स्थिति में नहीं हैं ।

**श्री दौलतराम सारण** : क्या इसका राज्य सरकार आश्वासन देने के लिए तैयार है कि इस बिल्डिंग के गिरने के पहले ही मरम्मत करा दी जायेगी ?

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट ?

**श्री दौलतराम सारण** : मेरे प्रश्न का जवाब दिलवा दें ।

**श्री अध्यक्ष** : वह तो सेल्फ कन्टेंट है रिप्लाई ।

**तहसील पाटन के कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था**

48. **श्री केसरीसिंह हाडा** (हिन्डोली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील पाटन में मेज नदी और अड़ावला पहाड़ के बीच की भूमि चम्बल कमाण्ड क्षेत्र घोषित होते हुए भी वहां नहर का पानी नहीं मिल सका है ?

(2) क्या यह सत्य है कि चम्बल नदी के किनारे के गांवों की भूमि भी चम्बल कमाण्ड क्षेत्र घोषित है ?

(3) तहसील पाटन में कुल कितनी भूमि ऐसी है जो कमाण्ड क्षेत्र होते हुए भी उसमें पानी नहीं पहुंच पाया है ?

(4) क्या यह सत्य है कि सरकार की इस गलत नीति के कारण काश्तकारों को

(श्री केशरीसिंह हाडा)

जो लाभ अनकमाण्ड में होने पर मिल सकता था वे उससे महरूम रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे कौन कौन से लाभ हैं ?

**उप-मंत्री, सिंचाई** (श्री जसराज) :

(1) यह क्षेत्र चम्बल कमाण्ड में नहीं आता है । अतः पानी पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(2) जी हां ।

(3) तहसील केशोरायपाटन की लगभग 11,000 एकड़ भूमि (जी०सी०ए०) में पानी नहीं पहुंच पाया है ।

(4) जहां तक सिंचाई विभाग से संबंध है काश्तकार इससे किसी प्रकार के लाभ से महरूम नहीं होते हैं ।

**श्री केशरीसिंह हाडा** : क्या यह सत्य नहीं है कि जिन स्थानों पर नहर का पानी नहीं पहुंच सका है और वह कमाण्ड एरिया घोषित है वहां अगर किसी ने जमीन ट्रेस पास कर ली है तो उनको बहुत जुर्माना देना पड़ता है और जमीन भी उनके खाते में नहीं होती है, क्या उनको यह नुकसान नहीं होता है ?

**श्री जसराज** : यह नुकसान है । इसलिए हमने इसके डीकमाण्ड करने के लिए सिफारिश की है । इसमें 68 में भी कुछ कार्यवाही की गई थी । उसके बाद में सिंचाई मंत्री और कोलोनाइजेशन मंत्री के बीच इसके ऊपर विचार विमर्श भी हुआ है और उसके बाद लेटेस्ट 21-1-71 को सचिव, कोलोनाइजेशन को विलेजेज के बारे में सारी रिपोर्ट भेज दी गई है डीकमाण्ड करने के लिए ।

**श्री केशरीसिंह हाडा** : जिस जमीन पर गुजरे 16 साल में पानी नहीं पहुंचा सकी है, क्या सरकार उस जमीन को कमाण्ड एरिया से निकालने का विचार रखती है ? ऐसी जमीन को कमाण्ड एरिया से बाहर निकालना चाहिए ।

**श्री जसराज** : यह जमीन वह है जो रेविन्स की है और बहुत ऊबड़ खाबड़ है । वहां पर लिफ्ट से पानी देने का सोचा गया था लेकिन वह भी सम्भव नहीं हो पाया । इसलिये डीकमांड करना ही बैटर रहेगा । परिस्थितियां ऐसी रहीं......

**श्री केशरीसिंह हाडा** : यह कब तक हो जायेगा ?

**श्री जसराज** : शीघ्रातिशीघ्र ।

**श्री केशरीसिंह हाडा** : कोई अवधि तो बताएं ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

**श्री केशरीसिंह हाडा** : अध्यक्ष महोदय, सरकार कहती तो है, आश्वासन भी दे देती है, पर काम नहीं होता है ।

**सिंचाई मंत्री** (श्री राम प्रसाद लड्ढा) : डीकमाण्ड करने का नोटीफिकेशन जारी हो गया है । अब यह जमीन कमाण्ड में नहीं है ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह बात उप-मंत्री को तो बता दिया करो ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री मनोहरसिंह मेहता ।

# Page No 6



**कस्बा बरूंदनी में सेकेन्डरी स्कूल**

49. श्री **मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा बरूंदनी के मिडिल स्कूल में लड़कों की तादाद काफी है ?

(2) क्या यह सही है कि इस कस्बे की नदियों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि लड़कों का बाहर पढ़ने जाना बहुत कठिन है ?

(3) क्या सरकार की जानकारी में है कि लड़कों की संख्या, भौगोलिक स्थिति आदि को देखते हुए वहां सेकेन्डरी स्कूल स्थापित करना अत्यन्त जरूरी है ?

(4) क्या यह सही है कि इन सब परिस्थितियों को देखकर शिक्षा मंत्री ने अपने दौरे में कस्बे वालों के सामने दो वर्ष पूर्व यह वायदा किया था कि जब इस जिले में किसी भी स्थान पर सेकेन्डरी स्कूल खुलेंगे तो उनमें पहला स्थान बरूंदनी होगा ? यदि हां, तो बरूंदनी में सेकेन्डरी स्कूल न खुलने के क्या कारण हैं ?

(5) इन दो वर्षों में भीलवाड़ा में जहां जहां भी सेकेन्डरी स्कूल खुले हैं उनमें क्या छात्रों की उस समय संख्या बरूंदनी स्कूल से अधिक थी ? कृपया उन उन स्कूलों की छात्र संख्या और बरूंदनी स्कूल की छात्र संख्या की फेहरिस्त सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर)** : (1) वर्तमान में उच्च प्राथमिक विद्यालय, बरूंदनी की छात्र संख्या 198 है।

(2) यह सही है, किन्तु इस जिले के कुछ अन्य विद्यालयों के छात्रों के साथ भी ऐसी कठिन परिस्थिति है।

(3) भविष्य में शिक्षा सुविधाओं के उचित प्रसार के समय इस प्रश्न पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

(4) ऊपर भाग (3) में स्पष्ट किया जा चुका है।

(5) गत दो सत्रों (सत्र 1969-70 एवं 1970-71) में इस जिले के किसी उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब आप बरूंदनी पधारे थे तब यह आश्वासन दिया था कि आगे जब भी कोई सेकेंडरी स्कूल खोला जायेगा तो बरूंदनी को प्राथमिकता दी जायेगी ? तो क्या आप अभी भी इस पर कायम हैं ?

**श्री शिवचरण माथुर** : प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जायेगा।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : आप फर्मा दें कि प्राथमिकता है या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष** : नैक्सट।

**प्रश्न संख्या 50**

श्री रावतराम।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य।

**बड़ बिराना में माध्यमिक शाला**

51. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, नोहर क्षेत्र के गांव बड़बिराना की जनता द्वारा गत वर्ष 1969 में 5,000 रुपये माध्यमिक शाला खोलने के लिये पंचायत समिति कोष में राज्य सरकार के आदेश से जमा करवाये थे ? यदि हां, तो उस गांव में माध्यमिक शाला क्यों नहीं खोली गई ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति की निजी आय से माध्यमिक शाला खोलने का गत वर्ष आदेश हुआ था ? यदि हां, तो उस आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त गांव बड़बिराना में इस वर्ष भी माध्यमिक शाला नहीं खोली गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

**शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर)** : (1) यह सही नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता ।

(2) जी हां, प्रति संलग्न है ।

(3) यह सही है। इस वर्ष उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कोई शाला क्रमोन्नत नहीं की गई है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

**श्री रामचन्द्र आर्य** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या (1) के उत्तर में कहा है कि यह सही नहीं है और प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आज भी गांव के पांच हजार रुपये पंचायत समिति के कोष में जमा हैं, क्या यह सही नहीं है ?

**श्री शिवचरण माथुर** : आपका प्रश्न यह था कि क्या यह सही है कि ये पांच हजार रुपये राज्य सरकार के आदेश से जमा करवाये थे ? मैंने उत्तर दिया जी नहीं। राज्य सरकार का कोई आदेश नहीं था ।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : अध्यक्ष महोदय, ऐसा आदेश है पंचायत समितियों में कि जो गांव पांच हजार रुपये जमा करवाये या पंचायत समिति अपनी निजी आय से खोलना चाहे तो उसके लिये कर सकते हैं। इसी अधार पर पांच हजार रुपये जमा करवाये गये । तो क्या पंचायत समिति के कोष में पांच हजार जमा नहीं हैं ?

**श्री शिवचरण माथुर** : आदेश यह था कि जिस पंचायत समिति के स्वयं के पास पैसा हो उसको प्राथमिकता दी जायेगी। उसके लिये कलेक्टर से सर्टीफिकेट भेजना पड़ता है पंचायत समिति को कि उनके पास स्कूल चलाने के लिये तब तक पैसा है जब तक कि सरकार उस स्कूल को न लेले। जब पंचायत समिति ही डेफ़िसिट में चलती है, तो निजी आय का प्रश्न ही नहीं उठता ।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : क्या यह सही है कि दूसरे स्थानों पर मिडिल स्कूल खोले गये हैं, तो इस गांव को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई ?

**श्री शिवचरण माथुर** : मैंने निवेदन किया कि इसके लिये सर्टीफिकेट होता है कि पंचायत समिति स्कूल खोलने

# Page No 8



(श्री शिवचरण माथुर)

के लायक है या नहीं। ऐसी जगह ही खोला जाता है।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : जो रुपये जमा हैं उसको आप नहीं मानते ? इसकी जानकारी ली है आपने ?

**श्री शिवचरण माथुर** : आपका प्रश्न था कि राज्य सरकार के आदेश से 5,000 रुपये जमा करवाये हैं क्या। वह बात सही नहीं है।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : आपने कहा है प्रश्न ही नहीं उठता। तो पैसा जमा नहीं हुआ ? यदि हुआ, तो किस के आदेश से ?

**श्री शिवचरण माथुर** : पंचायत समिति ने अपने आप जमा करवाये हैं। राज्य सरकार के आदेश नहीं हैं।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : क्या प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने के लिये प्राथमिकता दी जायेगी ?

**श्री शिवचरण माथुर** : मेरिट्स के आधार पर जरूर दी जायगी।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : अध्यक्ष महोदय, मेरिट्स के लिहाज से प्राथमिकता दी जायगी, तो क्या दो साल से जो रुपया जमा पड़ा है यह क्या मेरिट का आधार नहीं है ?

**श्री शिवचरण माथुर** : कौन से स्कूल को कहां अपग्रेड किया जायेगा, यह जब बजट पेश होगा तब विचार किया जायेगा।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : प्राथमिकता के क्या आधार हैं ? किस आधार पर प्राथमिकता दी जाती है ?

**श्री शिवचरण माथुर** : प्राथमिकता के आधार हैं छात्रों की संख्या, वहां पर स्कूल के लिये भवन की उपलब्धि आदि आदि।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : जहां पर स्कूल का खर्चा पंचायत समिति उठाती है वहां पर टेक ओवर करने के लिये सरकार कोई विचार रखती है ?

**श्री शिवचरण माथुर** : जी हां। जहां पंचायत समिति ने अपने खर्चे पर स्कूल चला रखा है, उसको टेक ओवर करने के लिये सरकार विचार कर रही है।

**श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ऐसे भी निर्णय लिये हैं कि यदि कोई ग्राम या पंचायत समिति एक साल का खर्चा स्कूल का वहन करले तो वहां पर मिडिल स्कूल में परिवर्तित किया जाता है।

**श्री शिवचरण माथुर** : जी नहीं, एसा कोई निर्णय नहीं है।

**श्री दिग्विजयसिंह** : आपने स्वयं ने खोले हैं इस तरह से।

**श्री शिवचरण माथुर** : आधार यह था कि जब तक कि सरकार टेक ओवर न कर ले तब तक पंचायत समिति स्वयं चलाने के लिये सक्षम है और जिम्मेदारी लेती है। पंचायत समिति में स्वयं में क्षमता होनी चाहिये।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : यह जो स्कूल आपने खोले हैं, वे क्या इसी आधार पर खोले हैं ?

**श्री अध्यक्ष** । नेक्स्ट । श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : यह जो आपने लिस्ट दी है कि कहां कहां खोले गये हैं, तो वे सब क्या पंचायत समिति के खर्चे पर खोले गये हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर आना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न किया था उसका उत्तर नहीं आया ।

**श्री शिवचरण माथुर** : खर्चे पर खोले गये हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

**राजस्थान नहर की योजना**

52. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान नहर की योजना भूतपूर्व चीफ इन्जीनियर श्री कंवरसेन ने बनाई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के आधार पर राजस्थान नहर का पानी बाड़मेर जिले में होकर कच्छ की खाड़ी तक पहुंचता था ?

(3) राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना को कार्यान्वित न करने के क्या कारण रहे हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार अपने निर्णय पर दुबारा गौर कर, परिवर्तन कर श्री कंवरसेन की योजना अपनाकर बाड़मेर जिले की प्रगति कराने का विचार करेगी?

**उप-मन्त्री, राजस्थान परियोजना** (श्री जसराज) : (1) राजस्थान नहर की योजना केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग (सी० डब्ल्यू० पी० सी०) द्वारा तैयार की गई थी ।

(2) जी नहीं ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान नहर की जिस समय योजना बनाई गई थी, उस समय आयोग के चेयरमैन, श्री कंवर सेन, चीफ इंजीनियर थे ? उन्होंने ही यह योजना बनाई थी ?

**श्री जसराज** : जी नहीं, इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशन डिवीजन ने तैयार की थी । कंवर सेनजी से गाइडेन्स लेते थे ।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : वह जो योजना बनाई गई थी, उस योजना के अनुसार नेवीगेशन की स्कीम भी थी और बाड़मेर से लेकर कच्छ की खाड़ी तक इस नहर को ले जाने का प्रस्ताव था ?

**श्री जसराज** : उस योजना में ऐसा कुछ नहीं था । बाद में एक कमेटी बनाई गई थी, उसने सुझाव दिया था कि नेवीगेशन परपजेज के लिये अगर जैसलमेर से लूनी नदी तक लाकर लूनी नदी में मिलाया जाये

(श्री जसराज)

और फिर लूनी नदी को कच्छ की खाड़ी से मिला दिया जाय तो नेवीगेशन के लिये भी काम में आ सकती है।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : उस सुझाव को राज्य सरकार क्यों नहीं मानती ?

**श्री जसराज** : इसके लिये राज्य सरकार ने भारत सरकार के ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट को लिखा कि वे इस स्कीम का खर्चा वहन करने के लिये तैयार हैं क्या, परन्तु आज तक उसका जवाब नहीं आया। इस पर खर्चा भी बहुत अधिक होता। पहले तो 70 करोड़ रुपये का एक खर्चा होता और फिर 140 करोड़ रुपये लूनी नदी को कच्छ की खाड़ी से मिलाने पर होता। इसके साथ साथ एक हजार क्यूसेक्स का जो डिस्चार्ज होता वह नेवीगेशन परचजेज के लिये अथवा मिलिटरी परचजेज के लिये उपर्युक्त नहीं होता क्योंकि उस मात्रा म स्लोप नहीं है, जैसी कि स्कैन्डीनेवियन कन्ट्रीज में होता है। इसलिये नेवीगेशन के लिये जो विचार था वह ड्राप किया गया।

**प्रश्न संख्या 53**

**श्री अध्यक्ष** : श्री फतेहसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हंसराज आर्य।

**राजस्थान कैनाल से सिंचाई**

54. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान कैनाल पर इस वर्ष कुल कितने एकड़ भूमि की दोनों फसलों में सिंचाई हुई है ?

(2) कितने मील लम्बी नहर बनकर तैयार हो चुकी है ?

(3) इस पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ?

(4) प्रति डिग्गी लागत अनुमानत: क्या है ?

(5) राजस्थान कैनाल क्षेत्र में कहां कहां पर मंडियों का प्रावधान रखा गया है ?

(6) राजस्थान कैनाल में प्रति 1 हजार एकड़ भूमि को कमांड करने के लिये कितने क्युसेक्स पानी का लक्ष्य रखा गया है तथा गंग कैनाल और भाखरा में कितना कितना है ?

**उपमंत्री, सिंचाई** (श्री जसराज) : (1) माह जनवरी, 1971 तक कुल सिंचाई 3,52,000 एकड़ हुई है। जिसमें खरीफ में 1,60,000 एकड़ तथा रबी में 1,92,000 एकड़ (जनवरी, 1971) तक सिंचाई हुई है।

(2) राजस्थान नहर हरिके हैडवर्क्स से करीब 214 मील तक बन चुकी है।

(3) माह जनवरी, 1971 तक रु० 69,20,00,000 खर्च हो चुके हैं।

(4) प्रति डिग्गी लागत अनुमानत: रुपये 30,000 हैं।

**(श्री जसराज)**

(5) राजस्थान नहर क्षेत्र में निम्न मंडियों की स्थापना का प्रावधान है:—

'ए' श्रेणी (1) सूरतगढ़
'बी' श्रेणी (1) रावतसर,
(2) अनूपगढ़, (3) जैतसर,
(4) विजयनगर, (5) छत्तरगढ़,
(6) पूगल, ।

'सी' श्रेणी (1) बड़ोपल,
(2) इसाना, (3) गोविंदसर,
(4) ढाबर, (5) घनतारा,
(6) बीरमाना, (7) रमजान वाला,
(8) रामसिंहपुर, (9) अनूपगढ़,
(10) रायसिंह नगर के क्रॉसिंग पर ।

(6) राजस्थान कैनाल में प्रति एक हजार एकड़ भूमि को कमांड करने के लिए 5-25 क्यूसेक्स पानी का प्रावधान रखा गया है .....

**श्री हंसराज आर्य** : 5 है या 3 ?

**श्री जसराज** : 5·25 ।

गंग कैनाल और भाखरा के लिए पानी का प्रावधान निम्न प्रकार से है:—

| | |
|---|---|
| गंग कैनाल पेरिनियल | 2-56 क्यूसेक्स प्रति हजार एकड़ |
| गंग कैनाल नान-पेरिनियल<br>समेजा ब्रांच नौन-पेरिनियल | 3-84 ,, ,, |
| गंग कनाल लालगढ़ ब्रांच | 5-12 ,, (आउटलेट पर) |
| भाखड़ा पेरिनियल | 2-40 ,, ,, ,, |

**श्री हंसराज आर्य** : क्या यह सही है कि गंग कैनाल और भाखड़ा में राजस्थान कैनाल के मुकाबले में प्रति एक हजार एकड़ पानी की मात्रा कम रखी गई है ?

**श्री जसराज** : जी हां । उसका कारण यह है कि इन्टेन्सिटी ऑफ वाटर जो कुछ है वह वेरियेबल है । इसमें राजस्थान कैनाल का पहले 90 पर्सेंट ऑफ इन्टेन्सिटी का विचार था परन्तु बाद में बढ़ाकर 110 क्यूसेक्स कर दिया गया इसलिए वहां 5-25 प्रति क्यूसेक्स की पानी की मात्रा दी गई है, और इसके अलावा दूसरी जगह गंग कैनाल और भाखरा में जो है डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है । इस प्रकार से इन्टेन्सिटी वहां पर 80 पर्सेंट से 60 पर्सेंट की रखी गई है। इसलिए पानी की मात्रा कम रह गई है।

**श्री हंसराज आर्य** : जब मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है तो इन तीनों कैनालों में पानी समान रूप से कब तक कर दिया जायगा ?

**सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा)** : मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है और अभी निर्णय नहीं लिया गया है । ज्योंही निर्णय लिया जायगा तो उन निर्णयों के मुताबिक जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी की जायगी ।

**श्री हंसराज आर्य** : हाई पावर्ड कमेटी ने जांच करके रिपोर्ट दे दी है लेकिन अभी तक वह रिपोर्ट आउट नहीं हुई तो क्या रिपोर्ट इतनी रहस्यमय है ?

**श्री अध्यक्ष** : रिपोर्ट के सम्बन्ध में आदेश...

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : रिपोर्ट रहस्यमय नहीं है । भाखरा कैनाल सिस्टम,

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

राजस्थान कैनाल सिस्टम और गंग कैनाल सिस्टम, इन तीनों सिस्टम्स में कैसे एकरूपता लाई जाय, चाहे इन्टेन्सिटी ऑफ वाटर हो, चाहे एरियाज के ट्रान्सफर्स का सवाल हो, ये सारे मसले हैं कि उन पर गम्भीरता-पूर्वक विचार किये बिना कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनका दूसरी स्टेट्स का उन सुझावों के सम्बन्ध में ताल्लुक पड़ेगा। इसलिए यह मामला एग्जामिनेशन में है और थोड़े ही दिनों में केबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जायगा और वहां से आवश्यक निर्णय होने के बाद सदन की मेज पर रखी जायगी और माननीय सदस्यों को भी इसकी सूचना दे दी जायगी।

**श्री हंसराज आर्य** : क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल में पीने के पानी के लिए जितनी भी डिग्गियां बनाई गई है उनमें एक भी डिग्गी में पानी नहीं ठहरता है? यदि यह सही है तो क्या इसकी जांच करायेंगे?

**श्री जसराज** : 17 डिग्गियों में केवल 2-3 डिग्गियों के बारे में ही शिकायत आई थी। उसके लिए एक कमेटी का निर्माण कर दिया गया है। उसको साल भर हो गया है लेकिन अभी वह कमेटी रिपोर्ट पेश नहीं कर पा रही है।

**श्री हंसराज आर्य** : इनमें एक बून्द पानी नहीं ठहरता है उसकी जांच कराई जाय कि किस ठेकेदार के मारफत ये डिग्गियां बनाई गई हैं। लाखों का ठेका दिया गया है और पानी उनमें एक बून्द नहीं ठहरता है। बरसात का पानी तालाब में ठहर जाता है और डिग्गियों में वह नहीं ठहरता है?

**श्री जसराज** : मैंने कहा कि कमेटी नियुक्त कर दी गई है। उसकी रिपोर्ट आने पर जांच की कार्यवाही की जायेगी।

**श्री हंसराज आर्य** : मंडियों में से कौनसी मंडी का निर्माण कितना हुआ है?

**श्री जसराज** : जहां तक मंडियों का सवाल है रावतसर, सूरतगढ़, अनूपगढ में भूमि की कार्यवाही की जा रही है और विकास का कार्य कराया जा रहा है।

**श्री हंसराज आर्य** : क्या किसी मंडी में प्लाट एलॉट कर दिये गये हैं?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री फूलचन्द बाफना।

**श्री हंसराज आर्य** : क्या किसी मंडी में भू-खंड एलॉट कर दिये गये हैं?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री बाफना।

**पाली जिले में अकाल राहत कार्यों पर व्यय**

55. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1965 से इस समय तक पाली जिले में अकाल राहत कार्यों पर किस किस वित्तीय वर्ष में कितने कितने रुपये खर्च हुए?

(2) सन् 1965 से आज तक किस किस वर्ष में पाली जिला पूरा या अधूरा अभावग्रस्त घोषित किया गया?

(श्री फूलचन्द बाफना)

(3) उपर्युक्त भाग नं० 2 के अनुसार अभावग्रस्त घोषित पाली जिले में कौन कौन से गांव में पीने के पानी की कमी हुई और पीने के पानी की हुई कमी को किस किस गांव में कैसे कैसे हल किया गया ?

(4) क्या पीने के पानी की कमी के संकट निवारण की अस्थायी अथवा स्थायी योजना किसी गांव की बनाई गई ? यदि हां, तो किस किस गांव की स्थायी या अस्थायी योजना क्या क्या बनाई गई और उसे कैसे कैसे कार्यान्वित किया गया ?

**उप-मंत्री, अकाल राहत** (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) सन् 65 से इस समय तक पाली जिले में अकाल राहत कार्यों पर वित्त वर्षवार इस प्रकार व्यय हुआ :-

| | |
|---|---|
| 1965-66 | 99,000 |
| 1966-67 | 11,50,000 |
| 1967-68 | 13,44,000 |
| 1968-69 | 42,29,000 |
| 1969-70 | 2,27,24,000 |
| 1970-71 | 2,92,07,000 (जनवरी, 71 तक) |

(2) सन् 65 से आज तक पाली जिला पूरा या अधूरा इस प्रकार अभावग्रस्त घोषित किया गया—

1965-66 अधूरा

1966-67 अधूरा

1967-68 जिले में कहीं भी अभाव-स्थिति नहीं थी।

1968-69 समस्त जिला अभावग्रस्त था।

1969-70 अधूरा जिला अभावग्रस्त था।

(3) इस जिले में पीने के पानी की कमी जहां हुई और वहां पीने के पानी की कमी को पूरा किया गया। इसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) पीने के पानी की कमी के संकट निवारण की स्थायी योजना कुछ स्थानों पर टांका निर्माण करवाकर, कुछ स्थानों पर नलकूप लगवाकर व कुछ स्थानों पर पेयजल योजना को करवाकर किया गया। इसका विवरण सूची में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**श्री फूलचन्द बाफना** : इसमें पानी की जो कमी है उसका तो इन्तजाम किया है, परन्तु पाली तहसील में तो 98 योजनाएं, रायपुर में दो हैं, बाली में 6 हैं और देसूरी तहसील में दो हैं। यह आपने गलती से लिख दिया है देसूरी में वैसे नाम जैतारण है तो जैतारण तहसील में दो हैं। इतना फर्क कैसे है ? एक जगह 98 और एक जगह 2, 6 या 4।

**अकाल राहत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा)** : 98 योजनाएं नहीं हैं। वह टैंकर्स की सूची दी गई है।

**श्री फूलचन्द बाफना** : वह योजना के अन्तर्गत है वह कैसे किया गया है वह अलग बात है।

**श्री परसराम मदेरणा** : पानी की किल्लत है तो पानी का परिवहन किया जाय। परिवहन या ट्रान्सपोर्ट के जरिये पानी दिया जाय। यह योजना नहीं है। एक अस्थायी पानी की पूर्ति के लिए वह किया गया था।

# Page No 14



**श्री फूलचन्द बाफना** : आपके पास और भी कई जगहों से क्या प्रार्थना-पत्र नहीं आये कि पानी की कमी है। और तहसीलों में कोई है ही नहीं।

**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि पाली तहसील और लाडा पंचायत समिति के बहुत से ऐसे गांवों में जहां पानी के सोर्सेज नहीं हैं और कड़वा पानी है तो वहां पर हेमावास और दूसरा जो जवाई की नहर है पीने के पानी की उसमें से अस्थायी तौर पर गर्मियों भर पानी देते हैं। पिछले वर्ष जैसा कि माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं जोधपुर में पानी की किल्लत हो गई थी इसलिए इन गावों का पानी था वह जोधपुर के लिए कर दिया गया था...

**श्री फूलचन्द बाफना** : मेरा प्रश्न यह नहीं है मेरा प्रश्न दूसरा है जो आपने उत्तर दिया है वह पहले प्रश्न का उत्तर दिया है। मेरा प्रश्न यह है कि आप को और कई लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये उनके यहां प्रबन्ध नहीं किया गया।

**श्री परसराम मदेरणा** : प्रार्थना-पत्र तो जाडोर में कमी थी। उनका प्रार्थना-पत्र आया तो ट्यूब वैल खोदे गये थे वह असफल रहे तो पानी जवाई नहर से ट्रान्सपोर्ट कर रहे थे। जहां शिकायत रही वहां पानी भेजा जाता है।

**श्री फूलचन्द बाफना** : प्रार्थना-पत्र मैंने दिया वह एक अलग बात है। क्या जनता की तरफ से कोई प्राथना-पत्र इन तहसीलों से नहीं आये ?

**श्री परसराम मदेरणा** : प्रार्थना-पत्र सीधे मेरे पास नहीं आते हैं जिलाधीशों को यह अख्त्यार था कि पानी की वह व्यवस्था करें, और जितने टैन्कर्स सरकार के पास उपलब्ध थे वह उनके डिस्पोजल पर कर दिये गये थे और यह भी आदेश दिया गया था कि टैंकर्स किराये से लेकर जहां भी पीने के पानी की शिकायत हो वहां पानी की पूर्ति करें और सब भागों में पानी पहुंचाया गया है।

**श्री अध्यक्ष** : नक्स्ट, श्री मनोहरसिंह।

**श्री फूलचन्द बाफना** : एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है अध्यक्ष महोदय। आप उतना समय दे नहीं रहे हैं। बाब गांव में स्थायी योजना की गई है। वह ठीक है। परन्तु क्या उससे चाणोद का स्थायी इन्तजाम नहीं कर सकते हैं।

**श्री परसराम मदेरणा** : जैसी कि मुझे जानकारी दी गई है, बाब, चाणोद और श्योपुरा के लिए 14 लाख 55 हजार की योजना थी सर्वे कर भेज दिया गया है। अब वह राजस्थान सरकार के विचाराधीन है।

**श्री फूलचन्द बाफना** : वह कब तक हो जायेगी ?

**श्री परसराम मदेरणा** : यह तो सम्बन्धित मन्त्री से पूछें।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें जांच के लिए कोई कमेटी नियुक्त की गई है ?

**श्री अध्यक्ष** : अलग से प्रश्न है।

**श्री परसराम मदेरणा** : वह दूसरा प्रश्न है, जो समय पर जवाब देंगे।

**श्री अध्यक्ष**: नेक्स्ट, श्री मेहता ।

**कोटड़ी तहसील में यातायात सुविधा**

56. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटड़ी तहसील में कई पंचायत हैडक्वार्टर ऐसे हैं जहां बस नहीं आती है ?

(2) यदि हां, तो कौन सी पंचायतें हैं और उन पंचायतों में बस रूट कायम हो सके इस सम्बन्ध में क्या योजना सरकार बना रही है ?

**उप-मन्त्री, यातायात** (श्री समरथलाल): (1) जी हां।

(2) पंचायत हैडक्वार्टर्स सूटेपा, जीरा खोडा, गेंगा का खेडा, रेनवाल, किशनगढ़, कांकरोलिया, गुढली, बोहेडा, राखेड, उगलियावास, सातोली का खेडा, लसाडिया और रीठ है जहां बसें नहीं जाती हैं ।

शाहपुरा-बेगूं मार्ग पर परमिट दिये जाने के नये आवेदन-पत्र प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, उदयपुर के विचाराधीन है । उपरोक्त मार्ग पर परमिट स्वीकृत होने पर पंचायत हेडक्वार्टर राखेड, बोहेडा, रेनवास, गेंगा का खेडा और बडलियावास पर बस जाने लगेंगी ।

शाहपुरा—मांडलगढ़ मार्ग पर चलने वाली बस का बस सेवाओं को किशनगढ कांकरोलिया की घाटी, गुडली, बोहेडा, रासेड, ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर को जोड़े जाने के लिए सर्वे कराया जावेगा । और भीलवाड़ा-जहाजपुर मार्ग पर चलने वाली बसों को रीठ और उगलियास होकर जाने के लिए भी सर्वे शीघ्र करवाया जाकर नियमानुसार रूट खोलने की कार्यवाही प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा की जावेगी ।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : अध्यक्ष महोदय, आजादी मिले हिन्दुस्तान को 23 वर्ष हो गये है। कई पंचायत समितियां हैं जिनके हैडक्वार्टर तक बस नहीं जा रही है । सड़कों के जरिये से ही वहां समाजवाद पहुंच जाये। कोई निश्चित अवधि नहीं बताई गई है । आखिर कब तक होगा । 23 वर्ष हो गये हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : समाजवाद को बस में पहुंचा दो ।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : बसों के लिए पर्टीक्युलर रूल होते हैं । उसका बाकायदा नोटीफिकेशन जारी करते है । परमिट, रिवीजन, टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स लगाते हैं । उस पर पूरी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : आप ने कहा है, काफी समय लग जाता है कब तक कार्यवाही हो जाएगी ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : एस० टी० ए०, आर०टी०ए० अपनी कार्यवाही कितने समय पर समाप्त कर देंगे, यह कह नहीं सकते हैं।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : तो मैं उनको बस के बारे में क्या कहूं जाकर ? बस कब तक आ जायगी ?

**श्री अध्यक्ष** : आप यह कहें कि मैंने प्रश्न रख दिया है ।

**श्री मनोहरसिंह मेहता :** कब तक ?

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मंत्री, क्या आप अपने स्तर पर कोई एक्शन ले सकते हैं ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** मोटर व्हीकल्स के नियम हैं उनके जरिये से ही होता है। जब तक गजट में प्रकाशित न हो जाये। टाइम ऑब्जेक्शन, नोटीफिकेशन, आदि होगा। यह डिफीकल्टी है किसी के बारे में रूट है तो दूसरे पर चले जायें। यह तो हर जगह है। उनको हल करना भारी हो रहा है।

**श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) :** अध्यक्ष महोदय, टैम्परेरी परमिट मिल सकता है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** अध्यक्ष महोदय, यह टैम्परेरी परमिट कौन लेगा ?

**श्री मदनसिंह :** दस, दस गाड़ियां अध्यक्ष महोदय लगी हुई हैं। टैम्परेरी बस परमिट में लग सकती हैं।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** जो मेहताजी ने प्रश्न उठाया है, वह यह है कि जो बस अभी जिस रूट से जा रही है, उसमें कोई गांव ढाई मील, 4 या 5 मील पर है तो वह बस वहां से होती हुई जाये। रूट के व्हायाज को बदलना है। जहां सड़क नहीं है कोई कहे कि हमारा अमुक गांव का परमिट है। हम व्हायाज को नहीं बदलते हैं।

**श्री दौलतराम सारण :** क्या सैण्ट्रल व्हीकल एक्ट में राज्य सरकार ने कोई हल करने का सुझाव रखा है ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** हायर लेविल पर एक कमेटी बनी हुई है।

**श्री मनोहरसिंह मेहता :** अध्यक्ष महोदय, मैंने दोनों बातों को कहा है। जिन गांवों में ले जा सकते हैं, उनको ले जायें। नया रूट खोलते हैं तो उन में खोलें।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** नये रूट के लिए मैंने कह दिया है कि कार्यवाही की जायेगी।

**श्री अध्यक्ष :** नैक्स्ट। श्री दिग्विजयसिंह।

**ग्राम पंचायत नगर की धनराशि**

57. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पंचायत एक्ट, 1953 की धारा 63 (2) के तहत पंचायत की राशि किसी सरकारी कोष या बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कराना आवश्यक है ? यदि हां, तो ग्राम पंचायत नगर, पंचायत समिति देवली, जिला टोंक का खाता किस जगह है और उसमें आज दिन तक कुल कितनी राशि है ? कृपया आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत एक्ट के अधीन कोई भी ग्राम पंचायत सामान्यत: एक हजार रुपये तक बिना पूर्व स्वीकृति के खर्च कर सकती है। और यदि एक हजार से दो हजार खर्च करने हों तो पंचायत समिति की स्वीकृति लेना आवश्यक है और दो हजार से ऊपर की सरकार से स्वीकृति लेना आवश्यक है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत नगर के सरपंच व पंचों ने पशु मले में 5,000 रुपये बिना पूर्व स्वीकृति के खर्च किये हैं ?

# Page No 17



(श्री दिग्विजयसिंह)

(4) क्या यह सत्य है कि पंचायत द्वारा श्री दामोदरलाल व्यास, गृह मंत्री को आमन्त्रित कर उनके स्वागत में दो हजार रुपये का खर्च होना बतलाया है ? यदि नहीं, तो कुल कितना खर्चा हुआ ?

(5) क्या यह सत्य है कि अभी हाल ही में ग्राम पंचायत, नगर ने निर्णय लिया है कि एक धर्मशाला बनाई जावे, जिसकी लागत करीब 20,000 रु० होगी ? क्या उक्त धर्मशाला का कार्य पंचायत ने चालू भी कर दिया है ? यदि हां, तो क्या इसकी स्वीकृति राज्य सरकार से ले ली गई है ?

(6) क्या यह सही है कि जिस जगह यह धर्मशाला बनाई जा रही है वहां एक सार्वजनिक पूजा का स्थान है व आम रास्ता है ?

(7) क्या यह सही है कि स्थानीय जनता में इस विषय पर भारी रोष है और एक दरख्वास्त ग्राम पंचायत को भी दी है कि इसका निर्माण यहां नहीं होना चाहिए ?

**पंचायत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा)**: जी हां, खाता राजस्थान सैण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, टोंक, राजस्थान सैण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, शाखा देवली व राजस्थान बैंक, टोंक में है जिनमें क्रमश: 5,600 रु०, 12.59 रु० वें 4.69 रु० जमा है ।

(2) राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृति बजट में उपलब्ध प्रावधान की सीमा में किसी एक आइटम पर एक समय में पंचायत के संकल्प द्वारा तीन हजार रुपये तक खर्च किया जा सकता है व इससे अधिक की राशि के लिए पंचायत समिति की स्वीकृति आवश्यक होती है । राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है ।

(3) स्वीकृत बजट में रखे गये प्रावधान के अनुसार ही खर्चा किया गया है ।

(4) जी नहीं ।

(5) धर्मशाला बनाने का निर्णय लिया गया और कार्य चालू कर दिया गया है। राज्य सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है।

(6) जिस स्थान पर धर्मशाला बनाई जा रही है वह आम रास्ता नहीं है। वहां पर भैरूजी का एक पुराना चबूतरा है ।

(7) जी नहीं ।

**श्री दिग्विजयसिंह** : यह आपने जो राशि बताई है यह कबसे जमा है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : जो रुपया जमा है, वह यह है ।

**श्री दिग्विजयसिंह** : अध्यक्ष महोदय, कब से जमा है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : यह पूछा नहीं है। आज दिन तक पूछा नहीं है ।

**श्री दिग्विजयसिंह** : कबसे जमा है यह पूछ रहा हूं ?

**श्री परसराम मदेरणा** : अभी तक कितना जमा है, वह बताया है ।

**श्री दिग्विजयसिंह**: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न के......

**श्री अध्यक्ष** : जानकारी करा लें।

**श्री भैरोंसिंह** : जवाब नहीं देंगे तो जानकारी करा लें।

**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, मैंने वही बताया है, जितना रुपया बैंक में जमा है।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट, श्री आर्य।

**खोडां सर्किल का हैडक्वार्टर**

58. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या राजस्थान कैनाल परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर के खोडां सर्किल एस० डी० ओ० व अन्य कर्मचारी लखूवाली कॉलोनी में रहते हैं ? यदि हां, तो वहां पर रहने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि खोडां सर्किल के एस० डी० ओ० व अन्य स्टाफ के लिए रावतसर में कॉलोनी तैयार हो चुकी है ? यदि हां, तो यह कॉलोनी कब तैयार हुई थी और एस० डी० ओ० का हैडक्वार्टर लखूवाली क्यों है ?

**उप-मंत्री, राजस्थान कैनाल परियोजना** (श्री जसराज) : (1) खोडां उप-खण्ड के एस० डी० ओ० व कुछ कर्मचारी लखूवाली कॉलोनी में तथा कुछ रावतसर कॉलोनी में रहते हैं। लखूवाली कॉलोनी में रहने का कारण यह है कि रावतसर कॉलोनी अभी तक पूर्णतः डेवलप नहीं हो सकी है।

(2) रावतसर की कॉलोनी का अधिकतर निर्माण कार्य 1970 में हो गया है। कुछ स्टाफ वहां रहने भी लग गया है। एस० डी० ओ०, खोडां को भी जल्दी ही रावतसर भेज दिया जावेगा।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : क्या यह सही है कि वह कॉलोनी बिल्कुल बन कर तैयार हो गई है। यह रिपोर्ट गलत आई है।

**श्री जसराज** : जहां तक मुझे सूचना मिली है, थोड़ा बहुत काम और बाकी है। वैसे मैंने कल ही आदेश दे दिये हैं कि एस० डी० ओ० तत्काल, जो स्टाफ उसका वहां रहता है, अगर वहां काम पूरा हो गया है तो उन्हें वहां भेजने की व्यवस्था करें।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : छः महीने पहले क्वार्टर बन कर तैयार हो गये। काश्तकारों को वहां चार मील चल कर जाना पड़ता है। जब रावतसर में कॉलोनी तैयार है तो वह वहां अपनी सुविधा की दृष्टि से रह रहे हैं। क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

**श्री जसराज** : मैंने कहा कि एक हफ्ते में एस० डी० ओ० को वहां भेजने की कार्यवाही कर दी जायगी।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट। श्री हंसराज आर्य।

**अकालग्रस्त ग्राम**

59. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष राजस्थान में किस किस जिले में कितने कितने गांव अकालग्रस्त घोषित हैं ? कुल गांव कितने हैं ?

( श्री हंसराज आर्य )

(2) क्या उन गांवों में राहत के कार्य चलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कुल कितने मजदूर काम पर लगे हुए हैं ?

(3) क्या क्या राहत के कार्य चलाये जा रहे हैं ?

(4) राजस्थान सरकार ने सन् 1964 से लेकर 31-12-70 तक सालवार जिलेवार कुल कितनी धनराशि अकाल राहत कार्य पर खर्च की है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उप-मंत्री, अकाल सहायता** (श्री गंगाराम चौधरी): (1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) कोई राहत के कार्य नहीं चलाये जा रहे हैं।

(4) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

**श्री हंसराज आर्य** : गांवों में अकाल है तो राहत के काम क्यों नहीं चलाये जा रहे हैं ?

**श्री गंगाराम चौधरी** : अभी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, वैसे भी बहुत थोड़े गांव अकालग्रस्त हैं। पड़ौस में काफी काम है। दूसरे जिला स्तर से कोई प्रस्ताव नहीं आये हैं।

**श्री हंसराज आर्य** : मन्त्रीजी कह रहे हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है जबकि वहां के लोग भूखे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव नहीं आये हैं।

**श्री गंगाराम चौधरी** : जिला स्तर से कोई प्रस्ताव नहीं आये हैं।

**श्री हंसराज आर्य** : भविष्य में कब काम चालू करायेंगे ?

**श्री गंगाराम चौधरी** : जब भी प्रस्ताव आ जायेंगे।

**श्री बालसिंह सोढा** ( जसलमेर ) : क्या यह सही है कि जैसलमेर में सोइल एण्ड कन्जर्वेशन विभाग के द्वारा काम चलाये जा रहे हैं ?

**अकाल सहायता मन्त्री** (श्री परसराम मदेरणा) : यह बात सही नहीं है, गलत है।

**श्री बालसिंह सोढा** : वहां काम चल रहे थे वह कौनसे विभाग के द्वारा चलाये जा रहे थे ?

**श्री परसराम मदेरणा** : रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत, चाहे आवश्यकता हो या नहीं, कई काम जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं। लेकिन वह फेमिन के काम नहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री फूलचन्द बाफणा।

**श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : बाड़मेर जिले में......

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**सुमेरपुर में सड़कों पर बिजली की व्यवस्था**

60. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि फरवरी, 1970 से सुमेरपुर में बिजली होते हुए भी सड़कों पर रोशनी नहीं है ? क्या यह सही है कि विद्युत कनेक्शन रोड लाइट का विद्युत विभाग द्वारा काट दिया गया? यदि कनेक्शन रोड लाइट का काटा गया तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान विद्युत मंडल, फालना, द्वारा ऑडिट एतराज के अनुसार सुमेरपुर ग्राम पंचायत में 13,273) 26 पैसे बकाया निकाल रहा है और इसी कारण रोड लाइट के कनेक्शन काट दिये गये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सुमेरपुर बिजलीघर के लिए राजस्थान विद्युत मंडल, फालना ने ग्राम पंचायत की बिना कोई स्वीकृति लिए आबादी भूमि घेरी थी और जिस भूमि पर आज भी विद्युत मंडल, फालना का कब्जा है ? यदि हां तो यह भूमि ग्राम पंचायत से विद्युत मंडल, फालना ने किस प्रकार प्राप्त की?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, सुमेरपुर 89,500) रु० बकाया निकाल रही है, राजस्थान विद्युत मंडल, फालना, में विद्युत मंडल द्वारा घेरी गई पंचायत की भूमि के लिए ? यदि हां, तो यह घेरी गई भूमि कितनी है और ग्राम पंचायत की यह बकाया (घेरी गई भूमि का मूल्य) क्यों नहीं चुकाया जा रहा है ?

(5) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ने अपनी बकाया राशि के लिए विद्युत मंडल को नोटिस दिया है और विद्युत मंडल ने अपनी बकाया राशि के वास्ते ग्राम पंचायत को नोटिस दिया है? यदि हां, तो दोनों नोटिसों की प्रतिलिपियां सदन पटल पर रखी जावें।

(6) ग्राम पंचायत जब 89,500 । रु० मांगती है विद्युत मंडल में तो फिर मंडल ने अपनी रकम केवल 13,273) 26 पैसे के वास्ते रोड लाइट बन्द करके जनता को संकट में क्यों डाला है ?

(7) क्या विद्युत मंडल उपर्युक्त स्थिति में (जैसे आइटम नं० 6 के अनुसार) रोड लाइट अविलम्ब चालू करेगी ?

**उप-मंत्री, विद्युत** (श्री शिवचरणसिंह): (1) जी हां।

(2) जी हां, ग्राम पंचायत, सुमेरपुर द्वारा रोड लाइट के बिजली खर्च की बकाया राशि 13,273) 26 पैसे जमा नहीं कराने के कारण कनेक्शन तारीख 27-12-69 को काट दिया गया था।

(3) पंचायत समिति ने सुमेरपुर रोड लाइट के बिजली के बिलों की राशि मार्च, 1968 से ही जमा करानी बन्द कर दी थी। तत्पश्चात कई नोटिस दिये गये लेकिन पंचायत समिति ने रकम जमा नहीं कराई और बकाया राशि प्रति माह बढ़ती ही जा रही थी। अतः उसका कनेक्शन काट दिया गया। ऑडिट ने भी कुछ केलकुलेशन की गलतियां बतलाई थीं।

(श्री शिवचरणसिंह)

(4) सुमेरपुर में राजस्थान राज्य विद्युत मंडल ने मंडल के कार्य के लिये कुछ भूमि ली हुई है। फिलहाल इस सम्बन्ध का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है फिर भी औपचारिक रूप से ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि यह भूमि पंचायत समिति ने विद्युत मंडल को बगैर कीमत के ग्राम विकास के हित में दे दी थी।

(5) जी नहीं। यह जमीन करीब 360 फीट × 425 फीट की है जिसके मूल्य की जानकारी नहीं है।

(6) ग्राम पंचायत, सुमेरपुर ने रु० 6,254.00 का सिर्फ सुमेरपुर में रोड लाइट के बल्ब बदलने हेतु राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के विरुद्ध बकाया बताया जिस सम्बन्ध में पंचायत समिति ने 20-1-1970 को नोटिस दिया जिसकी प्रतिलिपि सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के नोटिस प्रथम तो जो बिल दिया जाता है उसी पर छपा रहता है, फिर भी अप्रेल, 68 से दिसम्बर, 1969 के बीच में कई नोटिस दिये गये जिसमें से तारीख 4-1-69, 7-8-69 और 18-8-69 की प्रतिलिपियां सूची (ब), (ल), व (द) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(7) जमीन की तथाकथित कीमत 89,500। रु० के लिय ग्राम पंचायत ने राजस्थान राज्य विद्युत मंडल से आज तक कोई मांग नहीं की। मंडल ने इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 1910 की धारा 24 (1) के अन्तर्गत बिजली की बकाया रकम के लिये कनेक्शन काटा है। सुमेरपुर पंचायत समिति यदि बकाया राशि का भुगतान कर दे तो सुमेरपुर में रोड लाइट के कनेक्शन को तुरन्त चालू कर दिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

**श्री फूलचन्द बाफना** : अध्यक्ष महोदय जमीन पंचायत समिति ने दी, यह आपने उत्तर दिया, तो क्या पंचायत समिति सीधे जमीन देती है, ग्राम पंचायत देती नहीं है? यह जवाब बराबर मालूम नहीं होता, दल जवाब के लिए जवाब दिया गया है। ग्राम पंचायत जमीन देती है किसी को, पंचायत समिति नहीं देती है लेकिन इस मामले में ग्राम पंचायत को पूछे बिना उसकी जमीन दे दी और उसकी कीमत उसको चुकाई नहीं गई, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ग्राम पंचायत ने इस सम्बन्ध में रजिस्टर्ड नोटिस दिये है, जिसकी प्रतिलिपि दी है। नगरपालिका में अगर कोई पैसा बाकी होता है बिजली और पानी का, तो नगरपालिका क्षेत्र में बिजली पानी बन्द नहीं किया जाता है, लेकिन पंचायत में पानी बिजली का पैसा बाकी होता है तो बिजली पानी बन्द कर देते हैं यह भेदभाव क्यों है? शहर और गांव में यह भेदभाव क्यों है? शहर में पैसा बाकी हो तो उसको माफ कर देते है और गांव में हो तो बिजली बन्द कर देते हैं? नियमों की बात दूसरी है, लेकिन मैं व्यवहार की बात पूछ रहा हूं।

**श्री शिवचरणसिंह** : अध्यक्ष महोदय, 1958 में पावर हाउस बनाया गया था उस समय जो पंचायत थी उस पंचायत ने दो तरह की जमीन दी थी, कुछ तो पंचायत की जमीन थी और कुछ रेवेन्यू की।

# Page No 22



(श्री शिवचरणसिंह)

पंचायत ने पावर हाउस लगाने के लिए कुछ जमीन ग्राम का जो विकास हो रहा था उसके लिए कुछ जमीन दे दी। अब जब कनेक्शन काट दिया गया तो जमीन का झगड़ा उठाया है। इसमें प्रश्न यह है कि जब कनेक्शन काट दिया गया तब यह प्रश्न पैदा हुआ, यह प्रश्न 1958 से आया नहीं। 1968-69 में जब कनेक्शन काट दिया गया तब यह प्रश्न उठाया है। उस समय हीं यह प्रश्न उठाना चाहिए था जबकि यह पावर हाउस बनाया था।

दूसरी बात, बिजली के बिल के भुगतान के लिए चार बार नोटिस दिये गये हैं। इस सिलसिले में निवेदन करूं कि म्युनिसिपैलिटी और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चुंगी के लेन देन के कारण कुछ हिसाब किताब बाकी रहता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की चुंगी देनी पड़ती है उसका लेन देन होता है, लेकिन इस पंचायत में 13 हजार रुपये का बिल चढ़ गया, उसको चार बार नोटिस दिया गया फिर भी उसका भुगतान नहीं किया गया। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत कनेक्शन काटने के अतिरिक्त क्या चारा है?

**श्री दिग्विजयसिंह** : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं.....

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकर्त्ता ?

**श्री विजय सिंह** : यह लेन देन के लिए काटा है।

**श्री अध्यक्ष** (श्री मदनसिंह के खड़े होने पर) : माननीय सदस्य प्रश्नकर्त्ता पूछना चाहते हैं? श्री बाफणा?

**श्री फूलचन्द बाफणा** : कानूनी दृष्टिकोण है वह इसके साथ अलग से है। इसके साथ जमीन की बात कही, तो जमीन का पैसा कोई बाद में मांगे, कोई अगर जमीन का पैसा समय पर नहीं मांगे, दो तीन चार साल के बाद में मांग, जब कि ध्यान आय क्योंकि पंचायत का काम कोई व्यवस्थित नहीं चलता है, जिस प्रकार की नगरपालिका का चलता है, तो बाकी के लोगों का पैसा तो माफ कर देते हैं लेकिन ग्राम पंचायत का कनेक्शन काट देते हैं।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मांगा नहीं है। कोई जमीन की कीमत मांगने का नोटिस नहीं दिया है।

**श्री फूलचन्द बाफणा** : जमीन का पैसा नहीं मांगते हैं तो क्या बिना पैसे के जमीन ली है? क्या यह सही है कि जमीन उसको बिना पूछे ली है। क्या जमीन की कीमत नहीं होती है?

**श्री शिवचरणसिंह** : उस समय पंचायत न पावर हाउस लगाने के लिए जमीन दी थी।

**श्री फूलचन्द बाफणा** : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस ओर ध्यान दिलाया कि जब नगरपालिका के क्षेत्र में बिजली का पैसा बाकी रहता है तो बिजली काटते नहीं हैं, पैसा माफ करते हैं। ऐसा हुआ है, यह भेदभाव क्यों करते हैं? इसका संतोषजनक उत्तर दे सकते हैं।

**श्री शिवचरणसिंह** : माफ नहीं किया जाता है बल्कि अकाउन्ट फोर किया जाता है। म्युनिसिपैलिटी का रुपया इलेक्ट्रिसिटी

(श्री शिवचरणसिंह )
बोर्ड पर होता है, उससे हिसाब किताब किया जाता है, माफ नहीं किया जाता है।

**श्री फूलचन्द बाफणा** : इस विधान सभा में घोषणा की गई है, कई म्युनिसिपैलिटीज का कई लाखों का माफ किया गया है। यह सही बात है। क्या यह गलत की थी घोषणा ? जब म्युनिसिपैलिटी के साथ उदारता के साथ व्यव्हार करते हैं तो गांवों ने क्या कसूर किया है कि उनके साथ में अनुदारता बरतते हैं।

**श्री शिवचरणसिंह** : इस प्रकार कोई मनी राइट ऑफ नहीं किया गया है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री दिग्विजयसिंह ।

**श्री दिग्विजयसिंह** : क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पंचायत ने लिखित रूप में भूमि देना स्वीकार किया था ?

**श्री शिवचरणसिंह** : सन् 1958 में जब उक्त पंचायत क्षेत्र में पावर हाउस लगने वाला था, उस समय इस भूमि के बारे में, जो 360 फीट × 425 फीट की थी जिसमें कुछ जमीन आबादी की थी... ..

**श्री दिग्वि सिंह** : मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है....

**श्री अध्यक्ष** : उत्तर आने दीजिये ।

**श्री शिवचरणसिंह** : मैं पूरी तरह से समझा रहा ं, जिससे प्रश्न न करें। यह 360×425 फीट की जमीन जिसकी कीमत 69 हजार की मांग की है, 1958 में जिस समय पावर हाउस कायम हुआ उस समय दी गई। आप अन्दाज लगाइये कि उस समय जमीन की क्या कीमत रही होगी और यह 69 हजार की कीमत किस हिसाब से लगाई है। यह आज कीमत लगाई है जबकि 1958 में पावर हाउस कायम हुआ है, उस समय तो पंचायत मौन रही, अब जब प्रश्न आया उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का पैसा नहीं दिया और कनेक्शन काट दिया, तो जमीन की कीमत की बात आई है। अब तक उस जमीन की कीमत या मुआवजे की मांग नहीं आई थी।

**श्री दिग्विजयसिंह** : मैं निवेदन करूं, आप फर्मा रहे थे कि पूरा उत्तर आप देंगे जिसके आगे प्रश्न न करूं आपने उत्तर दिया है, उससे मेरे समझ में नहीं आता कि आप क्या समझा रहे थे। मैंने पूछा था, क्या यह सही है कि यह उक्त ग्राम पंचायत ने उस समय लिखित में उस जमीन को देना स्वीकार किया था ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : उस समय जो जमीन ली गई, वह निःशुल्क ली गई थी। ग्राम पंचायत ने किस शर्त पर बेची है, यह ग्राम पंचायत के रिजोल्यूशन के अन्दर होगी। ग्राम पंचायत ने कीमत दी है तो रिजोल्यूशन में होगी। जैसा बताया, वह जनहित के दृष्टिकोण से आबादी की जमीन दी गई और दसरी जमीन दी गई। 1958 में बिल्डिंग बन कर, पावर हाउस बन कर काम शुरू हो गया। अगर जमीन किसी से कीमत पर ली गई होती तो मांग की गई होती। रेकार्ड पंचायत के पास हो सकता है मुफ्त में देने का या कीमत पर देने का। कोई रेकार्ड उनके पास अवेलेबल नहीं है। हम 1958 में जमीन दी गई, उस पर बिल्डिंग बनाई। सरकारी जमीन भी थी पंचायती जमीन भी थी।

# Page No 24



**श्री दिग्विजयसिंह** : आप कहते हैं कि उन्होंने मांग नहीं की तो अनआथोराइज्ड आक्युपेशन किया ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : बिल्कुल जायज आक्यूपेशन किया ।

**श्री दिग्विजयसिंह** : पंचायत ने लिखित में भूमि देना स्वीकार नहीं किया, न प्रस्ताव पास किया, आपने कन्सट्रक्शन शुरू कर दिया ?

**श्री अध्यक्ष** : निःशुल्क दी गई ।

**श्री दुर्गालाल बाड़दार** (हवामहल, जयपुर) : प्रस्ताव कहां है ?

**श्री अध्यक्ष** : उनका भी मांग-पत्र नहीं है ।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : मन्त्री महोदय कहते हैं कि ऐसा अगर कोई रेकार्ड होगा तो पंचायत के पास होना चाहिए लेकिन पंचायत अगर निःशुल्क भी देती है तो ऐसा प्रस्ताव भी तो नहीं बताते हैं। कीमत बराबर मांगने के लिए पंचायत प्रोटेस्ट कर रही है, क्या इसको मन्त्री महोदय मानते हैं ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : कभी नहीं किया है।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : पंचायत ने कीमत मांगना शुरू किया । प्रश्न केवल इस बात का रह जाता है कि पंचायत जो कीमत राज्य सरकार से मांगती है भूमि के बारे म वह कीमत राज्य सरकार नहीं देना चाहती । फिर तो प्राइवेट बार्गेन और सरकार के बार्गेन में क्या अन्तर हुआ ? पंचायतों की संपत्ति राज्य सरकार जिसका विकेन्द्रित संस्थाओं को......

**श्री अध्यक्ष** : भाषण नहीं । प्रश्न ।

**श्री दुर्गालाल बाड़दार** : मैं पछना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय बताने के लिए तैयार हैं कि आज भी राज्य सरकार से भूमि की कितनी कीमत मांगते हैं और कितनी कीमत से पंचायत को भूमि देने को तैयार हैं या मानकर चलें कि......

**श्री अध्यक्ष** : अलग से प्रश्न। स्थान ग्रहण करें।

**श्री दुर्गालाल बाड़दार** : आप यदि मानते हैं कि कीमत ज्यादा मांगते हैं तो आप कितनी कीमत उचित समझते हैं ?

**श्री फूलचन्द बाफना** : जब पंचायत ने प्रस्ताव पारित नहीं किया तो बिना इजाजत के अगर पंचायत की सीमा की भूमि को लिया जाता है तो क्या अतिक्रमण की श्रेणी में यह नहीं आता है ?

**श्री अध्यक्ष** : हिपोथेटिकल । स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

**श्री लाभचन्द बैद** : प्रश्न नं० 50 लिया जाए ।

**श्री अध्यक्ष** : समय नहीं है ।

**श्री लाभचन्द बैद** : 5-7 मिनट का समय है।

**श्री अध्यक्ष** : पूछ लीजिए । प्रश्न नं० 50 ।

**चूरू जिले के ग्रामों में बिजली**

50. **श्री रावतराम छापर की अनुपस्थिति में** [श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) द्वारा पूछा] : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चालू वर्ष में चूरू जिले के किन किन गांवों में बिजली देने के प्रस्ताव जिलाधीश कार्यालय से आए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) भारत सरकार ने इस वर्ष ग्रामीण विद्युतिकरण के लिए राजस्थान को कितनी धनराशि प्रदान की है और राजस्थान सरकार ने जिलेवाइज कितनी कितनी धनराशि रखी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

**विद्युत उप-मंत्री (श्री शिवचरणसिंह)** : (1) सूची 'अ' जो जिलाधीश, चूरू के यहां से प्राप्त हुई है, सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य के आयोजना विभाग ने 105 लाख रुपये की धनराशि ग्रामीण विद्युतिकरण के लिए स्वीकृत की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 239 लाख रुपया कर दिया गया। राजस्थान सरकार उपरोक्त धनराशि सम्पूर्ण राजस्थान के लिए देती है तथा इसका जिलेवार आवंटन नहीं किया जाता। प्रश्न नहीं उठता।

**श्री लाभचन्द वैद** : क्या मंत्री महोदय, यह बतायेंगे कि दो दो मील के फासले में कुएं बने हुए हैं और वहां पर बिजली क्यों नहीं दी जाती है तो क्या वहां पर आप देने के लिए तैयार हैं ?

**श्री शिवचरण सिंह** : नियमानुसार जिला प्रोडक्शन कमेटी की सिफारिश आती है और प्रायरटि के आधार पर जिस तरह की स्कीम होती है उसको कनेक्शन देने के बारे में विचार किया जाता है।

**श्री लाभचन्द वैद** : जिलाधीश महोदय की सिफारिश है और लाइन है और मैं बराबर वर्षों से मांग करता आया हूं और आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं।

**श्री मदनसिंह** (दाता रामगढ़) : औल ओवर राजस्थान के लिए संक्शन है, रुपया जमा है। एक, एक, आधा मील और फर्लांग पर लाइन है, फिर भी काश्तकारों को बिजली नहीं देते। इसलिए सामूहिक रूप से विचार करके बिजली दी जाए।

**श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या यह सही है कि राज्य सरकार और विद्युत मंडल की नीति है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में दूरी के प्रावधान का कुछ ध्यान नहीं रखा गया है और अकाल क्षेत्रों में जहां सिंचाई के कुए बने हुए हैं वहां बिजली की प्राथमिकता दी जा रही है।

**श्री शिवचरण सिंह** : चूरू जिले के अन्दर 843 गांव हैं जिनमें से 105 गांवों में विद्युतिकरण हुआ है जो 12 प्रतिशत है जो अन्य जिलों के मुकाबले में ज्यादा है।

**श्री दौलतराम सारण** : क्या यह सही है कि चूरू के पास सर्जन गांव में एक मील के फासले पर है विद्युत लाइन तीन साल से है फिर भी विद्युत नहीं दिया जा रहा है ?

**श्री अध्यक्ष** : अलग से प्रश्न।

**श्री दौलतराम सारण** : इस तरह अनेक कुए हैं। 80 कुए ऐसे पड़े हैं जिनमें विद्युत की मांग है और विद्युत नहीं दिया जा रहा

(श्री दौलतराम सारण) .

हूं और रेगिस्तान में मेहनत करके 15-20 हजार रुपए कुए पर लगाते हैं और विद्युत नहीं देते जबकि दूसरी जगहों पर 5 हजार में बनाते हैं। कल्पना कीजिए कितने पुरुषार्थ से कुए बनाते हैं।

**श्री दिग्विजय सिंह** : क्या यह सही है कि····

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकर्ता।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

**श्री दौलतराम सारण** : विद्युत मंडल की तरफ से पैसा जमा करा लेते हैं, फार्म भरवा लेते हैं उसके बाद भी विद्युत नहीं देते हैं और कहते हैं कि योजना में नहीं है।

**श्री लाभचन्द वैद** : जहां सूखाग्रस्त क्षेत्र है और गांवों में आमदनी का साधन नहीं है वहां 10–10 साल से कुए बन गए लोगों ने कई हजार रुपए खर्च करके कुए बनवाये वह ऋण कैसे चुकायेंगे ? रोजाना उनकी नीलामी होती है। किस प्रकार से कर्जा चुकायेंगे ? दो दो मील पर बिजली की लाइन है और दो मील तक आप नहीं दे सकते। उदाहरण के लिए 10 गावों के नाम में बता सकता हूं।

**श्री हंसराज आर्य** : बिजली के मामले में विद्युत मंडल और सरकार दोनों की आखें बंद है।

**श्री दौलतराम सारण** : कामर्शियल डिपार्टमेन्ट बिल्कुल कामर्शियल तरीके से नहीं चल रहा है। मनमाने तरीके से चल रहे हैं। कोई विद्युत उत्पादन का लाभप्रद प्रयोग करने के लिए विद्युत नहीं दिया जा रहते है मनमाने तरीके से विद्युत दिया जाता है और इनके अधिकारी जनता के साथ अव्यवहारिक हैं और बेहूदे तरीके से पेश आते हैं······

( शोरगुल )

आपके मारफत यही मुझे कहना है कि इस विभाग को कामर्शियल लाइन्स पर फंक्शन करने के लिए कामर्शियल तरीके से बिजली का उपयोग किया जाए, लाखों रुपए का घाटा होता है······

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

**श्री अध्यक्ष** : एक माननीय सदस्य।

**श्री दिग्विजयसिंह** : क्या यह सही है कि एक माइल के रेडियस के अन्दर यदि कनेक्शन देना है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को अधिकार दिए गए हैं ?

**श्री मदनसिंह** : यह सवाल एक जगह पर नहीं है। यदि सभी माननीय सदस्यों से पूछा जाए तो यही स्थिति मिलेगी, यहां तक कि नियमित रूप से कलेक्टर व पंचायत समिति की तरफ से सेंक्शन हुए हैं और वहां के कनेक्शन बाकी हैं। मुख्य मंत्रीजी भी पलसाने पधारे थे, सड़क पर बिजली 6 साल से है, सबसे अच्छा इलाका है फिर भी आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया।

**श्री हंसराज आर्य** : विद्युत मंडल के अधिकारियों के बस के बाहर है। मुख्य मंत्री के पास कोई इलाज है तो दे दें।

**श्री शिवचरण सिंह** : यहां अन्य प्रकार के प्रश्न आये हैं (वरना जहां तक विद्युतीकरण का प्रश्न है 105) लाख धनराशि का प्रावधान किया गया था उसको बढ़ाकर 239) लाख की योजना बनाई जा रही है। जिला प्रोडक्शन कमेटी की सिफारिशें आती हैं, उसमें माननीय सदस्य बैठते हैं।

**श्री दौलतराम सारण** : मीटिंग नहीं बुलाते हैं।

**श्री शिवचरण सिंह** : सिफारिश जिला प्रोडेक्शन कमेटी की तरफ से आती है। लेकिन धनाभाव के कारण सारी स्कीम्स नहीं ली जाती हैं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए।

**श्री हंसराज आर्य** : 176 गांवों को बिजली आज तक नहीं दी गई।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए।

**अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर**

**कन्या महाविद्यालय, ब्यावर**

53. **श्री फतेहसिंह** (ब्यावर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर में कितनी बालिकाएं पढ़ रही हैं? कृपया कक्षावार संख्या बतावें।

(2) बालिका उच्च विद्यालय, ब्यावर में कितनी छात्राएं पढ़ रही है? कृपया कक्षावार संख्या बतावें।

(3) क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि कई वर्षों से ब्यावर नगर की जनता ब्यावर में एक बालिका महाविद्यालय बनाने की मांग कर रही है?

(4) ब्यावर नगर की जनसंख्या उसके महत्व और वहां की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार शीघ्र ही ब्यावर में एक बालिका महाविद्यालय खोलने पर विचार करेगी?

**उत्तर**

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) जी हां।

(4) जी हां जहां उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है वहां फिलहाल कोई भी कन्या महाविद्यालय खोलने का राज्य सरकार का विचार नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

**अतारांकित प्रश्नोत्तर**

**नगरपालिकाओं एवं नगरपरिषदों में नई कांग्रेस को बहुमत**

38. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य की किन किन नगर परिषदों एवम् नगरपालिकाओं में नई कांग्रेस को बहुमत मिला है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखने कृपा करें।

**उत्तर**

राज्य में नगरपरिषदों एवं नगरपालिकाओं के आम चुनाव दलीय आधार पर नहीं लड़े गये। अत: किस दल को बहुमत मिला और किस दल को नहीं, इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

**ग्रामों का विद्युतीकरण**

39. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाडमेर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान अब तक कितने गावों, नगरों एवं शहरों का विद्युतीकरण किया गया ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राजस्थान प्रान्त में अब तक विभिन्न जिलों में कितने प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण किया गया है ? विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उत्तर**

(1) जनवरी, 1971 तक करीब 2,862 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विवरण भाग 1 के संदर्भ में रखी गई सूची में उपलब्ध है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

**चाकसू व फागी तहसीलों के ग्रामों में बिजली की सुविधा**

40. **श्री लाबूराम सुलानिया** (फागी): क्या विद्युत मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर जिले की चाकसू व फागी तहसीलों के कुल कितने ग्रामों में कृषकों को बिजली की सुविधा उपलब्ध है ? सूची सदन की मेज पर गांवों के नामों सहित रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त दोनों तहसीलों में अब तक कुल कितनें कनेक्शन कृषि कुओं पर सन् 1966 से 1969 तक दिये गये ? सूची कृषक का नाम, जाति, खसरा नम्बर व कनेक्शन दिये जाने की तिथि सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) वर्तमान में कितने कृषकों के आवेदन-पत्र विद्युत मण्डल के पास पैन्डिग हैं जिन्हें कनेक्शन दिया जाना है ?

(4) उपरोक्त दोनों तहसीलों के किन किन कस्बों में रास्ते पर लाइटें लगी हुई हैं ? सूची कस्बों (ग्रामों) के नाम सहित सदन की मेज पर रखनें की कृपा करें।

(5) क्या यह सत्य है कि चाकसू कस्बा में हरिजन बस्तियों म बिजली का अभाव है ? यदि हां, तो किस किस मोहल्ले में कितनी कितनी बत्तियां लगाने की योजना है और कब तक लगाई जायेंगी ?

**उत्तर**

(1) जयपुर जिले की चाकसू व फागी तहसीलों के 8 ग्रामों में कृषकों को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन ग्रामों में 1966 से अब तक कुल कितने कृषकों को कनेक्शन दिये जा चुके हैं उसकी सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है। कृषकों के द्वारा प्रार्थना-पत्रों म जाति वर्णित नहीं की जाती है। खसरा नम्बर भी रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।

(विद्युत मंत्री)

(3) वर्तमान में कुओं के लिये करीब 106 आवेदन-पत्र चाकसू व फागी तहसीलों के पेन्डिंग है जिन पर आवश्यक कार्यवाही चल रही है। नियमानुसार विभागीय फार्मलिटीज पूरा होने पर ही कनेक्शन दिया जाता है।

(4) चाकसू तहसील के ग्राम चाकसू एवं बड़ा पदमपुरा में रस्तों पर रोड लाइट लगी हुई है।

(5) चाकसू कस्बे के लिये चालू वित्तीय में समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजन मोहल्लों में बिजली लगाने के लिये रु० 8,750.00 की धन राशि दी गई थी। यह कार्य पूरा किया जा चुका है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

**देवल्या बांध का निर्माण**

41. **श्री मनोहरसिंह महता** (मांडलगढ़): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि देवल्या बांध बांधने पर विचार चल रहा है?

(2) यदि सही है, तो मामला कहां तक आगे बढ़ चुका है?

(3) क्या यह सही है कि देवल्या बांध के बंधने से ओराई डैम का पूरा लाभ सिंगोली, सराना, धाकड़खेड़ी तथा जोजवा पंचायतों को मिल सकता है?

(4) क्या यह सही है कि इसमें कम खर्च पर ही अधिक लाभ मिल सकता है?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) स्कीम ओराई के रिवाईज एटीमेस्ट में शामिल की जा चुकी है जो विचाराधीन है।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

**बेड़च नदी के पानी का उपयोग**

42. **श्री मनोहर सिंह मेहता** (मांडलगढ़): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोजवा, बिट्ठलपुरा, धाकड़खेड़ी, सिंगोली और बरूंदनी (मांडलगढ़) ऐसी पंचायतें हैं वहां कुओं में अच्छा पानी है?

(2) क्या यह भी सही है कि बेड़च नदी में जो ग्राम जोजवा, वागीद, माताजी का खेड़ा के पास बहती है जल के बड़े बड़े देह भरे हुए हैं?

(3) यदि यह सही है तो इस जल का उपयोग करने में बिजली की क्या व्यवस्था की जाने वाली है? क्या इसके लिए कोई योजना बनाई जा रही है?

**उत्तर**

(1) } इसकी जानकारी नहीं है।
(2) }

(3) मांडलगढ़ तहसील के ग्राम जोजवा, धाकड़खेड़ी, सिंगोली, दायंती, व बरूंदनी व त्रेजड़ का विद्युतीकरण

(विद्युत् मंत्री)

वर्ष 1970-71 में स्वीकृत किया जा चुका है। इसमें से ग्राम दामती का तो विद्युतिकरण भी हो चुका है।

**चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विद्युत् विस्तार**

43. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में विद्युत् विकास की दृष्टि से कौन कौन से पिछड़े हुए जिले हैं ?

(2) उक्त पिछड़े हुए जिलों में राजस्थान विद्युत् मण्डल चौथी पंचवर्षीय योजना में विद्युत् विस्तार की क्या योजनायें प्राथमिकता के आधार पर ले रहा है ?

**उत्तर**

(1) राज्य में विभिन्न जिलों में विद्युतिकृत ग्रामों का प्रतिशत बताते हुए सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है, जिससे विभिन्न जिलो की तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट होती है।

(2) इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई गई है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

**मसीतावाली हैड से लिफ्ट योजना**

44. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल के मसीतावली हैड से एक लिफ्ट योजना तैयार कर ली गई है ?

(2) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक चालू कर दिया जावेगा ?

(3) इस लिफ्ट योजना से किस किस तहसील की कितनी कितनी भूमि की सिंचाई होगी ?

(4) इस योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी और यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जावेगा ?

(5) क्या चौथी योजना में इसके निर्माण के लिये धनराशि रखी गई है ?

(6) यदि हां, तो कितनी धन राशि गई है ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता।

**पौंग बांध**

45. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पौंग बांध पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी तथा उसमें राजस्थान

(श्री हंसराज आर्य)

को अपने हिस्से की कितनी धनराशि देनी है ? उसमें से कितनी धनराशि राजस्थान सरकार अपने हिस्से की दे चुकी है और कितनी बाकी है ?

(2) इस बांध से कौन कौनसी नदियों के पानी पर नियन्त्रण होगा और कुल कितने क्यूसेक पानी पर ?

(3) इस बांध के पानी में राजस्थान का कितना प्रतिशत कोटा है ?

(4) इस बांध के बनने पर इस पानी को किस प्रकार राजस्थान सरकार अपने हिस्से को बांटेगी यानि किस किस नहर में गंगनहर, भाखरा और राजस्थान में कितना कितना पानी बांटेगी ?

(5) क्या राजस्थान सरकार अपने हिस्से के सारे पानी का उपयोग कर सकेगी और क्या इसके लिए हमारी नहरें तैयार हैं ?

(6) पौंग बांध से तैयार होने वाली बिजली में भी राजस्थान का कोटा है ? यदि हां, तो कितना है ?

(7) पौंग बांध कौनसी नदी पर बन रहा है ? क्या उसमें भी पानी बिजली में राजस्थान का हिस्सा है ?

(8) उसके बनने से क्या लाभ होगा ?

(9) पौंग बांध से कुल कितने परिवार वहां से उजड़ कर राजस्थान में आ रहे हैं ?

(10) उन परिवारों को राजस्थान कैनाल में कौनसे स्थान पर बसाया जा रहा है ?

(11) उन परिवारों को कुल कितनी भूमि काश्त के लिए दी जा रही है ?

(12) उनके पुनर्वास पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

(13) उनको कब तक पूर्णरूप से बसा दिया जावेगा ?

(14) क्या उनके पुनर्वास का कार्य शुरु कर दिया गया है ?

(15) उपरोक्त जानकारी सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

**उत्तर**

(1) संशोधित अनुमान—1969 के अनुसार व्यास प्रोजेक्ट (यूनिट-2 पौंग बांध) की कुल अनुमानित लागत 162.90 करोड़ रुपये हैं । भारत सरकार ने उनकी विज्ञप्ति दिनांक 17 जून, 1970 द्वारा यह निर्णय दिया है कि व्यास प्रोजेक्ट यूनिट-2 पौंग बांध की लागत राजस्थान और पंजाब (मय हरियाणा) में निम्न प्रकार आवंटन (Allocate) की जावें ।

**यूनिट—2**

(सिंचाई एवं विद्युत भाग दोनों)

| | |
|---|---|
| राजस्थान | 58.5 प्रतिशत |
| पंजाब | 41.5 प्रतिशत |

पौंग बांध की कुल रुपये 162.90 करोड़ अनुमानित लागत में उपरोक्त आधार पर राजस्थान का हिस्सा रुपये 95.30 करोड़ होगा ।

वर्ष 1969-70 तक पौंग बांध (व्यास प्रोजेक्ट यूनिट-2) पर कुल खर्चा रु० 83.83

# Page No 32



**(राज० नहर परि० मंत्री)**

करोड़ हुआ है । वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, व्यास परियोजना ने नवीनतम आंकड़ों के आधार पर इस वर्ष में राजस्थान का हिस्सा रुपये 49.04 करोड़ बताया है ।

(2) यह बांध व्यास नदी के पानी को पौंग पर स्टोर करने के लिये बनाया जा रहा है । पौंग बांध में पानी संग्रह की ग्रोस क्षमता (Gross storage capacity) 6.55 MAF मिलियन एकड़ फीट होगी, और लाइव क्षमता (Live storage capacity) 5.5 मिलियन एकड़ फीट (MAF) होगी ।

(3) राजस्थान को पानी में हिस्सा 29 जनवरी, 1955 के अन्तर्राज्य समझौते के अनुसार मिलेगा । इस समझौते के अनुसार रावी व व्यास नदियों के अतिरिक्त उपलब्ध 15.85 मिलियन एकड़ फीट (MAF) पानी में से राजस्थान का हिस्सा 8 मिलियन एकड़ फीट (MAF) है ।

(4) इस बांध के बनने पर कुल उपलब्ध जल में से गंगनहर में 0.4 MAF, भाखरा में 0.3 MAF तथा राजस्थान नहर में 7.3 मिलियन एकड़ फीट (MAF) पानी बटेगा ।

(5) जी हां । नहरें बनाई जा रही हैं ।

(6) पौंग बांध से मिलने वाली बिजली में भी राजस्थान का हिस्सा है । खोसला कमेटी की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान को पौंग बांध से लगभग 43.2 MW बिजली मिलेगी ।

(7) व्यास नदी पर मंडी कस्बे से 13 मील ऊपर की तरफ पण्डोह पर व्यास नदी के पानी को मोड़ने के लिये यह बांध बन रहा है ।

(8) इस बांध का निर्माण व्यास प्रोजेक्ट यूनिट-1 व्यास सतलज लिंक प्रोजेक्ट का एक भाग है जिससे मुख्यतः राजस्थान को बिजली मिलेगी ।

(9) हिमाचल सरकार ने पौंग बांध के विस्थापित परिवारों की जो संख्या दी है उसके अनुसार लगभग 20,000 परिवार होंगे जो राजस्थान में बसाये जाने हैं ।

(10) इन परिवारों को राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में उपनिवेशन तहसील, रायसिंहनगर विजयनगर, अनूपगढ़, घरसाना, छत्तरगढ़ नं० 1 व छत्तरगढ़ नं० 2 इत्यादि में जो कि राजस्व तहसील, सूरतगढ़ रायसिंहनगर अनूपगढ़ एवं बीकानेर में पड़ती है, बसाया जावेगा । इसके अलावा राजस्थान नहर के दूसरे चरण के क्षेत्र में भी इन्हें बसाया जावेगा ।

(11) इन परिवारों को कुल 2.25 लाख एकड़ भूमि दी जावेगी ।

(12) इनके पुनर्वास पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी, इसका पूरा तखमीना अभी नहीं लगाया जा सकता ।

(13) उनको जून, 1973 तक पूर्णरूप से बसाये जाने का कार्यक्रम है क्योंकि तब तक पौंग बांध बनकर तैयार होगा ।

(14) हां, पुनर्वास का कार्य शुरु कर दिया गया है ।

(15) विवरण उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर में दिया जा चुका है ।

**कोटा क्षेत्र में चम्बल की नहरों पर व्यय**

46. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 70-71 में कोटा क्षेत्र में चम्बल नहरों के एक्सटेन्शन कार्य के लिये कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया था और उसके अन्तर्गत कितनी धनराशि का उपयोग किया जा चुका है तथा आगामी वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि रखने का विचार है ?

(2) क्या यह सत्य है कि 70-71 में पीपल्दा-इटावा, अपाना-इटावा, माइनर पर कोई पाइप लगाए जाने का कार्य किया गया है ? यदि हां, तो कहां कहां पर किस डिस्ट्रीब्यूटरी लाइन पर यह कार्य किया गया है ?

(3) क्या यह सत्य है कि 70-71 में पीपल्दा माइनर पर रेगुलर पानी दिया गया है ?

(4) ट्रेल तक पानी सही तरीके से दिया गया है या बीच में बन्द कर दिया गया ?

(5) लक्ष्मीपुरा माइनर पर जो पाइप लगाए गये हैं वे किस साइज के लगे हैं और क्या उनमें कोई दोष नहीं था ?

(6) क्या यह सत्य है कि कज्या माइनर पर हैड की पुलिया टूटी हुई है ? यदि हां, तो क्या उसे ठीक कराने की योजना है जिससे आने जाने वालों को दिक्कत न उठानी पड़े ?

(7) क्या इस वर्ष पीपल्दा माइनर का आगे एक्सटेन्शन कराए जाने का विचार सरकार रखती है और क्या इसी प्रकार लूणेरा-इटावा माइनर के एक्सटेन्शन का विचार भी है ? यदि हां, तो कब तक इसका कार्य पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(1) क्योंकि वर्ष 70-71 में चम्बल नहरों के एक्सटेन्शन के लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं रखा गया था, खर्च होने का प्रश्न नहीं उठता । 71-72 में भी एक्सटेन्शन के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां ।

(4) जी हां । पानी टेल तक दिया गया है ।

(5) लक्ष्मीपुरा माइनर (इटावा शाखा) पर 6" के पाईप लगाये गये हैं तथा लगाये हुए पाईपों में कोई दोष नहीं था ।

(6) जी नहीं ।

(7) जी नहीं ।

**चित्तौड़गढ़ जिले की सिंचाई योजनाएं**

47. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1971-72 में चित्तौड़गढ़ जिले की किन किन लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई, दीर्घ सिंचाई योजनाओं के लिए जाने का विचार है ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

# Page No 34



(श्री रामकुमार नन्दवाना)

(2) क्या उनमें तहसील चित्तौड़गढ़ की मोज्यामहादेव, विजयपुर नाला, मध्यम सिंचाई व वागन सिंचाई योजना शामिल की गई है ? यदि हां, तो कब तक उन पर कार्य प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सन् 1971-72 में गम्भीरी सिंचाई योजना की कैनाल रिपेयर कराने तथा उसे पक्का कराने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही प्रारम्भ होगी ? यदि नहीं, तो किसानों की भूमि को सीपेज से बचाये जाने की क्या व्यवस्था है ।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) इन योजनाओं की सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार हो जाने पर ही लिया जा सकेगा ।

(3) गम्भीरी सिंचाई योजना की नहर की रिपेयर अगले वर्ष की रबी से पहले पहले करादी जावेगी । नहर को अगर उपयुक्त मात्रा में धनराशि की उपलब्धि हो गई तो कुछ भागों को पक्का कराने का कार्य सन् 71-72 में पूरा कराया जा सकता है । जब तक नहर पक्की नहीं कराई जाती तब तक गम्भीरी नहर में सीपेज रहेगा ।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

**जिला टोंक में राहत कार्य**

48. **श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :** क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गत वर्ष के अकाल राहत कार्यों का जिला टोंक में पूरा पेमेन्ट हो चुका है ? यदि हां, तो कितना और नहीं तो अब कितना बाकी है ? कृपया तहसीलवार मय कार्य जिसका पेमेन्ट बाकी हो, सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि निजी खातेदारी वाले तालाबों पर भी अकाल सहायता विभाग द्वारा कार्य करवाया गया है ? यदि नहीं, तो तालाब लांबा, तहसील टोंक में 40,000/- रुपये का कार्य क्यों हुआ है ?

(3) क्या यह सत्य है कि यह तालाब किसी की खातेदारी व निजी सम्पत्ति में जागीर कमिश्नर द्वारा घोषित है ? यदि हां, तो इस पर कार्य करवाना कहां तक उचित था ?

(4) क्या जिला अधिकारियों द्वारा इस पर कार्य शुरू करने से पूर्व कोई जानकारी नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) जी नहीं । तालाब लांबा, तहसील टोंक, सिंचाई विभाग के अधीनस्थ है । इसलिये इस तालाब पर राहत कार्य कराया जाकर व्यय किया गया है ।

(3) जागीर कमिश्नर से यह तालाब किसी भी खातेदारी व निजी सम्पत्ति में

(अकाल सहायता मंत्री)

घोषित होना नहीं पाया जाता है। अतः इस पर कार्य करवाना उचित था।

(4) तालाब सिंचाई विभाग के अधिकार में होने के कारण जानकारी की आवश्यकता नहीं थी।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

**पंचायत समिति पाटन के अधीन चल रहे स्कूल**

49. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे––

(1) पंचायत समिति पाटन के अधीन कितने स्कूल हैं जो पंचायत समिति के अधीन चल रहे हैं और किस श्रेणी के हैं?

(2) अलग-अलग स्कूलों में कितने-कितने छात्र हैं और कितने-कितने अध्यापक हैं सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

**उत्तर**

(1) कुल 91 प्राथमिक पाठशालाएं चल रही हैं।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

( कृपया परिशिष्ट 9 देखिये )

**पंचायत समिति झोटवाड़ा द्वारा संचालित नल योजना**

50. **श्री लादूराम मुलानिया** (फागी-सु०): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की झोटवाड़ा पंचायत समिति के अधीन नल योजना द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था है? यदि हां, तो किस-किस गांव में और इस योजना के तहत प्रति परिवार कितनी-कितनी राशि ग्रामवासियों से वसूल की जाती है?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति द्वारा झोटवाड़ा गांव के 80 प्रतिशत लोगों को इस योजना के लाभ से वंचित रखा गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनायें पंचायत समिति ने अपने स्वयं के संरक्षण में ही लेकर मनमाने ढंग से ग्रामवासियों से पैसा वसूल करती है और फिर भी समुचित व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि जल वितरण व्यवस्था खराब हो जाने पर ग्रामवासियों ने प्रधान व विकास अधिकारी, पंचायत समिति झोटवाड़ा को उचित व्यवस्था हेतु शिकायत की है? यदि हां, तो किस ग्राम के वासियों द्वारा कब कब?

(5) पंचायत समिति द्वारा संचालित नल योजना के अन्तर्गत आरम्भ से अब तक कितनी-कितनी किस ग्राम योजना से आय हुई व कितना खर्चा हुआ? सूची सन् 1967 से फरवरी, 1969 तक ग्राम व वर्ष अनुसार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उत्तर**

(1) जी हां, जल प्रदाय योजना ग्राम झोटवाड़ा एवं रामपुरा रूपा में चलायी

**(पंचायत मंत्री)**

जा रही है। मकान मालिक से 4 रु० प्रति मास, किरायेदार (कुटुम्ब वाले) से 3 रु० प्रति मास व किरायेदार (अकेला) से 1 रु० प्रति मास दर निर्धारित है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) पानी न आने पर शिकायतें विकास अधिकारी को की गई हैं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

**उच्च माध्यमिक स्कूल हिंडोली का भवन**

51. **श्री केसरीसिंह हाडा** (हिण्डोली): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सत्य है कि राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल, हिन्डोली में कॉमर्स की कक्षा के लिये नये कमरों के निर्माण के लिये नींव सन् 1966 में खोदी गई थी?

(2) क्या यह सत्य है कि इन कमरों के लिये छात्रों से चन्दा भी वसूल किया गया था? यदि हां, तो वसूल किये गये कुल चन्दे की रकम कितनी है और उसे अब तक व्यय नहीं करने का क्या कारण है?

(3) इन कमरों का व स्कूल की मरम्मत का कार्य कब तक शुरु करा दिया जायेगा?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता, कारण कि निर्माण कार्य नहीं हुआ है व खुदी हुई नींव गहरी न होने से मिट्टी से भर गई है। विभाग द्वारा आवंटित वार्षिक मरम्मत हेतु प्रदत्त 900) रु० की राशि से इस समय स्कूल भवन की साधारण मरम्मत का कार्य चालू है।

**अध्यापकों का स्थानान्तरण**

52. **श्री हरलालसिंह खर्रा** (श्री माधोपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शिक्षा विभाग द्वारा जिला जयपुर व सीकर में इस साल किस किस अध्यापक का स्थानान्तरण कब कब व कहां से कहां कहां किया गया? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन स्थानान्तरणों में स्वेच्छा से चाहे गये कितने व किस किस के व प्रशासनिक दृष्टि से कितने थे?

**उत्तर**

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वांछित सूचना निम्न प्रकार है:-

| | स्वेच्छा से | प्रशासनिक |
|---|---|---|
| 1. जयपुर जिला | 342 | 315 |
| 2. सीकर जिला | 187 | 135 |

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

# Page No 37



**बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों पर व्यय**

53. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में गत दो सालों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत किस-किस मद में कितना व्यय हुआ ? सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत करन की कृपा कर ।

(2) उक्त जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत दो सालों में कितनी किलोमीटर ग्रेवल एवम् डामर सड़कों का निर्माण हुआ ? आंकड़े सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

(3) उक्त जिले में कितना ग्रेवल एवम् मेटल कहां कहां एकत्रित किया हुआ पड़ा है ?

(4) उक्त जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जो सड़कें बनीं उनमें से कौन-कौनसी कितनी-कितनी अधूरी है ? जानकारी तालिका में सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करें ?

(5) उक्त अधूरी सड़कों को पूरी करने के लिये राज्य सरकार की क्या योजना है ?

**उत्तर**

उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

**स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था**

**श्री अध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि—

(1) श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि अजमेर जिले (विजयनगर) के थानेदार द्वारा दो व्यक्तियों को चार रोज तक हवालात में...

(शेम शेम की आवाज)

अभी तो चालू ही हुआ है ।

....बन्द करके बिजली का करेंट दिया गया ।

(2) श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा ने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है उसमें यह कहा गया है कि दिनांक 20 मार्च, 1971 को सूरतगढ़ तहसील में डिफेन्स रोड पर बने पुल के पास राज्य मंत्री, श्री मनफूल सिंहजी द्वारा सरकारी कार से एक्सीडेन्ट कर देने के फलस्वरूप एक लड़के की मौत हो गयी है ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अब शेम शेम ।

**श्री अध्यक्ष** : अभी नहीं ।

(3) जयपुर नगर में मोबाइल मजिस्ट्रेट द्वारा बर्ती जानी वाली अनियमितताओं के विरुद्ध जयपुर के टेम्पो चालकों द्वारा हड़ताल कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री भैरोंसिंह, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है । जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा ।

# Page No 38



(श्री अध्यक्ष)

इनके अतिरिक्त और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं :

(1) श्री गंगासहाय, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें चौकड़ी तोपखाना, हजूरी, गलता रोड, गोटा फैक्ट्री के पीछे जयपुर नगरपरिषद के द्वारा जिला बुनकर सहकारी संघ के सदस्यों को एलॉट की गई जमीन को दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अनधिकृत रूप से दे देने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है ।

(2) श्री गंगासहाय, सदस्य, विधान सभा ने एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि खाद्य निगम के कर्मचारी अनाज किसानों से खरीदने के बजाय दलालों व उनके व्यापारियों से खरीदते हैं और खरीद करना किसानों से बतलाते हैं ।

(3) इन्हीं माननीय सदस्य ने एक अन्य स्थगन प्रस्ताव में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कठूमर क्षेत्र में बनाई गई सड़कों पर डामर नहीं बिछाने से सभी सड़कें पैदल चलने योग्य नहीं होना बतलाया है।

इनके अतिरिक्त निम्नांकित तीन स्थगन प्रस्तावों को सूचनायें श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई है :

(1) अजमेर नगर के निजी शिक्षण संस्थाओं को राजकीय सहायता की कमी के कारण शिक्षकों को परेशानी।

(2) गांधी शताब्दी के अवसर पर मलूसर रोड पर बने हरिजनों के मकान अधूरे पड़े रहना ।

(3) अमलगेमेटेड बिजली कम्पनी, अजमेर को 31-3-71 को राज्य सरकार द्वारा ले लिये जाने का विचार होने पर भी कम्पनी द्वारा उसके कर्मचारियों को निलंबित करने के नोटिस देने से उत्पन्न स्थिति ।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इन पर विचार किया जावे। इसके अलावा इन मामलों को सम्बन्धित विभागों की मांगों पर कटौती प्रस्तावों के जरिये भी उठाया जा सकता है। अत: मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

उपरोक्त बतलाये गये स्थगन प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ पैंडिंग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है। ये स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार हैं :

(1) कोटा जिले के ग्राम अभयपुरा, जामपुरा एवं प्रहलादपुरा को फसलों को सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के कारण बाईं व दाईं नहर का पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री बृजवल्लभ बोहरा व श्री रामप्रसाद बोहरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(2) बयाना (भरतपुर) स्थित स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की

(श्री अध्यक्ष)

शाखा में डकैती से सम्बन्धित श्री हरजी राम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(3) कुशलगढ़ क्षेत्र में फसल को कीड़ा लगने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री हीराभाई, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

इन मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है उसको देखते हुए ये मामले अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं । अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

एक और स्थगन प्रस्ताव है श्री भैरोंसिंह शेखावत, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल श्री केदारनाथ, श्री बालसिंह सोढा व श्री विजयसिंह मकराना, सदस्य, विधान सभा द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें यह कहा गया है कि दिनांक 9-3-71 एवं 12-3-71 को श्री चैनाराम, प्रधान, पंचायत समिति, डीडवाना ने 50-60 आदमियों को साथ लेकर ग्राम छोटीखाटू, थाना खुनखुना, जिला नागौर में बावरियों के मकानों पर हमला किया, बावरी औरतों को पीटा, उनके कच्चे व पक्के मकान तोड़ दिये, घर का सामान लूट लिया तथा औरतों के पहन हुए जेवर व नकद रुपये छीन लिये ।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है । मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस विषय में सूचना आज ही एकत्रित कर वक्तव्य देने की कृपा करें ।

**श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था लक्ष्मणगढ़ के मंदिर से मूर्तियों की चोरी हो जाना......

**श्री अध्यक्ष** : कल समाप्त हो गया ।

**श्री लाभचन्द वैद** : कल तो छुट्टी थी ।

**श्री अध्यक्ष** : कल उसके बाद फिर कल और कल कल ।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था।

**श्री अध्यक्ष** : मैं जानकारी दे देता हूं।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : आज यह हालत है तो फिर इस देश में स्थिति क्या होगी ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य । माननीय सदस्य । माननीय सदस्य ।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : जलप्रदाय विभाग के अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इस प्रकार दुरुपयोग करना सरकारी वाहनों का......

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य । ऑर्डर प्लीज । ऑर्डर । सुन तो लीजिये ।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार**: माननीय अध्यक्ष महोदय......

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य । आप तो विधिवेत्ता हैं ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : नौ वर्ष में तो आज जोश आया है ।

# Page No 40



**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : विधिवेत्ता क्या करेगा ?

**श्री अध्यक्ष** : जानकारी के लिये भेजा है। आज ही व्यवस्था दे दूं ?

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : कब मिल जावेगी ?

**श्री अध्यक्ष** : आज, कल, परसों।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : कल पर रख लीजिये।

**श्री लादूराम मुलानिया** (फागी-सु०) : अध्यक्ष महोदय, सदस्य अपने विचारों को रखते हैं उनको सुनकर तो निर्णय दें।

**श्री अध्यक्ष** : मुलानियाजी स्थान ग्रहण करें।

**श्री लादूराम मुलानिया** : सत्तारूढ़ लोग हमारे बच्चों को मारे, बूढ़े मारे जायं, लोगों की कत्ल कर दें और उसकी कोई सुनवाई नहीं । सुनवाई नहीं तो फिर कहां जाकर कहें ?

**श्री अध्यक्ष** : स्थान बता देता हूं जाने का। स्थान ग्रहण करें। आप उग्र होते जा रहे हैं । मैंने निवेदन किया कि जानकारी के लिये भेजा गया है। आपने 15 मिनिट कम 11 बजे दिया था।

**श्री अध्यक्ष** (श्री लाभचन्द वैद के खड़े होने पर) : आपका स्थगन प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है।

**श्री लाभचन्द वैद** : ऐसा गिरोह है जो मन्दिरों से अमूल्य मूर्तियों की चोरियां करता है। पुलिस कुछ करती नहीं ।

**श्री अध्यक्ष** : इसको अस्वीकार किया गया है माननीय सदस्य ।

**श्री भगवानदास शास्त्री** : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है । पुलिस का आतंक है । 14 वर्ष के बच्चे को पीटा है। इन्जरी रिपोर्ट मेरे पास है। थानेदार विजयनगर ने 11 बजे लोगों को पीटा और बिजली का करेन्ट दिया ।

**श्री अध्यक्ष** : आपने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैंने जानकारी के लिये भेजा है । आने पर व्यवस्था दूंगा ।

**श्री लाभचन्द वैद** : अध्यक्ष महोदय, धार्मिक मूर्तियों की चोरी का सवाल है ।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है माननीय सदस्य ।

**श्री भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव, जिसके सम्बन्ध में यह व्यवस्था दी है कि माननीय गृह मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित कर आज ही वक्तव्य दे देंगे। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन इतना सा है कि यह एक गम्भीर मसला है ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय, मैं अगर सदन चाहे तो स्टेटमेन्ट देने को तैयार हूं।

**श्री अध्यक्ष** : दे दीजिये ।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा । विधान सभा के कार्य संचालन नियमों के अन्तर्गत जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं उनको स्वीकार अस्वीकार किया

(श्री भैरोंसिंह)

जावे इस सब में अध्यक्ष महोदय का निर्णय मानना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, पिछली विधान सभा के सारे अधिवेशनों में, मैं नहीं समझता कि इतना कोई गम्भीर मसला एक स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस सदन में इससे पूर्व प्रस्तुत किया गया हो। मैं यह भी नहीं समझता, अध्यक्ष महोदय, कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने से इस सदन की कोई मर्यादा भंग होती है या नियम टूटते हैं। मैं इस सदन की जानकारी के लिये कहना चाहूंगा कि सन 1953-54, ठीक से वर्ष तो याद नहीं, झुन्झुनू जिले में एग्रेरियन ट्रबल्स के मामले में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, उस समय एक स्थगन प्रस्ताव उसके सम्बन्ध में रखा गया था सदन में। वह स्वीकार हुआ। उस पर नियमानसार चर्चा हुई। इस के बाद कुछ प्रणाली ऐसी बन गई कि स्थगन-प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं किया जावे। या तो वक्तव्य दिला दिया जाता है और वक्तव्य के साथ चर्चा की जाती है। माननीय सदस्यों को जो कुछ भी कहना है वह किसी न किसी रूप में कह लेते हैं और कहकर हम सब लोग अपना सन्तोष कर लेते हैं कि सम्बन्धित समस्या को लेकर सरकार का ध्यान हमने आकर्षित कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, इन नियमों में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के और भी प्रावधान हैं और उनके अन्तर्गत सदस्य किसी भी विशेष मसले पर सरकार का ध्यान आकर्षित भी करते हैं। पर मेरा निवेदन यह करना है कि स्थगन प्रस्ताव विशेष परिस्थितियों में प्रस्तुत किये जाते हैं। आप अगर इस तरह से इसको देखेंगे तो मैं समझता हूं कि कोई भी एक आइटम इस प्रकार का नहीं होगा कि जहां अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव, स्वीकार न करें।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गृह मन्त्री कोई वक्तव्य दें इसके पहले अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें।

म इस सदन में स्थगन प्रस्ताव की डिटेल बाद में प्रस्तुत करना चाहूंगा, और, अध्यक्ष महोदय, मेरा विश्वास है कि आप या सदन में गृहमन्त्री जी, मुख्य मन्त्रीजी और सदन के माननीय सदस्य इस सारी घटना के दर्दनाक विवरण को सुनेंगे तो निश्चित रूप से एकमत बनेंगे कि ऐसा प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करने के लिये सदन की सामान्य कार्यवाही को स्थगित किया जावे और इसके लिये ही यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

आपकी आज्ञा हो तो मैं यह विवरण प्रस्तुत करूं। पर प्रथम आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपका किसी ने हाथ नहीं बांधा है कि आप इसे स्वीकार न करें। इस प्रकार की देश में कोई परम्परा नहीं है कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार न किया जावे। आज लोगों का मानना यह रहा है कि ब्रिटिश काल में पार्लियामेन्ट में स्वीकार किये जाते थे। यह परम्परा गलत बनी है और इसको जितना जल्दी तोड़ा जावे, अमेण्ड किया जावे, संशोधन किया जावे इसकी जबर्दस्त आवश्यकता है। इसके आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थगन प्रस्ताव गम्भीर घटना को लेकर है। इससे ज्यादा गम्भीर घटना

(श्री भैरोंसिंह)

आगे हो सकती है, यह तो मैं कह नहीं सकता पर मेरी जानकारी के अनुसार पिछले वर्षों में ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हुई, यह मैं कह सकता हूं । यह स्थगन प्रस्ताव नियमानुसार है और इसलिये निवेदन करूंगा कि गृह-मन्त्री वक्तव्य दें या न दें, यह गौण है, पर आप इसे स्वीकार करके दो घंटे की चर्चा के लिये समय निर्धारित करें, ताकि विधान सभा के स्तर पर तो इस काण्ड और इससे पीड़ित जनता के प्रति न्याय हो सके ।

**श्री अध्यक्ष** : यह स्थगन प्रस्ताव आज ही प्रस्तुत किया गया है । जहां तक माननीय सदस्य की टिप्पणी का सवाल है और इसमें जो तथ्य उल्लेखित हैं उसको तो मैंनें देख लिया है, किन्तु फिर भी जानकारी में प्राप्त न करूं तो यह ठीक नहीं होगा । जानकारी सरकार से प्राप्त किया जाना जरूरी है । ऐसी स्थिति में आज जो कुछ भी मेरे सामने सामग्री है वह आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर ही आधारित है ।

अगर आप चाहें तो जानकारी प्राप्त करके अपनी व्यवस्था दूं तो कल पर रख देता हूं और यदि ऐसा नहीं हो तो मैंने कुछ अपनी व्यवस्था दी है वह आपके स्थगन प्रस्ताव में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर दी है ।

अब प्रश्न यह रहा कि स्थगन प्रस्ताव पर स्टेटमेन्ट दिया जाने के सम्बन्ध में भी व्यवस्था सीमित है, वाद-विवाद सीमित होता है स्टेटमेन्ट दिये जाने के सम्बन्ध में वहां समय पर जब किसी प्रश्न के महत्व और उसकी विषमता को देखते हुए समय का सीमा के सम्बन्ध में अपनी उदारता दिखाता रहा हूं ।

इसके अतिरिक्त मैं, माननीय सदस्य चूंकि मैं दूसरे पक्ष की ओर से जानकारी प्राप्त नहीं कर सका हूं इसलिये मैंने इसको अस्वीकार नहीं किया है और आज ही स्टेटमेन्ट गृह-मन्त्रीजी को देने के लिये निवेदन किया है । अतः मैं चाहता हूं कि गृह-मन्त्रीजी इस पर स्टेटमेन्ट दें । जहां तक आपके उद्‌गारों का सम्बन्ध है आपके शब्दों को ध्यान में रखते हुए भी मैं उदार नीति से काम लूंगा ।

**श्री भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन करना यह है कि आप अपने नियमों का अवलोकन करेंगे तो नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि जो भी सदस्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना देना चाहें वह सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से आधा घण्टा पूर्व दे दें । 11 से 12 बजे तक प्रश्न चलते हैं । और प्रश्नोत्तर काल के बाद स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में निर्णय देना पड़ता है । नियमानुसार आसन से अपेक्षा की जाती है कि आसन चूंकि इस प्रस्ताव में एक लाइन लिखी रहती है कि सदन की आज की कार्यवाही इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने के लिये स्थगित की जावे, उसके सम्बन्ध में अगर नियमों के अनुसार हम आचरण करना चाहें तो उसी दिन तक सीमित है । उसके बाद स्थगित करते हैं तो नियम उसमें क्या करेगा ? यह आपकी कृपा है कि वह मसला दो तीन दिन तक चलता रहता है ।

**श्री अध्यक्ष** : आपके सहयोग से ।

# Page No 43



**श्री भैरोंसिह** : मैंने आज एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है और समय में दी है। इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, जो नियमों की स्थिति है उसके अनुसार एक प्रति माननीय गृहमन्त्री के पास भेज दी। स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं, बल्कि मैंने अपनी जानकारी के रूप में कल दस बजे भेज दी कि इस प्रकार की जानकारी मुझे मिली है, और दूसरे दिन अपना स्थगन प्रस्ताव आज आधे घण्टे पहले आपको दे दिया और इसकी प्रतियां भी गृहमन्त्री को भेज दीं। वे प्रतियां गृहमन्त्री के पास पहुंच भी गई। अब अगर ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से जानकारी एकत्रित नहीं की जा सकी और जानकारी सदन में नहीं दी जाती है तो यह गलती सरकार की है। इस मसले पर इस प्रस्ताव को स्थगित नहीं किया जा सकता। अगर जानकारी आपको नहीं दी गृहमन्त्रीजी ने तो जो मसला सही है, उसके आधार पर निर्णय लेना होगा।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने निर्णय दे दिया है।

**श्री भैरोंसिह** : मेरा निवेदन है कि पहले इस सम्बन्ध में विचार किया जावे कि इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करें। बाकी मसला तो बाद में आवेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि यदि इस प्रकार की चीज को हम नियमों के अनुसार सदन में लाकर प्रस्तुत नहीं कर सके तो राजस्थान में क्या होगा, कोई नहीं कह सकता ? राजस्थान में कई प्रकार की गम्भीर समस्याएं पैदा होंगी, उनका समाधान किस प्रकार से किया जावेगा इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैंने इस सम्बन्ध में सरकार को जहां तक सूचना देने का प्रश्न है मुझे याद है 17 तारीख को मुख्यमन्त्री को, अध्यक्ष महोदय, आपके चेम्बर में और आपके सामने, पूरी जानकारी तो उस समय नहीं थी, संकेत रूप में कहा था। मुख्यमन्त्री ने कहा कि और जानकारी कर लो। जानकारी करने के लिये मैं स्वयं बाद में गया। दो दिनों तक गांवों में जाकर सारी स्थिति को देखा। उस समय वहां एक पुलिस अधिकारी भी पहुंचा 15/20 मिनिट के लिये। अब वह किस लिये आया किस लिये नहीं आया यह तो नहीं पता लगा, पर मेरा अनुमान है कि मुख्य मन्त्री ने उसको टेलीफोन किया होगा और वह रस्मो रिवाज को पूरा करने के लिये वहां पहुंच गया होगा।

जहां तक सूचित करने का प्रश्न है सूचना 17 को मिल गई। इसके बाद चार बज गये तो टेलीफोन से सूचना दी।

**श्री अध्यक्ष** : मेरा प्रश्न है, जानकारी मुझे नहीं है।

**श्री भैरोंसिह** : यह कसूर मेरा नहीं, सरकार का है, सरकार ने गलती की, उसका दण्ड मैं भोगूं यह तो उचित नहीं होगा।

मैं प्रश्न नहीं करना चाहता पर अपने स्पष्टीकरण के लिये अपने भ्रम का निवारण करने के लिये आपसे जानकारी चाहूंगा कि मेरे स्थगन प्रस्ताव में कौनसी खामी है जिसके कारण आसन उसे स्वीकार नहीं करता है।

**श्री अध्यक्ष** : दूसरे पक्ष की ओर से जानकारी नहीं मिली है।

# Page No 44



**श्री भैरोंसिंह** : यह नियमों में जरूरी नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : मैं समझ गया आपकी बात को। मैं भी अपने डिसक्रिशन को एक्सरसाइज करूं इसके पूर्व दूसरे पक्ष की ओर से भी कुछ आना चाहिये।

**श्री भैरोंसिंह** : दूसरा पक्ष जान बूझकर नहीं दे तो ? और इस स्थिति में अगर आप अस्वीकार करते हैं तो मैं आपसे पहले निवेदन करूंगा कि रूल्स की यह कॉपी आप जला दीजिये। दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अगर रूल्स की कॉपी को रखना चाहते हैं तो ऐडजोर्नमेंट मोशन को जला दीजिये। हम इसलिये ऐडजोर्नमेंट मोशन रखें और आप......

**श्री अध्यक्ष** : जैसा सदन आदेश देगा।

**श्री भैरोंसिंह** : सदन का नियम है कि स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार प्रस्तुत किया जाय......

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानकारी करना चाहता हूं कि इन नियमों के अनुसार कौनसी खामी है जिसके अनुसार आप उसको स्वीकार नहीं करते ? आपका यह कहना दूसरे पक्ष ने जानकारी नहीं दी, मैं समझता हूं नियमों में प्रावधान नहीं है। नियमों में यह व्यवस्था है कि ऐडजोर्नमेंट मोशन की प्रति एक दिन पहले दी जाय। मैं उसकी एक प्रति सम्बन्धित मंत्री महोदय को समय से पूर्व दे चुका हूं मैंने समय से पहले नहीं एक दिन पहले विस्तृत टिप्पणी भेज दी थी ताकि उस पर माननीय मंत्री महोदय....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य व्यवस्था के आधार पर अब तक दिया जाता रहा है और यह परम्परा रही है..

**श्री भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, परम्परा और व्यवस्था तो दूसरे बनाने वाले हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं ऐसी कौनसी परम्परा बन गई है कि आप किसी भी स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करें।

**श्री अध्यक्ष** : अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूं। आप चाहें तो मैं कल के लिये स्थगित कर दूं....

**श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्नों को स्थगन प्रस्तावों के माध्यम से हम आपके द्वारा इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, और उन अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्नों को जो ऐसे गम्भीर प्रश्न हैं जो जनता के अन्दर एक प्रकार की खुल्लमखुल्ली चुनौती देने वाले और भयंकर स्थिति पैदा करने वाले, न्याय को चुनौती देने वाले, और इस प्रकार भय की स्थिति पैदा करने वाले, जिनसे जन-मानस विशेषतौर से प्रभावित होने वाला है, उन अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्नों पर आप विचार करते हैं, और विचार करने के बाद में उस पर सदन की सामान्य कार्यवाही को रोककर विचार करने की अनुमति प्रदान करते हैं। ऐसा इस सदन में पहले भी हुआ है, हालांकि ऐजीटेशन करने के बाद हुआ है, लेकिन यह हुआ है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं आप यह स्थगन प्रस्ताव इस सदन के सामने प्रस्तुत करें और इस स्थगन प्रस्ताव की जो घटना है वह बहुत ही सनसनी-पूर्ण है, दर्द भरी है,

(श्री दौलतराम सारण)

जन मानस को प्रभावित करने वाली है। इसलिये मैं राज्य सरकार को कहूंगा यह शासन के लिये चुनौती है, और जन-जीवन के अधिकारों की, और जन-जीवन के महत्व के लिये चुनौती है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, इतनी गम्भीर व्यवस्था को सदन में प्रस्तुत करें। आप स्थगन प्रस्तवों पर निर्णय स्थगित करें या केवल वक्तव्य का आसरा लें–यह आपकी सदन के प्लेटफार्म पर, सदन के-प्रांगण में हमें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं दें····

**श्री अध्यक्ष** : अवसर दूंगा।

**श्री दौलतराम सारण** : अध्यक्ष महोदय, यह हमारे अधिकारों से सम्बन्धित मसला है। आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं इसलिये मैं आपसे विशेषतौर से आग्रह करूंगा कि हमारे अधिकारों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुये इस स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान करें, और हमें अवसर दें, और उन अन्यायपूर्ण, बर्बरतापूर्ण न्यायोचित पूर्ण मानवीय घटनाओ के बारे में हम अपने विचार व्यक्त कर सकें ताकि जन-जीवन को मालूम हो कि शासन के लोग सत्ता के मद में किस प्रकार जनता पर अत्याचार करते हैं, किस प्रकार जनता पर अतिक्रमण करते ह, और किस प्रकार मानवता के बाहर.....

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य अभी वह प्रश्न आया ही नहीं है।

**श्री दौलतराम सारण** : ······ जाकर बड़े लोग, सत्ता के लोग बूढ़े लोगों पर प्रहार करते हैं, और महिलाओं की अस्मत और इज्जत को लूटते हैं······

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

**श्री दौलतराम सारण** : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है इस स्थगन प्रस्ताव की महत्ता को, अहमियत को, और इसकी गरिमा को जिसके अन्दर सदन के अधिकारों का पक्ष जुड़ा हुआ है उसको देखते हुए अनुमति प्रदान करेंगे। ऐसा मेरा आग्रह है। और, अध्यक्ष महोदय, नियमों में कोई प्रावधान नहीं है कि दूसरे पक्ष से जानकारी करें—वह गौण मामला है, अन्डरस्टुड मामला है और आपको जानकारी कर लेनी चाहिये थी।

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज।

**श्री दौलतराम सारण** : आपको आधे घंटे का समय दिया जाता है आप दूसरे पक्ष से जानकारी कर लें और अगर दूसरा पक्ष जानकारी न दे तो यह हमारे अधिकारों का अतिक्रमण है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिये मेरा······

**श्री अध्यक्ष** : मैंने इस सम्बन्ध में बार बार माननीय सदस्यों से निवेदन किया है। प्रश्न महत्वपूर्ण था इसलिये आज ले लिया है और प्रश्न महत्वपूर्ण होने के कारण वक्तव्य देने के लिये आज मैंने निर्देश दे दिया है, और जानकारी के लिये प्रश्न आज ही ले लिया है। जानकारी का समय दिखता नहीं है, और मैंने इस स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दे दी है। माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाया है। व्यवस्था के बाद स्टेटमेंट आयेगा और स्टेटमेंट पर माननीय सदस्य विचार अभिव्यक्त करेंगे। उस समय नियमों का रिलेक्सेशन कर दिया जायगा। जो व्यवस्था है वह पूरी व्यवस्था है, और

(श्री अध्यक्ष)
माननीय गृह-मंत्रीजी से निवेदन करूं कि वे अपना वक्तव्य दें।

**श्री विजयसिंह** (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था आपने दी है वैसे तो वह शिरोधार्य है लेकिन जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में और जिसने आज से नहीं 10 साल पहले से ही चक्र चला रखा है उसको मंत्रियों द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, उसकी वजह से वह व्यक्ति हर तरह से खुल्लमखुल्ला डकैतियां करता है, चोरी करता है, मारधाड़ करता है......

**श्री अध्यक्ष** : वक्तव्य के जरिये आप......

**श्री विजयसिंह** : हर व्यक्ति को डराना, धमकाना, मारना खुल्लमखुल्ला करता रहता है। इस प्रकार की व्यवस्था, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में चल रही है और पुलिस उस सम्बन्धी रिपोर्ट को दर्ज नहीं करती है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय ने निर्णय ले लिया है, आप मेहरबानी करके बैठ जाइये और वक्तव्य हो जाने दीजिये।

**श्री दौलतराम सारण** : अध्यक्ष महोदय, यह आपत्ति की बात है। अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है।

**श्री लादूराम मुलानियां** ( फागी ) : (बराबर साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष** : पॉइंट ऑफ ऑर्डर आ गया है। ऑर्डर प्लीज।

अजी माननीय सदस्य जी। ऑर्डर प्लीज। व्यवस्था का सवाल आ गया है।

**श्री दौलतराम सारण** : व्यवस्था का सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय। जब कोई भी सदस्य बोलता है उसके बीच बीच में बोलना आपत्तिजनक है। माननीय सदस्य को अगर कोई आपत्ति है तो वह केवल आसन का ध्यान आकर्षित करके ऐतराज कर सकता है लेकिन सदन की व्यवस्था को बनाये रखने के लिये और इस सदन के कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिये पब्लिक एक्सचेकर पर अधिक भार डालकर मुख्य सचेतक की पोस्ट पर रुपया खर्च किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था और अब पुनः आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि मुख्य सचेतक महोदय बिना आसन को सम्बोधित किये, बिना चेयर को सम्बोधित किये माननीय सदस्य के बीच हस्तक्षेप करते हैं। उधर से माननीय सदस्य बोल रहे हैं और इधर से मुख्य सचेतक महोदय बिना आसन को सम्बोधित किये डाइरेक्ट बात कर रहे हैं......

**श्री अध्यक्ष** : उधर माननीय सदस्य भी सम्बोधित नहीं कर रहे हैं।

**श्री दौलतराम सारण** : मुख्य सचेतक महोदय का यह व्यवहार आपत्तिजनक है। व्यवस्था बनाने में मुख्य सचेतक महोदय को सहयोग करना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर प्लीज।

# Page No 47



**श्री विजयसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो दिनोदिन हर तरह से जन-जीवन के लिये......

**श्री दौलतराम सारण** : अध्यक्ष महोदय, मेरे व्यवस्था के प्रश्न का क्या हुआ ?

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : यह नियमों के प्रतिकूल काम हो रहा है।

**श्री अध्यक्ष** : आॅर्डर प्लीज। नियमों की पालना नहीं की जा रही है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसका मतलब है अव्यवस्था हो रही है। अध्यक्ष महोदय व्यवस्था कायम नहीं कर रहे हैं।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय, तो व्यवस्था कायम कर रहे हैं लेकिन माननीय सदस्य नहीं कर रहे हैं।

**श्री विजयसिंह** : माननीय मुख्य सचेतक महोदय को बैठा दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य (श्री विजयसिंह) यह स्टेटमेंट पर आपने जो प्रश्न उठाया है—यह अवसर आपको बाद में मिल जायगा। तथ्यों के आधार पर उसको बाद में उठा सकगे इसके पूर्व नहीं।

**श्री विजयसिंह** : मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। नम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय......

**श्री अध्यक्ष** : आॅर्डर प्लीज।

**श्री दौलतराम सारण** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न था, मैं उस पर व्यवस्था चाहूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : सभी माननीय सदस्यों ने कह दिया है। आप उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

**श्री डूंगाराम राजोरिया** (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, पुनरावृत्ति नहीं है...

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

**श्री डूंगाराम राजोरिया** : अध्यक्ष महोदय, पुनरावृत्ति इसलिए नहीं है कि यह जो मसला हो रहा है इसको महत्व का नहीं समझकर...

**श्री अध्यक्ष** : यही माननीय अन्य सस्दयों ने अपने उद्गार इस संबंध में व्यक्त कर दिये हैं। आप भी वही कहना चाहते हैं इसके अतिरिक्त नहीं।

**श्री डूंगाराम राजोरिया** : इसके अलावा भी निवेदन करूंगा......

**श्री अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

**श्री डूंगाराम राजोरिया** : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो स्थगन प्रस्ताव है यह स्थगन प्रस्ताव इस रूप का है कि जो पिछड़े हुए लोग, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स......

**श्री अध्यक्ष** : वह रूप आ रहा है।

**श्री डूंगाराम राजोरिया** : अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी और जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको परेशान किया जा रहा है......

**श्री मदनसिंह** (दांतारामगढ़) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर......

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य पॉइन्ट ऑफ आर्डर है, स्थान ग्रहण करें।

**श्री दौलतराम सारण :** जब तक एक व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था नहीं दे दी जाये तब तक दूसरा व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठ सकता है।

**श्री अध्यक्ष :** प्रायः जब ऐसे विषम प्रश्न उपस्थित होते हैं इस सदन में तब जिन नियमों का हवाला आप देते हैं उन नियमों के अन्तर्गत याने उन नियमों की अनुपालना होती हो ऐसी स्थिति नहीं रहती है। इसलिए यदि कोई माननीय सदस्य कहीं बीच में इन्टरप्ट कर देता है माननीय सदस्य के बोलने के वक्त तो मैं उसको उदारवृत्ति से देखता हूं क्योंकि जब टेम्पर हाई होता है माननीय सदस्यों का उस समय में इन नियमों का अक्षरशः पालन करना कठिन हो जाता है और माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं इस प्रश्न को....

**श्री दौलतराम सारण :** फिर हमें छूट है।

**श्री अध्यक्ष :** और इसको माननीय सदस्यों ने देखा कि जब एक प्रश्न पर आपत्ति उठा दी अन्य सदस्यों ने– आपने स्वयं ने भी–फिर भी वही प्रश्न बार बार उठाया जा रहा है और माननीय सदस्यों को नियंत्रण में लाने का प्रयास मेरा विफल हुआ है। उन प्रयासों के अन्तर्गत कोई माननीय सदस्य इधर के या उधर के खड़े होकर कुछ कह देते हैं तो मैं इन नियमों के अनुसार नियमों के अनुपालना में रिजिडिटी लेने की स्थिति में नहीं हूं। माननीय सदस्य चीफ व्हिप भी हैं और सदन के माननीय सदस्य भी हैं और आपके कथन के अनुसार उनको सेलेरी भी मिलती है। इस संदर्भ में मैं अपनी तरफ से व्यवस्था दे दूं कि जिनको सेलेरी मिलती है आप वह कुछ न कहें तो यह न्यायसंगत नहीं है। इसलिए यह तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

माननीय गृह मंत्री जी।

**श्री डूंगाराम राजोरिया :** माननीय अध्यक्ष महोदय...।

**श्री अध्यक्ष :** आपको मैंने कह दिया है।

**श्री डूंगाराम राजोरिया :** पिछड़े वर्ग के लोगों पर अत्याचार होते हैं..।

**श्री अध्यक्ष :** पिछड़े वर्ग पर अत्याचार हो रहा है माननीय भैरोंसिंह जी ने उसकी पैरवी की है। आप स्थान ग्रहण करें। (श्री डूंगाराम राजोरिया के बोलने पर) चैयर ओन इट्स लेग्स।

श्री मदनसिंह।

**श्री मदनसिंह :** अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस घटना का मामला है ऐसी स्थिति भी आई है और उस पर आपने व्यवस्था भी दी। सवाल यह आता है कि इसको स्थगन प्रस्ताव मान लेना चाहिए तो यह किस आधार पर मान लेना चाहिए, वह मैं पूछना चाहता था। क्योंकि ऐसा नियम था कि कोई भी स्थगन प्रस्ताव को गम्भीर समझ लेते थे उस पर मिनिस्टर का वक्तव्य हो जाता था, और उस पर बहस भी हो जाती थी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव मान लेना चाहिए इसका कौनसा आधार है कि इसको मान लेना चाहिए ? आज तक तो माना नहीं गया–

**श्री अध्यक्ष** : यह पॉइन्ट आफ आर्डर नहीं है, माननीय सदस्य ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उनको कहने का मतलब यह है कि पहले हाउस को कनविन्स किया जाये ताकि हम भी उसके पक्ष में बोलें ।

**श्री मदनसिंह** : अध्यक्ष महोदय... ।

**श्री अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करें यह कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं । 22 मार्च, 1971 की कार्यसूची की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं । इसके अन्दर पहला आइटम है प्रश्न, दूसरा आइटम है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद और तीसरा आइटम है विधायी कार्य । अब मैं आपका ध्यान नियम 51 की ओर दिलाना चाहता हूं :

"Notice of an adjournment motion shall be given before the commencement of the sitting on the day on which the motion is proposed to be made to each of the following:-

(i) the Speaker, (ii) the Minister concerned and (iii) the Secretary."

इसके साथ में मैं आपका ध्यान नियम 54 की ओर दिलाना चाहता हूं :

"The Speaker if he gives consent under rule 50 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned who shall rise in his place and ask for leave to move the adjournment of the House:

Provided that where the Speaker has refused his consent under rule 50 or is of opinion that matter proposed to be discussed is not in order, he may, if he thinks it necessary, read the notice of motion and state the reasons for refusing consent or holding the motion as being not in order.

2. If objection to leave being granted is taken, the Speaker shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, If not less than 1/10th of the total number of members rise accordingly, the Speaker shall intimated that leave is granted, If less than one-tenth of the total number of members rise the Speaker shall inform the member that he has not the leave of the House."

अध्यक्ष महोदय, नियम 54 के अनुसार यह जो मैंने कार्य सूची पढ़ी और मैंने नियम 51 का हवाला दिया, नियम 54 का हवाला दिया जिसमें हवाला नियम 50 का भी आयेगा । इन सब को पढ़ने के बाद आज की जो कार्यसूची है इस कार्यसूची के पहले आइटम में है प्रश्न । यह समाप्त होगा और यह एडजोर्नमेन्ट मोशन का जो नियम है इसके अनुसार 12 बजे प्रश्नोत्तर काल समाप्त होने के बाद आइटम नं० 2 राज्यपाल महोदय

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के अभिभाषण पर वाद-विवाद और आइटम नं० 3 है विधायी कार्य । मोशन यह है कि यह जो शिड्यूल्ड बिजिनेस याने आइटम नम्बर 2 और 3 हैं of the schedule of business should be postponed. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पोस्टपोन किया जाये याने मुख्य मंत्रीजी का उत्तर होने वाला है वह अभी नहीं होकर बाद में हो, केवल इतना सा प्रश्न है और हमारे सदन में 12 बजे के बाद जो एडजोर्नमेन्ट मोशन है और पब्लिक इम्पार्टेन्स का है The question is definitely of public importance. जो नियम 50 है हवाला दिया है यह प्रश्न प्रश्नोत्तर काल के बाद लिया जायेगा यह उसी दिन लिया जायगा । उसी दिन उसका नोटिस दिया जायगा । इसके अन्दर कहीं भी नियमों के अन्तर्गत पहला प्रश्न यह है कि राज्य सरकार को जानकारी प्राप्त करने का नियमों म कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है एक बात । जब यह प्रावधान नहीं है तो नियमों की भावना और नियमों का भाव यह है कि अगर स्पीकर महोदय के लिये कन्डीशन्स लगाई गई हैं कि जिसमें स्पीकर महोदय 54 के तहत में रिफ्यूज करें ।

54 —"if he thinks it necessary, read the notice of motion and state the reasons for refusing consent or holding the motion as being not in order.." आपने स्पेसिफिकली यह नहीं कहा कि मैं एडजोर्नमेन्ट मोशन को मंजूर करता हूं mean naturally the scheduled business is not takeing place. 12 बजे के बाद आइटम नं० 2 on the agenda should have been taken. जब आइटम नं० 2 नहीं लिया गया है और अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि माननीय गृह मंत्रीजी अपना वक्तव्य दें इसका मतलब यह है that the item no. 2 of the agenda is adjourned and the Minister may give a statement. इसलिए बाई नेसेसरी इम्प्लीकेशन और आपने जो आदेश दिये हैं कि माननीय गृह मंत्री जी एक वक्तव्य द इसका मतलब यह है कि item No 2 on the agenda that stands adjourned. और जब वह स्टेण्ड्स एडजर्न है तो सारे विवाद में घन्टा लगे, 2 घन्टा लगे, 3 घन्टा लगे इसको कोई नहीं कह सकता कि कितना समय लगे-लेकिन यह निश्चित बात है कि आपने जो आदेश दिये हैं उसका परिणाम यह है कि जो शिड्यूल्ड बिजिनेस आज के हाउस का है वह एडजोर्न्ड हो गया और उसको टेक अप नहीं कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि By necessary implication that corrollary from your order comes to the conclusion that the business should be adjourned.

अब प्रश्न प्रतिष्ठा का ऐसा लगता है कि मैं इस मोशन को एडमिट करूं या नहीं, यह बात हो तो अलग बात है, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, नियमों में जो प्रावधान है, जो उसकी भावना है उस भावना में यह लिखा है कि 1/10 भाग इस सदन के माननीय सदस्यों का इस केस के पक्ष में खड़े होजाय जैसे सरकार की तरफ से आपत्ति की जाय यह मोशन एडमिट नहीं किया जाय, मान लें कि मुख्य सचेतक महोदय आपत्ति करते हैं कि मोशन एडमिट नहीं होना चाहिए और आप कहते हैं कि इस प्रस्ताव के पक्ष में जो सदस्य हों खड़े हो जायं तो

**(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )**

वन टेन्थ नम्बर ओफ दी मेम्बर्स आफ दी हाउस रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब यह है कि 18 सदस्य हों और 18 सदस्यों से आप पूछ सकते हैं इस प्रस्ताव के संम्बन्ध में और आप चाहें तो खड़े कर सकते हैं। मैं यह भी कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इस प्रस्ताव के पक्ष में 18 सदस्य नहीं होंगे बल्कि 18 से ज्यादा सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं जो कि इसकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के बारे में अपनी सहमति प्रदान करते हैं। जब वे सहमति प्रदान करते हैं तो नियमों की भावना में one-tenth of the members of the House are in favour of the motion, there is no question for refusing the motion raised by the member.

आपके रीजन्स देने की बात है कि दी मोशन इज नाट इन ऑर्डर। केवल दो वर्ड्स हैं। Holding motion is not in order and state reasons for refusing the consent. कन्सेंट रिफ्यूज करने के रीजन्स की कोई जानकारी नहीं है। You are satisfied that there is ground and primarily you are satisfied that the schedule of business should be adjourned. इसका मतलब यह है कि यह मेटर पब्लिक इम्पोर्टेन्स का है। आप इस बात से कन्वीन्स्ड हैं और चाहते हैं कि इस मामले पर तुरन्त वक्तव्य होना चाहिये। आप इस बात को मानते हैं और आपने आदेश दिया है। Scheduled business should not be taken and it should be adjourned and the matter should be disposed of. तो निवेदन करना चाहता हूं कि अब केवल एडजर्नमेन्ट मोशन एडमिट किया जाना रहा और दो घन्टे का समय निर्धारित किया जाना चाहिए। उसमें और इस प्रक्रिया में कोई अन्तर नहीं है। केवल इतना ही अन्तर होगा कि जिसने मोशन किया है मूव वह सदस्य पहले बोलेगा और सरकार का उत्तर बाद में होगा और उस मेम्बर को राइट आफ रिप्लाई होगा। इसके अलावा दूसरे का कोई नहीं है। मोशन के मूवर को रांईट आफ रिप्लाई होगा। प्रक्रिया जो कुछ की जाती है यह निर्धारित है।

इसलिए स्टेटमेन्ट का प्रश्न कहीं नहीं है और मैं पूछना चाहता हूं कि इन नियमों में कहीं प्रावधान है कि स्टेटमेन्ट दिया जाय। कहीं प्रावधान नहीं है। जब यह प्रविधान लाना है कि एडजोर्नमेन्ट मोशन के बाद इमीजियेटली आप यह कहते हैं गवर्नमेन्ट से कि इसमें स्टेटमेन्ट दो तो कोई नियमों में प्रावधान नहीं है, कोई भी माननीय सदस्य कह सकता है। मैं खुद एडजार्नमेन्ट मोशन पर दस्तखत करने वाले सदस्य खड़े होते हुए भी खड़े होकर कहता कि इन नियमों में कहीं प्रावधान नहीं है कि गवर्नमेन्ट स्टेटमेन्ट देगी। कहां लिखा है? इन नियमों में जो प्रावधान है, जो भावना है, उसके पीछे जो स्प्रिट है उसके आधार पर और आपने जो आदेश दिया है उस आदेश की भावना निश्चित रूप से यह है कि आप उसकी गम्भीरता को समझते हैं, आप उससे कन्वीस्ड हैं। आपने अपना माइण्ड एप्लाई किया है और आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हाउस का नार्मल बिजिनैस एडजर्न होना चाहिए और मिनिस्टर महोदय का स्टेटमेन्ट होना चाहिए, इस

**(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)**

सम्बन्ध में डिबेट होनी चाहिए, क्वेश्चन्स पूछने चाहिए और वेरीफिकेशन होना चाहिए। आपने जब इतना आदेश दे दिया तो नियम 50 के तहत यह क्वेश्चन ऑर्डर में आ जाता है, और पब्लिक इम्पार्टेन्स का है यह माइण्ड आपने एप्लाई कर लिया है, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश का इन्टेन्शन यह है कि आप इसको एडमिट करते हैं और दो घण्टे का समय इसके लिए निर्धारित करते हैं, तो अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि सारे नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत इस मोशन को एडमिट किया जा रहा है, और इस मोशन को एक प्रकार से एडमिट कर लिया है। टेक्निकली कहने की बात है इसके अलावा कुछ नहीं है। तो नार्मल बिजिनेस का जो शेड्यूल्ड टाइम है कि आइटम नं० 2, 12 बजे लेना चाहिए मगर वह 2 बजे से पहले शुरू नहीं होगा चाहे स्टेटमेन्ट हो चाहे आप इसको एडमिट करें। दो बजे से पहले आइटम नं0 2 नहीं लिया जायगा तो इस मोशन का डिस्कस किया जाय और मोशन मूव करने वाले सदस्य को इसको पेश करने के लिए कोई एतराज का प्रश्न खड़ा नहीं होता है।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन एवं शंकरलाल:**

अध्यक्ष महोदय ...

**श्री अध्यक्ष** : मैं कोई सहायता इस सम्बन्ध में नहीं चाहता। जब तक मैं न कहूँ कि आप मदद दें तब तक आप बोलें नहीं।

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है और पूरा भाषण उनको देने दिया जाय कि वे कन्वीन्स करें कि घटना क्या है?

**श्री अध्यक्ष** : अभी तक तो व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री मदनसिंह** : इसका हो गया है।

**श्री अध्यक्ष** : व्यवस्था नहीं दी।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट हमें भी सुन लें।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं (विराम) श्री भैरोंसिंह द्वारा दिये गये स्थगन-प्रस्ताव पर आसन की ओर से सरकार को वक्तव्य दिये जाने का आदेश को लेकर श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए जो कुछ कहा है उसका आशय यह है कि स्थगन-प्रस्ताव नियमों के अन्तर्गत या तो स्वीकार ही किया जाता है या अस्वीकार, किन्तु अस्वीकार किये जाने की स्थिति में सरकार की ओर से उस पर वक्तव्य दिलाये जाने का प्रावधान हमारे नियमों के अन्तर्गत नहीं आता अत: मन्त्री द्वारा उस पर वक्तव्य नहीं दिया जा सकता।

स्थगन-प्रस्ताव पर जहां तक स्टेटमेन्ट देने का प्रश्न है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि नियमान्तर्गत नहीं है, वस्तुत: हमारे नियमों में इसका प्रावधान नहीं होते हुए भी, यहां इन प्रस्तावों की गंभीरता एवं महत्व को देखते हुए आसन के आदेश पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिये जाते रहे हैं।

**एक माननीय सदस्य** : और आप लोग बोलते जाते हैं।

**श्री अध्यक्ष :** आपको अधिकार है ? आप एक्सर साईज कर लेते हैं अधिकार नहीं होते हुए भी।

मैं स्थिति को थोडा और स्पष्ट करना चाहूंगा। स्थगन-प्रस्ताव केवल अविलम्बनीय लोक महत्व का होने पर ही स्वीकार किया जाता है, परन्तु प्रस्ताव को अस्वीकार किये जाने पर भी उससे सम्बन्धित विषय की इम्पॉर्टेन्स समझनी जाती है, और उसी के आधार पर यदा कदा वक्तव्य देने के लिये आसन से आदेश दिया जाता है।

इस संदभ में "पब्लिक इम्पॉर्टेन्स" और "इम्पॉर्टेन्स" इन दोनों में भेद की व्याख्या की जाना आवश्यक है। कोई भी प्रस्ताव "पब्लिक इम्पॉर्टेन्स" अथवा "लोक महत्व" का न होते हुये भी इम्पॉर्टेन्स अथवा महत्व का हो सकता है और उसमें माननीय सदस्यों की दिलचस्पी भी हो सकती है। अत: प्रस्ताव पर स्वीकृति दिये जाने के पूर्व देखना यह होता है कि प्रस्ताव लोक महत्व का है और वह भी अविलम्बनीय लोक महत्व का। यदि ऐसा नहीं है तो वह प्रस्ताव महत्व का होते हुए भी और माननीय सदस्यों की उसमें दिलचस्पी होते हुए भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि स्वीकृति होने की स्थिति में सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर उस पर अविलम्बनीय रूप से विचार किया जाना अनिवार्य होता है।

प्रस्ताव के विषय को लोक महत्व का किस आधार पर माना जाय इसकी परिभाषा अथवा विवेचन हमारे प्रतिक्रिया नियमों के अन्तर्गत नहीं है और ऐसी स्थिति में इस प्रश्न पर निर्णय लिये जाने के लिये हमारे सदन को तत्सम्बन्धी परम्पराओं, व्यवस्थाओं एवं मान्यताओं का ही आधार लिया जा सकता है।

अत: उक्त संदर्भ में यदि कोई स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं होते हुए भी केवल महत्वपूर्ण है और माननीय सदस्यों की उसमें दिलचस्पी है तो उस स्थिति में प्रस्ताव उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में सरकार से जानकारी प्राप्त कर वक्तव्य दिलाये जाने की परम्परा इस सदन की रही है।

यद्यपि जैसा माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र ने बतलाया स्थगन-प्रस्ताव से सम्बन्धित कार्य-विधि के नियमों की श्रृंखला में ऐसे वक्तव्य दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, किन्तु किसी महत्वपूर्ण विषय पर मन्त्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिये जाने के अधिकार का समावेश प्रक्रिया के अन्य नियम 290 में है। अत: जो भी वक्तव्य स्थगन-प्रस्तावों पर अब तक दिलाये जाते रहे हैं, वे इस सदन की परम्पराओं और व्यवस्थाओं पर आधारित हैं, भलेही वे सम्यक् रूप से नियमों की परिधि में न आयें।

ऐसी स्थिति में जो आदेश स्थगन-प्रस्ताव पर वक्तव्य देने का दिया गया है वह न्याय-संगत है।

इसी पृष्ठ भूमि में मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि यह प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। इस आसन की प्रतिष्ठा सदैव माननीय सदस्यों द्वारा बढाई जाती रही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा यहां पर नहीं है। जो नियमों का हवाला माननीय सदस्य ने दिया है। नियम 54, नियम 51, नियम 50 के

# Page No 54



(श्री अध्यक्ष)

अन्तर्गत म स्थगन-प्रस्ताव के इन आर्डर होने का उल्लेख है, यदि न आॅर्डर हैं तो कन्सेन्ट दी जा सकती है और यदि उक्त कन्सेन्ट देने पर ट्रेजरी बेन्चेज उसका विरोध करती है तो 1/10 सदस्यों को इसकी पुष्टि में खड़े होकर पुष्टि करना होता है—जिसका उल्लेख माननीय सदस्यों ने किया है कि जहां तक माननीय सदस्यों ने इसकी व्याख्या की है वह बिल्कुल ठीक है। मैं कहूंगा कि यदि ट्रेजरी बेन्चेज इसको स्वीकार नहीं करें, अपोज करे तो मैं माननीय सदस्यों से 1/10 के लिए निवेदन करके उस पर से सन्तोष प्राप्त कर सकता हूं। किन्तु मैंने इस पर स्वीकृति नहीं दी। लेकिन इस सम्बन्ध में जब मैंने इसको अस्वीकार किया, इन आर्डर नहीं माना तब तो माननीय सदस्य ने जिन नियमों का हवाला दिया उनका प्रयोग पूरा नहीं होता।

अब प्रश्न रहा माननीय सदस्य ने जैसा कि इस सदन को बतलाया कि स्टेटमेन्ट दिया ही नहीं जाता है। अगर माननीय सदस्य भविष्य के लिए यह नीति निर्धारित कर दें कि अब भविष्य में एडजोर्नमेन्ट मोशन रिजेक्ट होने पर वक्तव्य नहीं दिये जाते तो बात अलग है। लेकिन हमारी यह परम्परा बन गई है कि जो इम्पॉर्टेन्ट प्रश्न हैं, उन पर सम्बन्धित माननीय मन्त्री महोदय को स्टेटमेण्ट दिये जाने को कहा जाता रहा है। एडजोर्नमेन्ट मोशन रिजेक्ट किये जाते रहे हैं जो इन नियमों के अन्तर्गत हैं। स्टेटमेन्ट दिये जाने का प्रावधान इससे सम्बन्धित नहीं करता हूं। किन्तु यदि कोई मंत्री आसन की अनुमति से इण्डिपेन्डेन्ट ऑफ दी स्थगन प्रस्ताव स्टटमेन्ट देना चाहे तो स्टेटमेन्ट दिये जाने को कहा जाता रहा है। वह दे सकता है। माननीय सदस्यों को भी समय दिया जाता रहा है– to elicit information on the subject. कन्वेशन स्टेटमेन्ट देने के रहे है। इसे सदन ने स्वीकार किया है। इन्फामशन सीक करने के और स्टेटमेन्ट देते रहने के कन्वेन्शन बन गये हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि it stands adjourned. बाई इम्प्लीकेशन और बाई......इस तरह के जो शब्द इस्तेमाल किये हैं, यह स्थिति अलग है It is only in the peculiar circumstances created in the House and by the liberal attitude adopted by the Chair. इसलिए मैं तो यह मानकर नहीं चलता हूं कि टू इलिसिट इनफोर्मेशन का मतलब यह है कि it has been adjourned. यह कहा गया है कि माननीय मन्त्री महोदय इस पर वक्तव्य देंगे। और वक्तव्य देने पर अधिक से अधिक 15 मिनट......

**श्री सतीश अग्रवाल** (अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष** : वह मैं कह रहा हूं। तो, स्टैण्ड एडजोर्नमेन्ट नहीं होता है। यह विशेष परिस्थितियों पर है। इसलिए माननीय सदस्य, वह स्थिति यहां पैदा नहीं होती है। मेरा ख्याल है कि यह वक्तव्य देने की परम्परा माननीय सदस्यों को सहायता देने वाला बन गया है नियम होने पर भी यह परम्परा हट नहीं सकती है। माननीय सदस्य ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। इससे पूर्व भी यह प्रश्न उठाया जा चुका है। उसमें भी मैंने यही रूलिंग दी है। अब

(श्री अध्यक्ष)

मैं भविष्य के लिए इस सारे विवाद को समाप्त करके यह व्यवस्था देता हूं आपके व्यवस्था के प्रश्न को मेरी इन्हीं मान्यताओं के आधार पर आपके चाहते हुये भी स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

मैं यह चाहूंगा कि काफी समय इस प्रश्न पर ले लिया गया है, और भी सदस्य लेंगे, क्योंकि वह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए इस प्रश्न पर वक्तव्य दे दिया जावेगा। माननीय सदस्य उस पर अपनी उग्रता व्यक्त न करें।

**श्री भैरोंसिंह** (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाहूंगा, आपने स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी है। मैं जो सुन पाया हूं, इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और गृहमन्त्री महोदय वक्तव्य देंगे। आपने उस समय यह नहीं कहा कि मैं स्वीकार करता हूं या अस्वीकार करता हूं। आपने जो पढ़ कर सुनाया है, मेरी जानकारी में इसी प्रकार का है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, इस सम्बन्ध में जो कहा है, वह पढ़कर सुना देता हूं।

'मैं माननीय गृहमन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस विषय में सूचना आज ही एकत्रित कर वक्तव्य देने की कृपा करें।'

इसके अतिरिक्त मूल प्रस्ताव पर लिखा है।

**श्री भैरोंसिंह** : मूल प्रस्ताव हो तो।

**श्री मदनसिंह** (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, भैरोंसिंह जी के प्रस्ताव पर क्या आपने ऐसा फरमाया है कि मैं स्वीकृति नहीं देता हूं ?

**श्री अध्यक्ष** : आज ही जानकारी प्राप्त की जाये। घटना की स्थिति को देखते हुये आवश्यक यह होगा कि उक्त प्रस्ताव पर आज ही स्टेटमेन्ट दिलाया जाये। स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं होने से सदन की कार्यवाही स्थगित की जाकर चर्चा करना उचित नहीं है। अतः स्टेटमेन्ट गृहमंत्री देवें।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : जो बात हाउस में आपने अपने मुखारविन्द से फरमाई है......

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, पक्ति का इधर उधर होना (अल्प विराम) यह जो नोट बनाये जाते हैं, मेरे आदेश से ही बनाये जाते हैं। मूल का सहारा लेते हुये।

**श्री भैरोंसिंह** : मैं तो यह समझता हूं कि इस सदन में मेरा प्रस्ताव रिजेक्ट नहीं किया है।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने बार बार कहा है।

**श्री भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, नहीं कहा है।

**श्री अध्यक्ष** : इधर-उधर और बात नहीं कह सकते हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, आप को निवेदन करूंगा, एक रूल के अनुसार सदन में चर्चा नहीं होगी। आप ने सदन में पढ़कर सुनाया है। यह तो एक नया चेप्टर खोला है।

**श्री अध्यक्ष** : इस प्रस्ताव पर आप देख सकते हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, आप ने कुछ भी लिखा हो, आप यह मानकर चलेंगे कि व्यवस्था तो आप ही देंगे।

**श्री अध्यक्ष** : यह प्रिविलेज नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : मेरा निवेदन यह है कि इस सदन में माननीय सदस्यों के समक्ष एडजोर्नमेन्ट मोशन की चर्चा की है। उस समय यह नहीं कहा है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया या अस्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि प्रस्ताव जिस हालत में था वहीं स्टेण्ड करता है। यह स्थिति है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय और मुझे इस सारी घटना को सदन में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाय। मैं यह भी, अध्यक्ष महोदय, मान कर चल रहा हूं। कि आप आगे चल कर हम सबको अनुमति देने वाले है, उससे पहले सारा विवरण सदन के सामने आ जाय। मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि जिन महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, उनका अभी मेडिकल एक्जामिनेशन हुआ है, वह विधान सभा भवन म भी आ गई हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं और कांग्रेस पक्ष से भी निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : बाद में प्रश्न आ जायगा।

**श्री भैरोंसिंह** : मैं गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, वह वक्तव्य देने से पहले कम से कम पीड़ित महिलाओं से बातचीत कर लें ताकि असलियत का उनको पता लग जाय कि किस प्रकार की स्थिति उनके साथ हुई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही इस प्रश्न पर विचार करने के लिए स्थगित की जाय और सदन के माननीय मंत्री, इस सदन के माननीय सदस्य, इस सदन के विरोधी दलों के माननीय सदस्य उन महिलाओं से बातचीत कर लें, ताकि उन्हें स्वयं जानकारी मिल जाय कि उनके साथ में किस प्रकार से अन्याय किया गया है। फिर अध्यक्ष महोदय, आप उचित समझें उनको सुनने के बाद में कि ऐसा प्रश्न नहीं बनता है कि जिससे सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाय तो जिस प्रकार का आप निर्णय देंगे उस निर्णय में बंध कर हमको आगे कार्यवाही करनी पड़ेगी। इस सदन के अध्यक्ष होने के नाते।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : आन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस विषय में रूलिंग दे दी है, अब उसके बाद माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कनवेस कर रहे हैं जो रूलिंग आपने दी है, उसमें इस एडजोर्नमेन्ट मोशन को रिजेक्ट कर दिया है और उस पर वक्तव्य देने के लिए माननीय मंत्री महोदय को फर्माया है, उसके विपरीत अब माननीय सदस्य द्वारा इस प्रकार कनवेस किया जाय कि माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी रूलिंग को बदलें उन औरतों से बात की जाय, उसके बाद

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

में माननीय सदस्यों को यहां अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया जाय – यह नियमों के विपरीत है। जब आपने उसके सम्बन्ध में विचार करके यहां पर रूलिंग उसपर अपने मुखारविन्द से दी है।

**श्री अध्यक्ष** : मेरा मुखारबिन्द नहीं है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : इस प्रकार चेअर के द्वारा व्यवस्था देने के बाद इस प्रकार की बात कहना, चेअर की रूलिंग को यहां पर चैलेंज करना—यह बिल्कुल हमारी जो परम्परायें हैं, कन्वेन्शन्स हैं हैं उनके विपरीत है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो परम्परायें हैं...

**सदन में पर्चे एवं नारेबाजी**

(सदन के प्रांगण पर दर्शकदीर्घा से पर्चे फेंके गये)

(दर्शकदीर्घा से कुछ दर्शकों द्वारा नारे लगाये गये)

(इन्कलाब जिन्दाबाद, मिट्टी का तेल बन्द हो गया, मिट्टी का तेल बन्द हो गया)

**श्री मदनसिंह** : अध्यक्ष महोदय......

**श्री अध्यक्ष** : अभी ठहरिये, अभी देख लीजिये।

**श्री मदनसिंह** : इसको क्यों इम्पॉर्टेन्स दे रहे हैं?

**श्री अध्यक्ष** : कुछ अन्दर पड़े हैं उनको मुझको हटाने दीजिये।

**श्री मदनसिंह** : हमें हुक्म दें तो हम हटा दें अभी।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह मिट्टी के तेल और कोयले का प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष** : अब व्यवस्था का प्रश्न समाप्त हो गया है।

**श्री मदनसिंह** : मेरा निवेदन था। मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि श्री भैरोंसिंह जी ने, अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का प्रस्ताव रखा था, उसकी वास्तविकता तब मालूम हो सकती है जब वक्तव्य हो। उसके बाद हमारे द्वारा विचार करने का प्रश्न पैदा होता है। यह मोटी सी बात है आपने उस प्रस्ताव को क्यों रिजेक्ट किया है? क्या आपने कोई इन्क्वायरी कराई है? अगर यहां पर वक्तव्य हो जाता है तो उससे मालूम हो सकता है कि वाकई यह पब्लिक इम्पॉर्टेन्स का है या नहीं। आपने इसको पब्लिक इम्पॉर्टेन्स का न मान कर इम्पॉर्टेन्स का माना है फिर चेअर खुद मानती है कि कम से कम इस पर वक्तव्य हो। अगर वक्तव्य हो जाता है तो सारी स्थिति सदन के सामने आ जाती है। यहां पर कई बार ऐसे मौके आये हैं जब कोई बाहर घटना हुई है तो यहां पर चर्चा करने का मौका दिया है। यह इस सदन के माननीय सदस्यों ने देखा है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह पब्लिक इम्पॉर्टेन्स का मामला है और इस मामले पर मौका दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : कन्विन्स करने का सवाल नहीं है। मेरा प्रश्न दूसरा है, जो माननीय सदस्यों ने अभी देखा होगा कि गैलेरीज से कुछ पर्चे फेंके गये और कुछ आवाजें हुईं। मैं उसमें दिलचस्पी रखूं या नहीं—यह प्रश्न है।

# Page No 58



**श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर)** : अध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था रही तो......

**श्री रामनारायण चौधरी** : बैठ जाइये।

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज !

**श्री रामचन्द्र आर्य** : तो हम भी ऐसा करेंगे। जो असंतोष है वह सीमा पार कर गया है......

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर, माननीय सदस्य !

**श्री मदनसिंह** : आपके पक्ष में कह रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : मैं निवेदन करना चाहूंगा। अब, हमारे वाच एण्ड वार्ड के कर्मचारी उनको यहां से ले गये हैं। दे विल रिमेन इन कस्टडी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का निपटारा शीघ्र हो जाय। जो भी हो, इधर उधर निर्णय हो—वह हो जाय, अन्यथा आज निर्णय नहीं होगा तो वह कस्टडी में रहेंगे और कई प्रश्न पैदा होंगे। तो मैंने सदन को जानकारी दे दी है, यह स्थिति में अभी देख रहा था जो कुछ हुई......

**एक माननीय सदस्य** : आज ही करो।

**श्री विजयसिंह (मकराना)** : मुख्य सचेतक इस प्रकार की गलत बात करते हैं और......

**श्री भैरोंसिंह** : पहले तो ऐसे प्रश्न का विरोध करते हैं और अब भाग कर जा रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : गवर्नमेंट बैंचेज आर साइलेन्ट।

**श्री दौलतराम सारण** : अनुमति लेने के लिए गये हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री)**: अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में इस मामले का पहले फैसला कर देना चाहिए। जिन लोगों ने ऊपर से सदन में ट्रेसपास किया है, इस तरह की हरकत की है उनका फैसला आप पहले फर्मा दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : क्या प्रोसीजर है ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : हमें क्या पता, गवर्नमेन्ट कहे।

**श्री भैरोंसिंह** : चीफ व्हिप से पूछिये, उन्हें साढ़े सात सौ माहवार मिलते हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : सवा ग्यारह सौ की तनख्वाह चीफ व्हिप को मिलती है, फोकट की।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : यह ग्यारह सौ इन्हें बहुत अखरते हैं, इन ग्यारह सौ का बंटवारा कर दिया जाय तो अच्छा है।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : पोंगे।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सदन के अन्दर पहले भी कई मौके आये हैं, और जिन लोगों ने हरकत की, उनको सदन के सामने पेश किया गया और आपके द्वारा सदन की गाइडेंस लेकर उनको सजा दी गई।

**श्री अध्यक्ष** : पहले ऐसा प्रश्न आये तो, आई ट्रीट एज ए मोशन ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यस सर।

**श्री अध्यक्ष** : पहले ऐसा प्रश्न आया था उसमें सदन में मेरे ख्याल से इस तरह का निर्णय लिया था। मैं रख देता हूं उसको।

"श्री छीतरलाल शर्मा ने ग्राम पंचायत अलोद, तहसील हिन्डौन, जिला बूंदी......सदन के माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि आज प्रात: काल प्रश्नोत्तर काल की समाप्ति के उपरान्त कुछ व्यक्तियों ने जो कि दर्शक गैलेरियों के अन्दर उपस्थित थे, सदन के फ्लोर के ऊपर अतिक्रमण करके इस सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई और उन्होंने न केवल बाधा ही पहुंचाई किन्तु सदन का एक बड़ा भारी अपमान किया। तुरन्त ही सदन के सदस्यों के सामने सार्जेन्ट एट आर्म्स ने मेरी आज्ञा से उन लोगों को अपने अधिकार में ले लिया और उनसे पूछताछ करने के बाद......

उस वक्त मेरे ख्याल में सदन में उनकी जानकारी करने के बाद इस सदन को अवगत किया है, यह जानकारी नाम की, वगैरह की है। सदन ने यह निर्णय दिया था कि इसकी चेम्बर में ही ट्रायल कर लीजिये, एक मत से। उसकी ट्रायल करने का प्रश्न, सजा का प्रश्न इस आसन पर रखा था और फिर सदन को जानकारी दे दी। इस तरह का था। आप मुझे सुझाव दे दीजिये, क्या किया जाय।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : हमें क्या मालूम। गवर्नमेंट की तरफ से प्रस्ताव आये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने आलरेडी मूव कर दिया है मोशन।

**श्री भैरोंसिंह** : कौनसा मोशन मूव कर दिया है?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : कौनसा मूव किया है?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आपने सुना नहीं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : हाउस में कोई मोशन मूव नहीं किया है।

**श्री अध्यक्ष** : Motion has been moved.

**श्री विजय सिंह** : They should know it.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : They are a bankrupt mind.

**श्री अध्यक्ष** : वापिस लाया जाय।

**श्री गिरधारी लाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन की कार्यवाही में जिन लोगों ने पर्चे फेंक कर बाधा पहुंचायी हैं और सदन का घोर अपमान किया है और नारे लगाये हैं उनको सदन में उपस्थित करके उनको गलत कार्यवाही के लिए सजा दी जाय।

**श्री रामनारायण चौधरी** : गलत कार्यवाही के लिए......

**श्री विजय सिंह** : अन्डर व्हाट रूल?

**श्री भैरोंसिंह** : मोशन आने दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : मोशन मूव्ड।

**श्री भैरोंसिंह** : मोशन है कहां? वह मर्जी आय वैसे खड़े होकर बोल गये।

(श्री भैरोंसिंह)

Motion should come in a proper form.

**श्री बालसिंह सोढ़ा** : यह तो जैसे चाहें वह मूव कर देते हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह मोशन रखा है, यह आपने कौनसे नियम के अन्तर्गत रखा है। सवा ग्यारह सौ आपको तनख्वाह मिलती है, आप बताइये कि कौनसे नियम में है ? अब आप किताब पढ़ रहे है।

**श्री भैरोंसिंह** : मोशन पहले मूव कर दिया और अब किताब पढ़ रहे हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : इससे मालूम होता है कि सरकार कैसी चलती है, कैसी बैंक्रप्ट है . . .

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : आप बैंक्रप्ट ही नहीं, आप कानून की अवहेलना करते हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : लाइये ना प्रस्ताव।

**श्री विजयसिंह** : फोकट की तनख्वाह लेते हैं, फोकट का बंगला, फोकट की कार......

**श्री दौलतराम सारण** : फोकट की मत कहिये, जनता का पैसा लगता है। वापिस लीजिये आप अपने शब्द !

**श्री अध्यक्ष** : देखिये, मैं निवेदन करूं . .

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैं जानकारी चाहता हूं कि कौनसे नियम के तहत प्रस्ताव रखा है ?

**श्री अध्यक्ष** : मैं निवेदन कर दूं......

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आपके निवेदन का कोई सवाल नहीं है। आप तो वैसे ही पारंगत थे, इसलिए अध्यक्ष बनाया है।

**श्री अध्यक्ष** : (श्री लादूराम सुलानिया के खड़े होने पर) आप बैठिये, कानूनी मसला है। अभी माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

**श्री लादूराम सुलानिया** : हम जानना चाहते हैं कि यह कौनसे नियम के अन्तर्गत मूव किया है . .

**श्री अध्यक्ष** : आप बोल क्या रहे हैं? बैठिये। स्थान ग्रहण करें।

**श्री डूंगाराम राजोरिया** : अध्यक्ष महोदय, आप सदस्य से ऐसा न कहें कि वह कानून की बात नहीं जानते हैं। ऐसी बात नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करें। यह कानूनी मसला है, इस प्रकार बोलने का नहीं है।

**श्री मदनसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था, ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी ? सदन बिल्कुल मौन था। आपका राइट है आप तुरन्त एक्शन लेते।

**श्री अध्यक्ष** : देट इज राइट।

**श्री मदनसिंह** : वैसे शायद उनको आनन्द आ रहा था, उन लोगों ने पर्चे फैंकाये होंगे।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यों ने खुद न देखा है, खद कॉग्नीजेंस ले सकते हैं। मैंने खुदने देखा है, मैं खुद कॉग्नीजेंस ले सकता हूं।

**श्री मदनसिंह** : जिस दिन अर्थक्वेक हुआ था उस रोज लिया था एक्शन उन्होंने दे विल टेक एक्शन।

**श्री अध्यक्ष** : सारे सदन ने कॉग्नीजेंस लिया है, प्रस्ताव पेश करने का प्रश्न पैदा नहीं हुआ था, पहले हुआ था, तब सदन ने कॉग्नीजेंस लिया था।

**श्री भैरोंसिह** : प्रस्ताव नियमानुसार आया था।

**श्री अध्यक्ष** : आ गया, चलिये। मैं इसको बाद में ले लूंगा, नाम पता वगैरह......

**श्री दौलतराम सारण** : नियम पढ़ लें यह तो अच्छा हो।

**श्री अध्यक्ष** : यह पढ़े हुए हैं। कानून का ज्ञान है। वैसे कानून बड़ा विशाल हुआ करता है, कोई पारंगत नहीं होता।

**श्री रामनारायण चौधरी** : यह छोटा मसला नहीं है, बड़ा मसला है।

**श्री दौलतराम सारण** : बहुत बड़ा है, जनता की समस्याओं को इग्नोर करते जायं, इग्नोर करते जायं......

**श्री बालसिंह सोढ़ा** : इनकी अक्ल मोटी है।

**श्री दौलतराम सारण** : अक्ल हो तो।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसकी ट्रायल के संबंध में मैं समझता हूं कि वह सदन में की जाय, इसके बजाय आपके चेम्बर में की जाय जैसे पिछलीबार कार्यवाही की गई थी।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, दो प्रस्ताव हैं..

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : उन्होंने जो पेश किया उसमें अमेंडमेंट है....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि जिन्होंने सदन में पर्चे फेंके हैं उनको सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय, उनके सदन के सामने बयान लिये जायं और बाद में सजा दी जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रस्ताव है कि चेम्बर में उनकी ट्रायल कर ली जाय। तो पहले तो इन दोनों प्रस्तावों के बारे में विचार कर लें। एक तीसरा होम मिनिस्टर का भी है। इस प्रकार तीन प्रस्ताव हैं।

**श्री अध्यक्ष** : उस प्रस्ताव में संशोधन है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : तीन प्रस्ताव हैं, उनमें से आपने कौनसा एडमिट किया है ?

**श्री अध्यक्ष** : इसको मैं संशोधन के रूप में ले लेता हूं, जो माननीय मुख्य मंत्री ने रखा है।

**श्री भैरोंसिह** : संशोधन क्या, मोशन है नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : मूल प्रस्ताव के संशोधन के रूप में।

**श्री भैरोंसिह** : सदन इस संशोधन को स्वीकार करता है, उससे पहले क्या माननीय मुख्य मंत्री के संशोधन को मुख्य सचेतक स्वीकार करते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : वह स्वीकार किये हुए हैं।

**एक माननीय सदस्य** : क्या उनको गुलाम समझते हैं ।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : जो संशोधन माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने रखा है, अध्यक्ष महोदय उसे स्वीकार किया जाय ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है....

**श्री भैरोंसिंह** : जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने संशोधन रखा है वह किसके प्रस्ताव में रखा है ।

**श्री अध्यक्ष** : वह मौखिक प्रस्ताव में।

**श्री भैरोंसिंह** : कौनसा है ?

**श्री अध्यक्ष** : वह आ रहा है ।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : गिरधारी लालजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : गिरधारी लालजी ने दामोदरलालजी के प्रस्ताव में संशोधन रखा है ?

**श्री मदनसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, सारा हाउस डिस्टर्ब्ड हुआ है, उसमें किसी मोशन की आवश्यकता नहीं है । आप एक्शन लें ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : वह अलग प्रश्न है । माननीय सदस्य, वह अलग प्रश्न है, उसकी कार्यवाही अध्यक्ष महोदय कर सकते हैं । लेकिन राजस्थान की ढाई करोड़ जनता और हिन्दुस्तान की पचपन करोड़ जनता को यह तो पता लगे कि राजस्थान के अन्दर कितनी मूर्ख हुकूमत है, जिसको यह पता नहीं कि किस प्रकार प्रस्ताव रखा जाता है । हिन्दुस्तान की जनता को यह पता तो लगे कि पहले गृह मंत्रीजी ने प्रस्ताव रखा, उसमें मुख्य सचेतक संशोधन करते हैं, और फिर उसमें मुख्य मंत्रीजी संशोधन करते हैं। और मुख्य सचेतक कहते हैं कि मैं मुख्य मन्त्री जी के संशोधन को स्वीकार करता हूं। क्या ऐसा दुनियां की किसी डेमोक्रेसी में हुआ है कि चीफ व्हिप मुख्य मन्त्री के संशोधन को स्वीकार करे । यह हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी में या वर्ल्ड की डेमोक्रेसी में नहीं हुआ है कि पार्टी का एक ऑर्डीनरी मेम्बर लीडर ऑफ दी हाउस के अमेंडमेंट को स्वीकार करने के लिए खड़ा हुआ हो। वर्ल्ड की डेमोक्रेसी में ऐसा कहीं नहीं हुआ है Leader of the House is competent to honour or dishonour any motion of any member of the House. वह खड़े होकर कहते है, मेडम ! मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं । पूछिये उनसे, ऐसा कहीं होता है दुनियां में ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश के अन्दर इस मामले में, मुख्य मन्त्रीजी यह एक मिसाल होगी। मुख्य सचेतक को ढाई करोड़ जनता की छाती पर बिठा कर हजार, सवा हजार तनख्वाह देते हैं इन सवा हजार तनख्वाह पाने वाले की यह मिसाल है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाना चाहती है उसके लिए सरकार निश्चित रूप से ठोस प्रस्ताव लेकर आये । हमें जो कुछ कहना होगा, हम उस समय कहेंगे ।

**श्री दौलतराम सारण** : यह, अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक का दूसरा नमूना है । पहला नमूना तो यह है कि

(श्री दौलतराम सारण)

चेयर की बिना अनुमति के सदन की कार्यवाही में दखल देते रहते हैं, फिर उन्होंने दूसरा अक्ल का दिवालियापन आपके सामने यह प्रस्तुत किया है । आप अंकित करते रहें कि किस प्रकार पब्लिक का पैसा खराब कर रहे हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं......

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आप सदन की कार्यवाही स्थगित करते हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : मैं सदन की कार्यवाही......

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : कल तक के लिए ।

**श्री दौलतराम सारण** : कल तक के लिए ?

**श्री अध्यक्ष** : मैं क्यों स्थगित करूं । मैं बैठा रहूं ।

**श्री मदनसिंह** : स्थगन भी हमारे प्रस्ताव के रूप में हो । बीच में घटना थी यह......

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह भी दुनियां देखे......

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रश्न, जो एडजोर्नमेंट मोशन पहले मूव किया गया, उस पर आगे कार्यवाही क्या हो, उस पर आपके चेम्बर में बातचीत करने की दृष्टि से है या सदन में जो पर्चे फैंके गये उस पर है । सदन में पर्चे फैंक देने की वजह से हाउस को स्थगित किये जाने का प्रश्न उचित नहीं है । एडजोर्नमेंट मोशन पर आपके चेम्बर में बातचीत करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना चाहते हैं तो मैं भी उससे सहमत हूं ।

**श्री अध्यक्ष** : मैं चाहता हूं कि जो......

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आपका सजेशन है ।

**श्री अध्यक्ष** : सदन के माननीय सदस्यों की व्यग्रता, उग्रता का तो अभी आरम्भ नहीं हुआ । व्यग्रता को देखते हुए स्थगन प्रस्ताव पर आगे कैसे बढ़ा जाय, इस सम्बन्ध में मेरा विचार है कि विचार विनिमय, कर लिया जाय, ताकि उसका कोई प्रोसीजर, वाया मीडिया अख्तियार किया जा सके । मैं यह चाहता हूं ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : दो बजे तक के लिए ।

**श्री अध्यक्ष** : सदन के विरोधी दल के नेता, अलग अलग दलों के नेता और सरकारी पक्ष के, दल के नेता चेम्बर में तशरीफ ले आयें, ट्रेजरी बैंचेज के नेता भी । मैं अब सदन की कार्यवाही . . . . .

**कई माननीय सदस्य** : टाइम, टाइम !

**श्री अध्यक्ष** अभी ठहरिये । आप बड़े व्यग्र हो जाते हैं । मैं सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह पश्चात् 1 बज कर 17 मिनिट पर आधे घंटे के लिए स्थगित हुई)

सदन की कार्यवाही पुनः 2 बजकर 16 मिनिट पर प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

**औचित्य प्रश्न**

(नियम 13 व नियम 293 के अन्तर्गत)

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आई राइज ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 13 और नियम 293 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । नियम 13 इस प्रकार है :—

"**13. Adjournment of House.**—The Speaker shall determine the time when a sitting of the House shall be adjourned sine die or to a particular day or to an hour or part of the same day:

Provided that the Speaker may, if he thinks fit, call a sitting of the House before the date or time to which it has been adjourned or at any time after the House has been adjourned sine die."

नियम 293 इस प्रकार है :—

"**293. Power of Speaker to adjourn House of suspend sitting.** - In the case of a grave disorder arising in the House, the Speaker may, if he thinks it necessary to do so, adjourn the House or suspend any sitting for a time to be named by him."

अध्यक्ष महोदय, जिस समय इस सदन की कार्यवाही आपने स्थगित की थी उस समय आपने कार्यवाही सदन की आधा घंटे के लिए स्थगित की थी । आधे घंटे का अर्थ यह है कि पौने दो बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई थी क्योंकि सवा बजे स्थगित की गई थी । इस समय सवा दो से ज्यादा बज चुके हैं, करीब 2-20 हैं । आधा घंटा ज्यादा है । आपने इस सदन की कार्यवाही सवा बजे स्थगित की आधा घंटे के लिए स्थगित । की यानी पौने दो बजे तक के लिए स्थगित करने के बाद हाउस की मीटिंग नहीं हुई । पौने दो बजे मीटिंग होनी चाहिए थी, पर सदन की कार्यवाही पौने दो बजे प्रारम्भ नहीं हुई, और सदन को इस बात की सूचना नहीं है कि अध्यक्ष महोदय ने इस सदन की कार्यवाही को अग्रतर और आधा घंट तक के लिए स्थगित कर दी है । इसलिए आपको यह अधिकार नियम 13 के अन्तर्गत दिया गया है कि आप कार्यवाही एक घंटे तक के लिए स्थगित करें तो पौन घंटे में हाउस को बुला सकते हैं । नियम 13 के अन्दर लिखा है—

"Provided that the Speaker may, if he thinks fit, call a sitting of the House before the date or time to which it has been adjourned or at any time after the House has been adjourned sine die."

# Page No 65



(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एक घंटे के लिए स्थगित करें तो पौन घंटे में हाउस को रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन जब हाउस आधा घंटे तक के लिए स्थगित हुआ है तो आप रिकॉल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप जो इस समय हाउस की सिटिंग कर रहे हैं वह इन्वेलिड है वह डियूली कॉन्स्टीट्युटेड नहीं होगी और सदन की कार्यवाही में इस प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य जो कि हम धन्यवाद-प्रस्ताव को पारित करने जा रहे हैं, जैसा कि आज की कार्य-सूची में अंकित किया गया है और जब तक धन्यवाद का प्रस्ताव पारित नहीं होगा तब तक हम अग्रेतर सदन की कार्यवाही जो नियमानुसार और विधान के अनुसार होनी चाहिए वह इस थैंक्स के मोशन के पास होने के बाद सभी अग्रेतर कार्यवाही चलेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा इस सम्बन्ध में कि चूंकि आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इस प्रकार की इल्लीगल सिटिंग जो ड्यूली कॉन्स्टीट्यूटेड वेलिडली कॉन्स्टीट्यूटेड नहीं है, जो नियम के विपरीत है, उस प्रकार की कोई भी कार्यवाही इस सदन में नहीं की जाय।

चूंकि पौन दो बजे तक नहीं बुलाया और एक घंटा लग गया इसलिए यह ड्यूली कॉन्स्टीट्यूटेड नहीं है इसलिए कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जाय।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय भैरोंसिहजी, अपने विचार प्रकट करेंगे ?

**श्री भैरोंसिह** : मैंने रूल्स पढ़े नहीं हैं।

**श्री दौलतराम सारण** : यह माननीय मुख्य सचेतक को चाहिए कि वह जानकारी दें।

**श्री मदनसिंह** : अध्यक्ष महोदय, जहां कोई वर्डिक्ट नहीं दिये जा सकते हैं तो किताब में जो लिखा है, वह मान लें।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सतीशचन्द्रजी ने जो विद्वत्ता पूर्ण भाषण दिया है....

**एक माननीय सदस्य** : भाषण नहीं है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : उन्होंने यह कहा है कि यह कार्यवाही नियमित नहीं है। मैं माननीय सतीशचन्द्रजी से कहना चाहता हूं कि कल जब हाउस एडजोर्न किया गया था तो यह कहा गया था कि यह कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। इस तरह से हमारा हाउस 11 बजे से 5 बजे तक चलता है। आज जो एजेण्डा संचिव महोदय ने सरक्युलेट किया है, जो एजेण्डा रखा गया है, वह 5 बजे तक के लिए रखा गया है। बीच में थोड़ी देर के लिए हाउस अध्यक्ष महोदय ने एडजोर्न कर दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि अब जो कार्यवाही होगी वह वैधानिक नहीं होगी। इसको सतीशचन्द्रजी ड्युली कॉन्स्टीट्यूटेड नहीं मानते हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। उनकी आपत्ति में कोई वजन नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है वह गैर वाजिब है।

**श्री मदनसिंह** : मैंने कहा था कि टाइम निश्चत कर दें। आपने कहा था कि आधा घण्टा।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : माननीय मुख्य सचेतक ने जो कहा है वह हाउस के लिए कहा है। लेकिन मैंने इस सीटिंग

# Page No 66



**(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)**

के लिए कहा है कि यह ड्यूली कान्स्टीट्यूटेड नहीं है ।

**श्री हरिदेव जोशी :** वाह, वेरी गुड ।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने जो आपत्ति का प्रश्न उठाया है नियम 13 और नियम 293 का हवाला देते हुए

"**12. Sitting of House.**—(1) The House shall sit on such days as the Speaker, having regard to the state of business of the House, may from time to time direct.

(2) Sittings of the House shall, subject to the direction of the Speaker, ordinarily commence at 11.00 a. m. and conclude at 5.00 p. m."

इससे यह स्पष्ट है कि 11 से 5 तक सदन की कार्यवाही चलती है । 13 का हवाला देते हुये माननीय सदस्य ने कहा है—

"**13. Adjournment of House.**—The Speaker shall determine the time when a sitting of the House shall be adjourned sine die or to a particular day or to an hour or part of the same day:

Provided that the Speaker may, if he thinks fit, call a sitting of the House before the date or time to which it has been adjourned or at any time after the House has been adjourned sine die."

12 को 293 के साथ ।

"In the case of a grave disorder arising in the House, the Speaker may, if he thinks it necessary to do so, adjourn the House."

अध्यक्ष को यह अधिकार 293 में दिया है रूल 12 के सन्दर्भ में । यदि सदन में ऐसी विषम स्थिति हो जाये तो सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दे । जिसका मतलब यह हुआ कि सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दे नियम 12 के सन्दर्भ में । क्योंकि सदन 11 से 5 तक बैठता है । इसके सन्दर्भ में, नियम का यह इण्टरप्रिटेशन होता है, अगर आसन ने समय नहीं दिया है तब भी माननीय सदस्य यहां 11 से 5 बजे तक कार्य सम्पादन करने के लिए बैठते हैं । और, माननीय सदस्यों के ज्ञान में है कि यहां कौन सी परिस्थितियों में सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है । इसलिए माननीय सदस्य वापिस सदन आॅर्डर में आ जाये और माननीय सदस्यों का मानस शान्त हो जाय, इसके लिए प्रतीक्षा सदस्य अपने अपने स्थान पर करेंगे । यह इण्टरप्रिटेशन है । इसके अतिरिक्त भी हम समय नहीं निर्धारित करें तब भी आॅर्डर रेस्टोर होने पर किसी भी समय 5 बजे के पूर्व सदन की कार्यवाही आरम्भ करने के लिये घण्टी बजायी जा सकती है । जैसा कि माननीय सतीशचन्द्रजी ने कहा कि आधा घण्टे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करने का मैंने संकेत दिया था । हमेशा सदन की कार्यवाही जब भी कभी निर्धारित समय देते हुये सदन को स्थगित किया गया, मुझे तो एक भी उदाहरण मालूम नहीं होता है कि निर्धारित समय की सीमा के

# Page No 67



(श्री अध्यक्ष)

अन्तर्गत ही हम काम करने के लिए बैठ गये हों। हमेशा ही माननीय सदस्य यह मानते रहे हैं। जब तक स्थिति शान्त नहीं हो जाय, आधा घण्टा हो एक घण्टा हो तब तक कार्यारम्भ की प्रतीक्षा करते रहे हैं जब तक कि स्थिति साफ नहीं हो जाये। माननीय सदस्य भी और मैं भी। इस सम्बन्ध में जो व्यवस्था समय समय पर दी जाती रही हैं उसी की पृष्ठ भूमि में यह प्रश्न लिया जाता रहा है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है, वह उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में और भी व्यवस्था के प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाये थे। मैंने इन्हीं शब्दों में उनका स्पष्टीकरण किया था। मैंने कहा था, समय का निर्धारण इतनी रिजिडिटी से नहीं लिया जाये। इसलिए इस विवाद को सदैव के लिए व्यवस्था देकर समाप्त करता हूं। एडजोर्न हो तब भी यह माना जाये कि 11 से 5 तक सदन की कार्यवाही चलती है। इस बीच में अगर किसी विषम परिस्थिति में कार्यवाही स्थगित होती है और जो समय दिया है उसमें आधा घण्टे अथवा निर्धारित समय का अर्थ उतना ही न माना जाय। इस सम्बन्ध में पहले भी व्यवस्था दी जा चुकी है। इसलिए मैं इसे हमेशा के लिए निरस्त करता हूं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : (अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष** : वह दूसरा प्रश्न है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : नियमों में प्रावधान नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : वह प्रावधान नियमों में है। नियम 12 के अन्तर्गत लिया जाना चाहिए। मैंने यह व्यवस्था दे दी।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : रूल बारह-तेरह अलग......

**श्री अध्यक्ष** : मैंने यह व्यवस्था दे दी है। अब मैं इस प्रश्न पर चूंकि विचार-विनिमय माननीय सदस्यों से, माननीय नेताओं, विरोधी दल के, से हो चुका है इसलिए मैं जो अभिभाषण पर वाद-विवाद के, उस प्रश्न पर चलना चाहूंगा। लेकिन इसके पूर्व माननीय मुख्य मंत्री, वह जो स्थगन प्रस्ताव है जिसे स्थगित आगे के लिए किया जा रहा है, इसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करते हुए उसका उत्तर दे दें।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उसको अलग कर दें।

**श्री अध्यक्ष** : वह अलग हो जायगा।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय,.....

**श्री लादूराम सुलानिया** : क्या हुआ उसके सम्बन्ध में—हम जानना चाहते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये, अभी आ रहा है।

**श्री लादूराम सुलानिया** : कब आ रहा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। हम जानना चाहते हैं आपसे, हमने, सदन ने इस बात को नहीं जाना कि नेताओं ने आपस में क्या बात की है?

**श्री अध्यक्ष** : मुख्य मंत्री उसी बात को कह रहे हैं।

**श्री लादूराम सुलानिया** : वह सदन में सुन लें।

# Page No 68



**श्री अध्यक्ष :** मुख्य मंत्री जी उसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं ।

**श्री लादूराम मुलानिया :** हम सब सदस्य हैं ।

**श्री अध्यक्ष :** स्थान ग्रहण करिये ।

**स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री का स्पष्टीकरण**

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो आपके चेम्बर म बातचीत हुई, मैं सदन की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध म कल केस रजिस्टर कर लिया गया है और दो विशेष अधिकारियों की नियुक्ति भी इसके बारे में कर दी गई है और वस्तु स्थिति के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों का आग्रह था कि मैं भी वहां जाकर, मौके पर स्थिति को देख लूं। उस दृष्टि से कल हम लोग वहां जायेंगे और परसों गृह मंत्रीजी इसके सम्बन्ध में यहां पर वक्तव्य देंगे ।

**श्री दौलतराम सारण :** आप लोग कौन कौन जायेंगे, साहब ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** सुनिये ।

**श्री दौलतराम सारण :** आप लोग कौन कौन जायेंग ।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** आप भी जाना चाहें तो चल सकते हैं।

**श्री दौलतराम सारण :** मेरे जाने का प्रश्न नहीं है । मेरी जानकारी लेने का प्रश्न है, मैं जानकारी करना चाहता हूं आप लोग कौन कौन जायेंगे ? चेम्बर में क्या तय हुआ है ? यह मैं जानकारी करना चाहता हूं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** आपके नेता वहां मौजद थे ।

**श्री दौलतराम सारण :** वह होंगे, मैं भी सदन का सदस्य हूं ।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** पूछना चाहते हैं, तो उनसे जानकारी कीजिये

**श्री दौलतराम सारण :** चेम्बर में किन किन के जाने का निश्चित हुआ है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** नेता और...

**श्री भैरोंसिंह :** अध्यक्ष महोदय, किन किन के जाने का प्रश्न नहीं है । विरोधी दल के सदस्य, जो जाना चाहें, कॉन्टेक्ट करें, वह भी वहां जा सकते हैं । इस प्रकार की स्थिति हुई है।

**श्री लादूराम मुलानिया** (फागी) : अध्यक्ष महोदय, इस बात पर मैं सहमत हूं कि इस पर स्टेटमेण्ट, इस पर कोई जांच के लिए कि यह अत्याचार हुआ है, यह जुर्म हुआ है, यह लोग मारे गये हैं और इनके साथ में जुल्म हुआ है–इसके लिए सदन का टाइम लगे । अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कमरे में जाकर कुछ बातें हुई हैं, और उस पर निर्णय होने वाला है । इसलिए वहां क्या तय हुआ है, उसकी हम जानकारी चाहते हैं । वहां लोगों में इस प्रकार का आतंक है क्योंकि हत्यायें हुई हैं, गर्भ गिरायें गये हैं, और अत्याचार हुआ है । मैं निवेदन करना चाहूंगा......

**श्री अध्यक्ष** : आप वहां जुमौद थे, नेता थे, आप इनका निराकरण कर दें।

**श्री लादूराम सुलानिया** : केवल मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं......

**श्री अध्यक्ष** : इसका मतलब यह हुआ कि विचार विनिमय हुआ उससे आप इन्हें अवगत करा दें।

**श्री लादूराम सुलानिया** : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सदन के अन्दर ही हो......

**श्री अध्यक्ष** : मेरे से निवेदन करने का अर्थ नहीं है। आप इन्हें अवगत करा द।

**श्री लादूराम सुलानिया** : ऐसा होता है कि एक आदमी को मार देते हैं तो उसकी जांच बैठायी जाती है, सी० बी० आई० से जांच हो जाती है, और हरिजनों के साथ में......

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज !

**श्री लादूराम सुलानिया** : इस प्रकार का अत्याचार होता है, छोटे छोटे बच्चों को पीटा, औरतों के साथ बुरा व्यवहार किया और आप कहते हैं......

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य !

**श्री लादूराम सुलानिया** : मुख्य मंत्री जी वहां जायेंगे। यह 9 तारीख की घटना है और आज 22 तारीख है......

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य !

**श्री लादूराम सुलानिया** : लेकिन इस बात पर विचार नहीं किया गया......

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो।

**श्री लादूराम सुलानिया** : ×××

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो।

**श्री लादूराम सुलानिया** : ×××

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर, ऑर्डर। अंकित नहीं हो। इन्हें बोलने दिया जाय।

**श्री लादूराम सुलानिया** : ×××

**श्री अध्यक्ष** : क्या किया जाय ?

**श्री लादूराम सुलानिया** : ×××

**श्री अध्यक्ष** : आप तो नेता के रूप में वहां उपस्थित थे। आप तो मेरे चेम्बर में इस प्रश्न पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे अपने दल का और आप ही के दल के सदस्य हैं, जो इस प्रश्न को वापिस उठा रहे हैं।

**श्री लादूराम सुलानिया** : ×××

**श्री मदनसिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय,......

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर माननीय सदस्य !

**श्री लादूराम सुलानिया** : ×××

**श्री मदनसिंह** : अध्यक्ष महोदय,......

**श्री अध्यक्ष** : एक से मिनट लेने दीजिये। आप बाद में स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य !

**श्री लादूराम सुलानिया** : × × ×

---

×××अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया

**श्री अध्यक्ष** : अब स्थान ग्रहण करें।

**श्री लादूराम सुलानिया** : मैं स्थान ग्रहण करता हूं। लेकिन मैं आश्वासन चाहता हूं कि न्याय मिलेगा। इतना कह दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : हां।

**श्री लादूराम सुलानिया** : मिलेगा ?

**श्री अध्यक्ष** : न्याय बिल्कुल मिलेगा।

**श्री मदनसिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे दल के नेता गये होंगे। आपका यह आदेश था कि होम मिनिस्टर अपना वक्तव्य दें। उस वक्त के अन्दर चीफ मिनिस्टर यहां पधारे थे। अब यह वहां पधारें तो यह क्या तो इन्क्वायरी करेंगे घटना की, have they known something इनको मालूम हो गया घटना के बारे में ? मैं कहता हूं कि होम मिनिस्टर का वक्तव्य होना चाहिये था ? यहां तथ्य आने चाहिए थे। और उस वक्तव्य के बाद में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और विधायक वहां जा सकते थे। अभी वह काहे के लिए वहां जा रहे हैं ? यह पता नहीं लगा। या तो माननीय भैरोंसिंहजी ने जो घटना के लिए कहा, वह सही है, उसको सही मानलें क्या ? उसको सही नहीं मानें तो उस पर होम मिनिस्टर का वक्तव्य होना चाहिए था कि वह कहां तक सही हैं। उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन आई है ? उसके बाद अगर उस इन्फॉर्मेशन का विरोध करते हैं कि होम मिनिस्टर ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो उसकी जांच होनी चाहिए। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी वहां जाकर जांच करें। अभी यह जांच काहे की हो रही है ?

**श्री अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करें।

**श्री मदनसिंह** : यह जो स्थान ग्रहण करने की बात है, मैं सुलानिया नहीं हूं, जो कर दूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। यह आसन को उत्तरदायित्व दिया गया है, सदन का विश्वास दिया गया है।

**श्री मदनसिंह** : यह मैं मानता हूं। मैं आज्ञा का पालन करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : यह भी लाइटली लेने का नहीं है, आसन है।

**श्री मदनसिंह** : मुझे आसन जो आदेश दे, हुक्म दे, वह मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन आसन ने आदेश दिया था कि होम मिनिस्टर वक्तव्य दगे। इसको कैंसिल किसने किया ?

**श्री अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करें। इस प्रश्न पर सारी चर्चा विरोधी दल के माननीय नताओं द्वारा मेरे चेम्बर में, जिसमें मुख्य मंत्री और गृह मंत्री उपस्थित थे, होकर जो कुछ भी निर्णय हुआ उसका जिक्र माननीय मुख्य मंत्री ने यहां पर किया और उनमें इन्डिपेन्डेन्ट जो थे, उनमें से माननीय श्री मनोहरसिंह मेहता थे। श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, श्री भैरोंसिंह, श्री दिग्विजयसिंह जी आदि आदि थे, विधायकों का प्रतिनिधित्व उसमें था। इसलिए जो प्रश्न वहां तय हो गया, उस प्रश्न पर सामान्यत: यहां पर चर्चा नहीं होती और उस प्रश्न का और भी स्पष्टीकरण करन के हेतु माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर स्पष्टीकरण किया।

**(श्री अध्यक्ष)**

अब केवल आप ही का प्रश्न रहता है। आप वहां नहीं थे।

**श्री मदनसिंह** : इससे मतलब नहीं है मेरा, इससे मतलब नहीं है। आप विधान सभा को छोड़ कर दस आदमियों को रख दीजिये ताकि पब्लिक रिप्रजेन्टेशन यह दे दें। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि आपके आदेश थे। होम मिनिस्टर की जबान बन्द होने के क्या कारण हैं? वह क्यों नहीं दे सकते वक्तव्य। न भैरोंसिंहजी ने बताया कि काण्ड क्या है, न होम मिनिस्टर ने बताया कि काण्ड क्या हुआ। चेम्बर में कुछ सदस्य बैठ गये, वहां तय कर लिया कि वहां जायेंगे। इससे क्या होगा? जनता का प्रतिनिधित्व......

**श्री अध्यक्ष** : कोई सदस्य का प्रश्न नहीं है, सारे सदन का प्रतिनिधित्व होता है।

**श्री मदनसिंह** : आपने आदेश दे दिया है, होम मिनिस्टर वक्तव्य दें। वह वक्तव्य गलत दे सकते हैं, घटना नहीं हुई–ऐसा गलत वक्तव्य दे दें, उसके बाद में वहां जा सकते हैं। आज तक जो भी घटना हुई है, आज तक सदस्य मौके पर गये हैं। लेकिन उसके पहले स्पष्टीकरण हुआ कि काण्ड क्या हुआ?

**श्री अध्यक्ष** : पर्याप्त है। मेरे पास उत्तर नहीं है, माननीय सदस्य!

**श्री मदनसिंह** : वह मुझे मालुम है।

**श्री किशन लाल** : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिन शुक्रवार को मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर......

**श्री अध्यक्ष** : आप कहां से बोल रहे हैं?

**एक माननीय सदस्य** : मैं तो बता रहा हूं।

**श्री मदनसिंह** : आप चेम्बर के आदमी नहीं हैं चेम्बर में स्थान ग्रहण के लिए जाते हैं उनको इजाजत होती है। राजस्थान विधान सभा में सदस्यों को बोलने की इजाजत नहीं हो सकती। केवल चेम्बर में बैठते हैं चार आदमी उनको अधिकार है।

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज, स्थान ग्रहण करें।

**श्री मदनसिंह** : उन्हीं माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार है जो चेम्बर में बैठते हैं वही भाषण दे सकते हैं वही विचार रख सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नों पर निर्णय लेने का एक तरीका सामान्यतः संवैधानिक मान्यताओं पर आधारित होता है।

**श्री मदनसिंह** : कोई निर्णय हुआ है, मुख्य मन्त्री वहां पधारे वह क्या निर्णय करेंगे? इस सम्बन्ध में जो घटना हुई उसके सम्बन्ध में वह क्या करेंगे?

**श्री अध्यक्ष** : आप स्थान ग्रहण करें।

**श्री मदनसिंह** : कुछ नहीं हुआ है।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं हुआ है।

**श्री मदनसिंह** : कोई सदस्य चले जायं, वह क्या इन्क्वायरी हुई?

**श्री अध्यक्ष** : आप बैठ जाइये।

**श्री भैरोंसिंह**: अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में हमने मुख्य मन्त्री से वहां जाने के लिये निवेदन किया था—वह जांच करेंगे इसका निवेदन नहीं, मैं मानता हूं माननीय मुख्य मन्त्री को जांच करने का अधिकार है, जो सी०आर० पी० सी० में होना चाहिये वह नहीं है। केवल इसलिये कि वहां जिस प्रकार का आतंक है लोग सामने नहीं आ रहे हैं इसलिये माननीय मुख्य मन्त्री और विरोधी दल के सदस्य वहां पहुंचें ताकि लोगों में कोनफिडेन्स रेस्टोर हो। इस सम्बन्ध में निवेदन किया था। इसकी जांच या इन्क्वायरी का प्रश्न नहीं है।

**श्री रामनारायण चौधरी**: मुख्य मन्त्री वहां जायेंगे तो केस जो रजिस्टर कर लिया गया है उस पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा?

**श्री भैरोंसिंह**: माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछिये।

**श्री रामनारायण चौधरी**: कानून की बात है।

**श्री भैरोंसिंह**: कानून की बात उनसे पूछिये।

**श्री डूंगाराम राजोरिया**: मुख्य मन्त्री जी ने कहा.....

**श्री अध्यक्ष**: मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को जवाब देने के लिये निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री डूंगाराम राजोरिया**: मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मुख्य मन्त्रीजी राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब शुरू करें।

**श्री किशनलाल वर्मा** (सिकराय): राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। मैं मुख्य मन्त्री द्वारा उत्तर देने के पहले निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले शुक्रवार को मेरा भाषण समाप्त नहीं हुआ और विधान सभा की कार्यवाही समाप्त हो गई थी और मेरा भाषण समाप्त नहीं हुआ था अतः मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष**: विधान सभा की बैठक स्थगित करते समय जिसका भाषण चालू होता है वह जब बैठक समाप्त होती है तो उस भाषण को समाप्त समझा जाता है। अब आप स्थान ग्रहण कर लीजिये।

**श्री किशनलाल वर्मा**: समाप्त कैसे समझा जाय?

**श्री लालूराम मुलानिया**: क्या मन्त्री सरकार की तरफ से उत्तर दे रहे हैं? हमें भी बोलने का मौका दिया जायेगा? सदन की कार्यवाही रात को ज्यादा तक चलती रह सकती है हम ज्यादा देर बैठे रहेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

**श्री लालूराम मुलानिया**: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों को बोलने दिया जाय—स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों को बोलने नहीं दिया गया है माननीय अध्यक्ष, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का सभी को अधिकार है। माननीय अध्यक्ष, इस सदन की यह परम्परा रही है और हम इस बात के आदि हैं कि रात को 12-12 बजे तक भी

# Page No 73



**(श्री लादूराम सुलानिया)**

बैठक हुई है और सदन का समय बढ़ाया गया है अतः अब जो सदस्य बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने दिया जाय यह मेरा निवेदन है।

**श्री अध्यक्ष** : अब समय नहीं रहा स्थान ग्रहण करें। मेरा निवेदन है कि स्थान ग्रहण करें।

**श्री लादूराम सुलानिया** : माननीय अध्यक्ष, मैं तो निवेदन ही कर रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज। अब आप बैठ जाइये कोई बहस नहीं होगी। समय समाप्त हो गया है।

**श्री किशनलाल वर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा की बैठक स्थगित करते समय जो भाषण चल रहा हो वो भाषण आज हो।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य वो भाषण विधान सभा की कार्यवाही समाप्त होते ही समाप्त समझा जाता है।

**श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा)** : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने की आवश्यकता है और सदस्य भाषण में कुछ कहते हैं उनका उत्तर भी प्राप्त होना चाहिये। इसमें स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों को 5-5 मिनट नहीं मिले हैं और सभी कांग्रेसी सदस्यों को काफी बोलने का समय दिया गया है और जिन सदस्यों को बोलने का समय नहीं दिया गया है उन्हें 10-10 मिनट का समय मिलना चाहिये। और उसके बाद मुख्य मंत्री जी का जवाब होना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। वाद-विवाद का समय कल तक यानि उसके पूर्व तक था वह समाप्त हो गया है। आज केवल मुख्य मंत्री जी की रिप्लाई का समय है इसलिये जो बिजनेस निर्धारित कर दिया गया है मैं उस बिजनेस को अब इधर-उधर नहीं कर सकता। मुख्य मंत्री अब केवल जवाब देंगे।

**श्री लादूराम सुलानिया** : वैसे जो आपने फरमाया है वह ठीक है। मैं आपसे निवेदन करूंगा बिजनेस जो निश्चित हो गया वह बिजनेस एडवाईजरी कमेटी ने किया है वह सर्वमान्य है, उसमें हम गुरेज नहीं करते।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : आप कर नहीं सकते।

**श्री मोहनलाल मोदी** : इस प्रकार आप समय लेते हैं इससे सदन का समय बेकार जाता है। आप सबसे ज्यादा समय ले लेते हैं।

**श्री लादूराम सुलानिया** : मैं निवेदन कर रहा हूं आज का पूरा दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का उत्तर देने के लिये है। दूसरा बिजनेस है नहीं। केवल मुख्य मन्त्री बोलेंगे उसके बाद हमारी कार्य-सूची है उसमें दो बिजनेस हैं। एक तो समाप्त हो गया है दूसरा है प्रश्न का इसलिये अध्यक्ष महोदय, टाइम बहुत पड़ा है। हम लोग इस बात के आदी हैं कि राजस्थान की विधान सभा की बैठक बारह बजे तक चलायें।

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये, बैठिये। विधायी कार्य।

(श्री अध्यक्ष)

श्री मथुरादास माथुर प्रस्ताव करेंगे (1) राजस्थान नगरीय भूमिकर (संशोधन) विधेयक, 1968 कि निम्नांकित विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियम, समय को आगामी सत्र तक और बढ़ा दिया जाय।

(2) श्री दामोदरलाल व्यास प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पुलिस (अप्रीति उद्दीपन विधेयक, 1970 को पुरःस्थापित किया जाय।

(3) श्री बी० एन० जोशी राजस्थान बालक विधेयक (संशोधन), 1971 को पुरःस्थापित करेंगे।

बहुत कार्य है माननीय सदस्य।

**श्री लादूराम सुलानिया :** बहुत शोर्ट में हो सकता है। उसम ज्यादा समय नहीं लगेगा।

**श्री अध्यक्ष :** स्थान ग्रहण करिये।

**श्री लादूराम सुलानिया :** मैं नम्रता से कहना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** मैं आपको बहुत नम्रता-पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि आप स्थान ग्रहण करें।

**श्री लादूराम सुलानिया :** माननीय अध्यक्ष, मैं भी बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। हम इस बात के आदी हैं कि रात को बैठक चले बारह बजे तक बैठक चले आज की बैठक....

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। आप बैठ जाइये। कोई बहस नहीं होगी। आसन पैरों पर खड़ा है, आप बैठ जाइये। माननीय सदस्य बैठ जाइये। माननीय सदस्य बैठ जाइये।

(श्री लादूराम सुलानिया के बोलते रहने पर)

**श्री अध्यक्ष :** भाषण अंकित नहीं हो।

**श्री लादूराम सुलानिया :** ×××

**श्री अध्यक्ष :** आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

**श्री लादूराम सुलानिया :** ×××

**श्री अध्यक्ष :** अंकित न हो।

**श्री लादूराम सुलानिया :** ×××

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य।

**श्री लादूराम सुलानिया :** ×××

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** स्वतन्त्र पार्टी में यह नई परम्परा डाली जा रही है, इसको मैं एप्रीशियेट करता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :** यह निर्विवादित बात है कि दिनांक 19-3-1971 को हमारी पार्टी के सदस्यों को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया है।

---

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

**श्री अध्यक्ष :** आप नियन्त्रण नहीं करते हैं निवेदन करते हैं।

**श्री दिग्विजयसिंह :** मैं नियन्त्रण भी करता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** आपकी पार्टी पर नियन्त्रण नहीं है।

**श्री दिग्विजयसिंह :** मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं मेरी पार्टी की ओर से भी निवेदन करना चाहता हूं। आप निवेदन नहीं समझे तो और बात है मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारी पार्टी के एक भी आदमी को 19 तारीख को नहीं बोलने दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा और जो चेअर पर विराजते हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि सभी पार्टी का ध्यान रखा जाय। हमारी पार्टी के काफी सदस्य हैं उसी अनुपात से समय मिलना चाहिये। जितनी उग्रता है वह इस कारण है कि समय पूरा नहीं दिया जाता है। इसका अर्थ है कि आगे के लिये ध्यान रखें। और हमारे सदस्यों को ज्यादा समय दें। श्री सुलानिया को 10 मिनट देवें तो अच्छा होगा।

**श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर):** स्वतन्त्र पार्टी के कई सदस्य बोले हैं।

**श्री दिग्विजयसिंह :** बहुत बोले हैं पर मैं टाइम के लिए निवेदन....

**श्री गिरधारीलाल व्यास :** चेयरमैन साहब ने फरमाया है आप उनको कहिये।

**श्री अध्यक्ष :** 6 माननीय सदस्य स्वतन्त्र पार्टी के बोले है।

**श्री दिग्विजयसिंह :** 19-3-71 की तारीख को नहीं बोले हैं।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, सदन की कार्यवाही आप चलने नहीं देना चाहते हैं और बाधा उपस्थित करते हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं पुनः मुख्य मंत्रीजी से भाषण शुरू करने का निवेदन करता हूं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री):** अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण इस सदन में दिया....

**श्री लादूराम सुलानिया :** अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं एक छोटी सी बात कह करके कि 6 सदस्य बोले है, हम पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। आसन की ओर से हमें इस प्रकार से दबाया जाता है।

**श्री अध्यक्ष :** स्थान ग्रहण करिये।

**श्री लादूराम सुलानिया :** मैं निवेदन करूं...

**श्री अध्यक्ष :** आपका व्यवहार उचित नहीं है।

**श्री लादूराम सुलानिया :** मैं निवेदन करूंगा हमारे ...

**श्री अध्यक्ष :** व्यवधान पैदा करने का आपका व्यवहार उचित नहीं प्रतीत होता। आप बार बार सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित कर रहे हैं।

**श्री लादूराम सुलानिया :** मेरी तरफ से पूरी बात नहीं आई। मैं निवेदन करना....

**श्री अध्यक्ष :** मैं आपको, माननीय सदस्य। मैं आपको नाम से संबोधित करता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(श्री सुलानिया) (श्री लादूराम सुलानिया को बोलते रहने पर) नाम से पुकारता हूं। मैं, श्री सुलानिया, आपको नाम से संबोधित करता हूं श्री सुलानिया में आगे का कदम उठाने को बाध्य न हो जाऊं। (श्री लादूराम सुलानिया के बोलते रहने पर) अंकित नहीं हो इनका भाषण।

**श्री लादूराम सुलानिया** : ×××

**श्री अध्यक्ष** : मैं आगे कदम उठाने को बाध्य होता हूं।

**श्री लादूराम सुलानिया** : ×××

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य......

**श्री लादूराम सुलानिया** : हां फरमाईये।

**श्री अध्यक्ष** : आपने तो फरमा दिया। आप मानेंगे नहीं अब।

**श्री लादूराम सुलानिया** : मैं आसन का सम्मान करके बोलूंगा। मैं आसन की इज्जत करता हूं और जो भी इस आसन पर बैठेगा उसकी इज्जत करता हूं और करूंगा और अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं मुझे निवेदन करने दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : लेकिन आप अपने व्यवहार से बाज नहीं आयेंगे।

**श्री लादूराम सुलानिया** : मुख्य मंत्री क्या कहेंगे, मेरी समझ में नहीं आता, यह बतादें आप।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : असल बात यह है कि......

---

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

**श्री अध्यक्ष** : आप सदन की कार्यवाही को नियमानुसार चलाने देना चाहते हैं या व्यवधान उत्पन्न करना चाहते हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : व्यवधान नहीं है।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : बैठे बैठे बोल रहे हैं।

**श्री विजयसिंह (मकराना)** : आप क्या कर रहे हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मुख्य मंत्रीजी......

## राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर किये गये वाद-विवाद का उत्तर

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)** : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सब तरफ से कई विचार यहां पर प्रस्तुत किए गए और उसके अन्दर इस बात पर आमतौर से व्यग्रता, उत्सुकता और उसकी आवश्यकता कि देश में बेरोजगारी व गरीबी दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयत्नों की आवश्यकता है, इस पर यहां कहा गया। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो अभिभाषण के अन्दर एक जिले में एक हजार व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध करने की बात कही गई है, वह बहुत अपर्याप्त है और उसके रोजगार की समस्या का हल नहीं होता। साथ ही एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जो दृष्टिकोण देश में इस योजना के द्वारा बनाया गया है कि करीब 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने का रखा गया है, वह अन्य रोजगारों के संबंध में भी रखा जाय तो उपयुक्त होगा। मतलब यह है कि इस योजना में जिस परिवार

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

के पास कोई भी काम नहीं है उनको 100) रु० मासिक आय हो सके उस बात को लक्ष्य में रखा गया है तो दूसरे एम्पलॉयमेंट्स के अन्दर भी जिस परिवार के अन्दर एम्पलॉयमेंट न हो, उसका कोई व्यक्ति हो तो उनकी एम्पलॉयमेंट को प्राथमिकता दी जाय । उस दृष्टिकोण को भी अपनाए जाने के बारे में यहां पर कहा गया ।

आज एक जिले में एक हजार व्यक्तियों को, इस प्रकार से जो सबसे ज्यादा एक तरह से पीछे हैं, काम देने की योजना बनाई गई है, वह एक नई शुरुआत है इस दिशा की कि कैसे जो लोग सबसे पिछड़े हुए हैं उनमें यह किया जाय और यह एक वर्ष के अन्दर पूरा करने की दृष्टि से किया गया है लेकिन इसके अलावा पिछले बजट के मौके पर ही रूरल वर्क्स प्रोग्राम के तहत राजस्थान के 10 जिलों में, योजना लेने के बारे में और देश भी अन्य जगह जो ज्यादातर क्रानीकली एफेक्टेड हैं, एक तरह से अकाल के क्षेत्र हैं, उनमें भी काम के बारे में रखा गया है । उसमें 2 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा एक एक जिले में । उसके सिवाय जितनी हमारी पंचवर्षीय योजनायें हैं उनके नीचे लोगों को रोजगार मिले, वह भी उसका एक अंग है । उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से हरिजन और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को गांधी शताब्दी वर्ष में जो भूमि दी गई है उससे अतिरिक्त उत्पादन भी होगा और साथ साथ अतिरिक्त रोजगार उनको प्राप्त होगा, उस दृष्टि से राजस्थान में 2.72 लाख एकड़ जमीन करीब 79,600 व्यक्तियों के बीच में जो बांटी गई उससे भी एक बहुत बड़े रोजगार का काम, एक उत्पादन का जरिया हमारे सामने आता है । तो कई योजनाओं के द्वारा इन सारी चीजों को किया जा रहा है ।

यहां पर यह भी जिक्र किया गया कि जो पहले जितने बेकार लोग थे उस तादाद में हमारी पंचवर्षीय योजना के बावजूद संख्या पहले से बढ़ी है । यह सही है... ..

**श्री लादूराम सुलानिया** : क्या हरिजन लोगों को जो एलॉटमेन्ट होता है, इस पर सब लोगों को अपना व्यवस्थित रूप से कब्जा दिलाकर . . . .

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य ।

**श्री लादूराम सुलानिया** : क्या इसकी जांच करायेंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : इन्टरप्शन न हो ।

**श्री लादूराम सुलानिया** : यदि ऐसी बात है तो मैं वाक आउट करता हूं । आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं ।

(श्री लादूराम सुलानिया द्वारा बहिर्गमन)

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जो योजनायें हाथ में ली गई हैं उन योजनाओं के द्वारा रोजगार की उपलब्धि डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट तरीके से इसमें प्राप्त होती है । औद्योगीकरण का जरिया प्राप्त होता है, सिंचाई के साधन बढ़ते हैं तो लोगों का काम-काज बढ़ता है । यह होते हुए भी यह सत्य है कि देश में जिस तेजी से आबादी बढ़ती जा रही है, उस लिहाज से बेरोजगारी के

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लिए हम बहुत सी कामयाबी हासिल कर सकें, उसमें दिक्कत आती है। अतः उसी दिशा में ये छोटी छोटी जगह जो कार्यक्रम हाथ में लिए है और बड़े कार्यक्रम लिए गए है, अगर यह पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा और योजना बद्ध तरीके से विकास करने के क्रम को देश में नहीं अपनाया जाता तो मैं समझता हूं कि जो बेकारी या अर्ध-बेकारी की स्थिति बनती, वह कहीं ज्यादा भयंकर होगी। आज कहां ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है, उसके बारे में एक अलग स्थिति रहती है।

राजस्थान में जैसे सभी माननीय सदस्य जानते है खनिजों के अन्वेषण के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान की खनिज संपत्ति

( 2.55 म० प० )

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

के बारे में ज्यादा से ज्यादा और अन्वेषण करना चाहिए। शायद माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि राजस्थान में पिछले वर्षों में राज्य सरकार द्वारा ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण खनिज जिनका अखिल भारतीय महत्व है और जिनकी वजह से राज्य सरकार को भी काफी आमदनी होगी और साथ साथ उससे रोजगार भी प्राप्त होगा, औद्योगीकरण भी होगा, काफी यत्न किए गये है और इसी वजह से राजस्थान में मिनरलबेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत सी बन रही है और आगे बनाने के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं।

माननीय सदस्य जानते हैं कि राजस्थान में पाइराइट्स और रॉक फॉस्फेट के आधार पर फर्टीलाइजर प्लाण्ट के लिए भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में प्रावधान रखा है। उसी प्रकार कापर जिंक के अन्दर, जिंक में खास तौर से उसकी और शक्ति बढ़ाने के बारे में और दूसरे कार्यक्रमों के बारे में राजस्थान में जो काम हाथ में लिए जाते हैं, उनसे राजस्थान के लोगों को रोजगार मिलने में ज्यादा से ज्यादा मदद प्राप्त होगी।

राजस्थान की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी के बारे में यहां पर जिक्र किया गया कि राजस्थान की औसत आमदनी बिहार से सिर्फ ऊपर है दूसरे राज्यों के मुकाबले में। दुर्भाग्य से राजस्थान में प्रति व्यक्ति आमदनी के बारे में स्टेटिस्टिक्स जो मौसम की पैदावार के लिहाज से होते हैं, उनका बड़ा असर होता है। यहां पर 1966-67 के बारे में एक डायरी जो टाटा की तरफ से पब्लिश की गई है, उसके अन्दर जो फिगर्स दिए गए हैं 1966-67 के अलग अलग जगहों पर, उनको यदि लेते हैं तो उसमें राजस्थान करीब करीब बीच की स्थिति में आता है। समान्य वर्ष अगर हो और दूसरे राज्यों का भी सामान्य वर्ष हो तो ऐसी हालत में राजस्थान, यू० पी०, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र, मैसूर, जम्मू काश्मीर और असम इनमें थोड़ा बहुत अंतर से करीब करीब बराबर में प्रति व्यक्ति औसत की स्थिति आती है लेकिन जब......

**श्री भैरोंसिंह** : यह तो भारत सरकार ने फिगर्स दिए हैं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं कह रहा हूं कि जिस वर्ष का आप कह रहे हैं, वह मैं ना नहीं कह रहा हूं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** टाटा की फिगर्स ज्यादा आथेन्टिक हैं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** वीअरवाइज सिचुएशन में फर्क होता है। जैसे इस वर्ष अच्छा वर्ष है पिछले साल से 17 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। अकाल का वर्ष हो तो 17 प्रतिशत का अंतर बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा। इसलिए वर्षा नार्मल कन्डीशन्स में सब जगह कम्पेरेटिवली ज्यादा हो तो उसके अन्दर अंतर आता है लेकिन हमारे यहां रेकरिंग फेमीन कन्डीशन्स के लिए भी माननीय सदस्यों को जानकारी है कि यहां पर कहा गया कि राजस्थान में अकाल पड़ता है उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अकालों को रोकने की,की जाती है।

मैं समझता हूं माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान के अन्दर जहां तक कि उन क्षेत्रों में सिंचाई के बारे में संभावना हो सकती है सबसे पहले सबसे बड़ी योजना राजस्थान नहर को लिया गया। एक हद तक उस समस्या को हल करने का प्रयत्न किया जो पीने के पानी के लिये दिक्कत खड़ी होती है और जिसके लिये काफी परेशानी उठानी पड़ती है। पिछले वर्षों में ट्यूब वैल्स ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये, जिनका यहां जिक्र किया गया रीजनल स्कीम्स के नाम से, पचास साठ लाख की इस प्रकार की योजनाओं के जरिये से ग्रामीण क्षेत्रों में कई ग्रामों को जोड़ कर ट्युब वैल्स के जरिये वहां पानी पहुंचाया जा सके रेगिस्तान के अन्दर, उन योजनाओं को हाथ में लिया गया।

किसी डेजर्ट की समस्या को हल करने के लिये, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसलमेर और बाड़मेर के लिये जो आवश्यकता कही, उससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। डेजर्ट के बारे में स्पेशल तौर से विचार किया जाय, डेजर्ट के लिये स्टेट अपने प्लान से जो कुछ कर सकती है कर रही है, डेजर्ट डेवलपमेन्ट बोर्ड, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने अलग से बना कर और तरह से भी इस समस्या को हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है और किया गया है। यह समस्या इतनी व्यापक है कि एक एक सीमा तक ही तो बढ़ सकते हैं। यह पूर्ण रूप से कहा जा सके कि अकाल कहीं रह ही नहीं सकता है इसलिये कुदरत के सहयोग की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। उसके बाद केवल इस बात पर आधारित रह सके कि कितना ही भयंकर अकाल पड़े वैसी स्थिति नहीं रहेगी लेकिन आस्ट्रेलिया जैसी जगह, बीच का आस्ट्रेलिया छोड़ा हुआ है यह मान कर कि इतने बड़े डेजर्ट को टैकल करना मुश्किल होगा। जहां पानी है इन समस्याओं को हल करके चलना चाहते हैं, और इसके लिये ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करें।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया राजस्थान में जो ड्रिंकिंग वाटर के लिये योजना के अन्दर प्रावधान रखा है उसके अलावा करीब तीन करोड़ रुपया उन क्षेत्रों के लिये रूरल प्रोग्राम के जरिये उन एरिया में ड्रिंकिंग वाटर के लिये प्रयत्न किया। भारत सरकार से विशेष तौर से कहा था कि हम उन एरियाज में ड्रिंकिंग वाटर के लिये और ज्यादा रख कर चलना चाहते हैं जिससे वहां के लोगों को राहत प्राप्त हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं और बहुत सी बातों के लिये विस्तार में जाऊं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उसकी आवश्यकता नहीं है। इस सदन के अन्दर कोलोनाजेशन के रूल्स और अलाटमेंट के लिये कहा गया। इसके लिये एक हाई पावर कमेटी बनाई गयी जिसने रूल्स करीब करीब तैयार किये है और जल्दी ही मंत्रिमंडल के द्वारा उसको फाइनेलाइज करके उसके सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जावेगी।

आज राजस्थान में जो चुनाव हुए हैं, चुनावों की बातों से पहले मैं यह निवेदन करूं कि यहां पर कुछ बातों के बारे में भी कहा गया। यहां पर एक्स सोल्जर्स के लिये जमीन अलॉटमेन्ट की बात आती है, यह कहा गया कि ऑफिसर्स को ज्यादा जमीन अलॉट हो जाती है बमुकाबले दूसरे व्यक्तियों के। जो कुछ इस सम्बन्ध में मैंने जानकारी की उसके मुताबिक कमिशन्ड ऑफिसर्स और जी० सी० ओज को 6 परसेन्ट अलॉट हुई है और दूसरी जमीन दूसरे रैंकों के बीच में दी है।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : फौजियों के लिये अलॉट की घटिया से घटिया और टीबे वाली जमीन जहां पानी नहीं निकल सकता है। इसका भी आपने ध्यान किया है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष भी जमीन दी है शिड्यूल्ड कास्ट के लिये पूरी जमीन उसमें भी परिवर्तन किया है उसके बाद 50 परसेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और 35 परसेन्ट जमीन एक्स सोल्जर्स के लिये रिजर्व करने के बारे में निर्णय दिया गया है। उसमें प्राथमिकता दी जाने की बात है रेन्क्स के लोग हैं उन्हीं लोगों को और खास तौर से जो रिटायर हो चुके हैं और फौज में क्षति हो चुकी है उनको ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाने का दृष्टिकोण रखा है।

यहां उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि एम्प्लायमेन्ट के लिये पहले उस परिवार को प्राथमिकता दें जिसके परिवार में कोई एम्प्लाय नहीं हैं, कमाने वाला नहीं है। यह ज्यादा उपयुक्त भी होगा। मैं समझता हूं कई दृष्टियों से इस प्रश्न पर विचार करना होगा। क्वालिटी की दृष्टि से भी अलाटमेन्ट की आवश्यकता पड़ेगी और वैधानिक दृष्टि से भी किया जा सकता है। सुझाव जो आया है उसमें मैं बहुत मतभेद नहीं रखता। हम यह देखेंगे कि कहां प्राथमिकता दी जा सकती है। जिनके पास काफी एम्पलॉयमेन्ट और जरिये हैं और जिनके पास नहीं हैं उनमें से पहले इनको प्राथमिकता दी जा सके।

उपाध्यक्षजी, चुनाव के लिये इसमें जिक्र किया गया कि राजस्थान में शान्ति-पूर्वक चनाव हुए। उस बात को लेकर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान के अन्दर काफी अशान्ति थी और राजस्थान के कुछ जिलों का नाम लिया गया, कुछ क्षेत्रों का नाम लिया गया। मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो कुछ भी घटनायें हुई उनके बारे में कोई भी व्यक्ति यह कह कर चले कि किसी को दबा कर या धमका कर या किसी हिंसा के जरिये वोट प्राप्त किये गये उस बात से कोई सहमत नहीं हो सकता। और उसको कन्डेम करने के लिये जब बीकानेर के महाराजा का एक तार आया था कि सब व्यक्ति मिल कर एक अपील निकालें मैंने उससे सहमति प्रकट की थी। लेकिन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आज कोई इस बात को समझ कर चले कि दूसरी तरफ कोई घटनायें नहीं हो रहीं थीं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर यह वातावरण ही बनना, किसी तरफ से बना हो कहीं भी, मैं समझता हूं, माननीय सदस्य भी जानते हैं कि कई जगह देश की प्रधान मंत्री गयीं उस जगह मीटिंग्स में अव्यवस्था पैदा की गयी। शायद माननीय सदस्य भी जानते हैं जो चुनाव के दौरान मिटिंग हुई कई मिटिंगों में पत्थर फेंके गये, कइयों के चोटें आयीं, जो कैन्डीडेट्स खड़े हुए उनमें जयपुर से खड़े हुए माननीय सदस्य पी० के० चौधरी को चोट आयी। यह सब माननीय सदस्य जानते हैं। कोई भी घटना होवे, यहां आये या न आये, उसके लिए यही जबाब दिया जावेगा क्योंकि मैं निश्चित रूप से लोकतन्त्र के अन्दर हिंसा का या किसी प्रकार का व्यवधान डालना एक खतरनाक बात समझता हूं और उसकी एक प्राक्रिया यदि एक तरफ से शुरू होती है तो उसकी प्रतिक्रिया चलती रहती है और इस प्रकार की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया को सब तरफ से दवाना चाहिये। यहां जो इसका जिक्र किया गया है वह उस बैकग्राउन्ड में किया गया है कुल मिलाकर चुनाव की स्थिति बनी उसमें ठीक तौर पर ज्यादा इस प्रकार की घटनाओं के बिना चुनाव सम्पन्न हुए, मैं समझता हूं यह जनता और सबके लिये खुशी की बात होनी चाहिये। इस देश के अन्दर इतनी बड़ी तादाद होते हुए छोटी मोटी घटनाओं के अलावा समय पर शान्ति पूर्वक चुनाव सम्पन्न कराये जा सकते हैं तो इसके लिये अगर यह कहा जावे कि शान्ति पूर्वक सम्पन्न हुए, तो यह गलत बात नहीं होगी।

तो मैंने निवेदन किया कि ये ऐसी कुछ घटनाएं खुद में दुर्भाग्यपूर्ण होते हुए भी जो बातें सामने आईं वे हमारे सबके सामने हैं। उनको आगे रोकने के लिये हमें सबको ज्यादा प्रयत्नशील होना है।

उस रोज जिक्र किया गया था चुनावों के बाद कुछ जगह कुछ लोगों को बदले की भावना से दबाया जाता है इसके सम्बन्ध में भी अलग अलग जगह के अधिकारियों को तुरन्त इसके बारे में कार्यवाही करने को कहा है।

यह शिकायतें एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से आई थीं। यहां जिक्र हुआ उससे पहले भी आई थीं। यह निश्चित है कि किसी भी तरफ वोट देने का हरेक को अधिकार है। वोट देने के बाद उसको पूरा संरक्षण मिलना चाहिये। और उसके मन में इस प्रकार की कोई बात नहीं रहनी चाहिये कि वोट देने के बाद में उसके साथ ज्यादती की जायेगी। यह हम सबको मानकर चलना चाहिये।

तो मैं तो यह निवेदन कर सकता हूं कि इन चीजों के बारे में हम स्वयं सतर्क हैं और इन चीजों के बारे में ध्यान रखकर चलना चाहते हैं। हम किसी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में टाल कर नहीं चलना चाहते।

नागौर और झुंझुनूं में केण्डीडेटों को पुलिस प्रोटेक्शन देने की बात जब हमारे सामने आई तो इसके लिये हमने इन्तजाम किया है और इस प्रकार की घटना न हो इसके बारे में भी किया गया है।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो राजस्थान में ये चुनाव हुए और इसमें जो छोटी मोटी अप्रिय घटनाएं हुई उनके बारे

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

में केसेज रजिस्टर किये गये हैं, इसके बारे में भी कार्यवाहियां करने की चीज की गई है। इन पर भी ध्यान देकर चला गया है और ये घटनाएं न घटें, इसके बारे में भी निवेदन किया। अब ऐसा किसी एक तरफ से ही हुआ यह कहकर नहीं चला जा सकता। जो हुआ वह हम सबके सामने है।

कुछ ने कहा कि गरीबी का और समाजवाद का नाम लेकर लोगों को भ्रम में डालकर बहुमत में जीतकर आ गये हैं और इस पर से बहुत प्रतिक्रियाएं होंगी बहुत जिम्मेदारियां आ गई हैं। माननीय उपाध्यक्षजी......

**श्री रामचन्द्र आर्य :** राज्यपाल के भाषण में कोई नवीनता नहीं है। आप समाजवाद की बात करते हैं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** आपको तकलीफ क्या हो रही है ?

यहां पर जिक्र हुआ, उसकी बात कह रहा हूं मैं तो। यहां पर जिक्र किया गया कि यहां जो कुछ बात कही गई है यह बात ठीक नहीं कही गई। अब आगे इसका परिणाम और जो कुछ स्थितियां बनेंगी तो जो कार्यक्रम कहा गया है वह यह समझ कर कहा गया कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है और उसकी तरफ निश्चित तौर से आगे बढ़ने के इरादे से कहा गया है। पर ऐसे ही मौके पर जो दूसरे व्यक्ति हैं वे इन चुनावों के लिये कहते हैं कि ये पूरे आजादी के साथ नहीं हुए या और तरह से नहीं हुए। ये बातें जो कहीं जाती हैं गलत हैं। राजस्थान के अन्दर जो चुनाव हुए हैं या देश में हुए हैं उनमें किसी प्रकार के चमत्कार की वजह से फरक पड़ गया ऐसा नहीं मानकर चलना चाहिये। यह तो नीतियों का संघर्ष था।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** हम तो मानते हैं। कई कारण हैं ऐसी बात नहीं है। आपके अन्दर शंकाएं हैं उसकी एन्क्वारी करावें।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** माननीय सदस्य, आपको तो कहना ही चाहिये क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत आपके दल को हुई है।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** यह जनता का सवाल है, एक दल का नहीं है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** जनता ने ही तो अपने अधिकार को काम में लिया है।

**श्री दौलतराम सारण :** राजस्थान में तो सबसे अधिक पिटाई आपकी हुई है।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया :** मैं तो नाम ही नहीं ले रहा था। मैं तो इसके बारे में जिक्र ही नहीं करना चाहता था क्योंकि आपके माननीय नेता महोदय ने ही शुरू 2 में कहा था कि चार पार्टियों के गुट में शरीक होने से पहले यह तय किया जाय कि देश का प्रधान मन्त्री कौन होगा।

**श्री दौलतराम सारण :** यह तो मक्कारी के साथ आप लोगों ने झूठा प्रचार करवाया उन्होंने इसका खण्डन किया है। नेता के नाम से जो समाचार प्रचारित किया गया उसका खण्डन किया है।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया :** मुझे इस बारे में ज्यादा निवेदन नहीं करना है क्योंकि माननीय सदस्य भी इसके बारे में ज्यादा

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

परेशान होते हैं और खास तौर से इसलिये और ज्यादा होते हैं कि राजस्थान में सिर्फ एक राजा उनकी तरफ से खड़े हुए वे तो कई हजार वोटों से हारकर रह गये पर बाकी की तो जमानतें ही जब्त हो गई इसलिए परेशानी अनुभव होती है। पर मैं तो कहना ही नहीं चाह रहा था।

इसमें भी उपाध्यक्ष जी यह कहा गया कि जमीनें चली जावेंगी, मकान चले जावेंगे यह सब प्रचार करने के बावजूद जनता में यह स्थिति रही।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : उदयपुर वाली जनता कहां चली गई थी ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : हम तो इस बात को मानते हैं कि हार गये। इसमें नहीं कहने की बात क्या है। आप हारने के बाद भी कहते हैं कि जीत गये हैं, इसका अफसोस है। हम तो यह कह कर नही चलते।

**श्री विजयसिंह (मकराणा)** : हमें भी एक बंगला देंगे ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : हमें तो स्पोर्टसमेन स्पिरिट में रहना चाहिए और उसी स्पिरिट में काम करना चाहिये। इसमें परेशानी की बात क्यों होनी चाहिए ? अब उपाध्यक्ष महोदय, चुनावों का ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वह जिक्र ठीक नहीं है। और अभी तक जो बातें सामने आईं उन बातों को नहीं दोहराते हुए एक बार फिर मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाये।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : इस भाषण में आपके साथ वाली पार्टी ने जो जो बेईमानियां की हैं उसका कोई जिक्र नहीं किया। इन सबकी एक कमीशन बिठाकर जांच कराई जानी चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान।

**श्री विजयसिंह** : मैंने मारबल के बारे में कहा, उसका कोई उत्तर नहीं दिया।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : माइन्स की जब डिमाण्ड आवेगी उस समय इस पर चर्चा कर लेंगे।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : मेरी अनाज के बारे में जो बात थी उसका भी जबाब नहीं आया। 30 रुपया क्विन्टल तक किसानों का अनाज कोई खरीदने को तैयार नहीं है। हालत बड़ी खराब हो रही है। जब कि 55 रुपया तक खरीदने की सरकार की बात थी।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : उस जगह जल्दी ही खरीद के बारे में स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन वालों से बात करके व्यवस्था करा देंगे।

**श्री दौलतराम सारण** : मैंने कई बुनियादी मुद्दे उठाये थे योजनाबद्ध विकास के बारे में। कहीं पर भी सही आंकड़े उपलब्ध नहीं होते। खेतीहर मजदूरों के बारे में, बेकारों के बारे में, रिसोर्जेज के बारे में बहुत से प्रश्न उठाये गये थे। पर खेद है इन बुनियादी प्रश्नों को भी इग्नोर करके यह सरकार चलना चाहती है। इसका क्या कारण ? आपकी सारी योजनाएं फेल हुई हैं। रोजगार की क्षमता पूंजी के

(श्री दौलतराम सारण)
विनियोजन की क्षमता हमारी घटी है। आगे भी आशा की कोई झलक नजर नहीं आ रही।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारियों को इन्टेरिम रिलीफ देने के बारे में क्या सरकार ने अपनी तरफ कोई आश्वासन दिया था, अगर दिया था तो उसका उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण म क्यों नहीं आया। तो जो एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा थी उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि जो घोषणा सरकार की तरफ से हुई थी क्या उस पर अमल होगा? इसके बारे में क्या किया?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अमल हो रहा है। किसी ने यह नहीं कहा कि अमल नहीं हो रहा है। मानकर हम सभी चल रहे हैं कि अमल होगा। जो तय कर दिया गया है उस पर अमल होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सर्विसेज के सिलसिले में राजस्थान की रिटायरमेन्ट की आयु 55 साल की है आर० ए० एस० सर्विस वालों सहित सभी की, जबकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेन्ट की आयु आज भी 58 साल की है। क्या यह सम्भव नहीं है कि देश में व्याप्त अनएम्प्लायमेन्ट को दूर करने के लिये केन्द्रीय सर्विस वालों की भी और खास कर जो राजस्थान में हैं आई० ए० एस० आदि उनकी आयु 58 से 55 कर दी जाय इस प्रकार की सिफारिस केन्द्रीय सरकार को की जाय। क्या इस सम्बन्ध में आप विचार करेंगे और केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में दबाब डालेंगे कि हिन्दुस्तान में एम्पलाइज की दृष्टि से भी यह आवश्यक है और राजस्थान की सर्विसेज में हार्ट बर्निंग न हो इसलिए रिटायरमेंट की एज 55 कर दी जाय। सेंट्रल गवर्नमेंट में यह एज 58 की है इसलिए मेरी मान्यता है और आपने सदन में घोषणा भी की थी लेकिन खेद है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह महत्वपूर्ण मसला है–एक बात, और एक बात क्या यह सही है कि अर्बन प्रोपर्टीज में सीलिंग लगाने के सिलसिले, में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों की राय मांगी है। अन्य राज्यों से भी केन्द्रीय सरकार से राय मांगी है और राजस्थान सरकार ने अर्बन प्रापर्टीज में सीलिंग लगाने के सिलसिले में आज तक केन्द्रीय सरकार को अपनी राय नहीं भेजी और हायर एग्रीकल्चरल से जितनी इनकम है 8-10 हजार के ऊपर ऐसे बड़े बड़े फार्म्स हैं जो ब्लेक मनी शो करते हैं। 50-50 हजार और एक एक लाख की फार्मस की इनकम है–जो ऐसे हायर ग्रुप है उस पर टैक्स लगाया जाय जिससे राजस्थान की टैक्स, राजस्व में इन्क्रीज हो और तथाकथित समाजवाद की बात करते हैं उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, अपने विचार प्रकट करेंगे?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) : जो 55 साल की एज का प्रश्न है सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट एम्पलाईज के इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य जानते हैं जिस वक्त राजस्थान के एम्पलाईज की आयु के बारे में निर्णय लिया गया था हमने यह भी कहा था कि अखिल भारतीय सर्विसेज के आधार पर रिटायरमेंट की आयु 55 कर दी जाय उसके पक्ष म

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

राजस्थान सरकार है और उसी दृष्टि से हमने भारत सरकार को भी उस वक्त लिखकर भेजा था। अब आज कोई नई परिस्थिति ऐसी नहीं है कि फिर लिख कर भेजने की आवश्यकता हो लेकिन कभी हमारी सलाह ली जायगी तो हम निश्चित रूप से मानते हैं कि आज की स्थिति को देखते हुए 55 साल की एज ऑल इण्डिया सर्विसेज में कर दी जाय तो उपयुक्त होगा। हम इस बात को मानकर चलते हैं और प्रश्न की गंभीरता को मानते हैं लेकिन अभी उचित नहीं है फिर कभी......

**श्री आलम अली खां** (फतहपुर) : उपाध्यक्ष जी एक चीज देखने में आई राज्यपाल महोदय के भाषण में अल्पसंख्यकों के वास्ते हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद आज तानि कतई कोई इन्हां की बात नहीं आई कि कोई अलग से शिक्षा को इन्तजाम करियो जासी।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य कोई नया भाषण नहीं होगा। प्रश्न के रूप में स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं।

**श्री आलम अली** : वे कुन कुन सा जिला है जा में अल्पसंख्यका का तानि उर्दू को इन्तजाम करियो गयो।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मनोहरसिंह मेहता।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रिटायरमेंट की आयु के बारे में कहा कोई नई परिस्थितियां पैदा नहीं हो गई हैं उस सिलसिले में मुझे पूछना है समाजवाद जब तेजी से ला रहे हैं और जो सरकारी मशीनरी का सबसे ऊंचा तबका है उनकी तो 55 नहीं 54 रिटायरमेंट की एज कर देनी चाहिये इसलिये जोर देकर लिखें कि इनकी रिटायरमेंट की एज 55 के बजाय 54 रखें।

दूसरे नशाबन्दी की समाप्ति होगी 72 तक। राज्य सरकार की यह घोषणा है कि सन् 72 तक पूर्ण नशाबन्दी करेंगे लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। सन् 72 तक पूर्ण नशाबन्दी करने की घोषणा की उसमें चर्चा नहीं है इसलिये शंका होती है। हांलाकि शंका करना नहीं चाहिये फिर भी कृपा करके इसका स्पष्टीकरण कर दें तो ज्यादा अच्छा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री चौधरी।

**श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की आम शिकायत है उनके मेडीकल बिल्स समय पर नहीं मिलते हैं। क्या मुख्य मंत्रीजी के पास इस प्रकार की शिकायत आई है ? मैं उनकी तरफ से एक शिकायत पेश करता हूं। मेडीकल बिल टाइम पर नहीं मिलते हैं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मेडीकल की डिमान्ड का मौका आये तब जिक्र कर लें।

**श्री उपाध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हुई। धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान।

प्रश्न यह है कि इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य राज्यपाल महोदय

**(श्री उपाध्यक्ष)**

के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने कृपा-पूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हूँ।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(स्वीकृत)

**एक माननीय सदस्य** : यह नई परम्परा क्या डाल रहे हैं ?

**प्रतिवेदन का उपस्थापन**

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रतिवेदन का उपास्थापन। श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति के तेरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

**विधायी कार्य**

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मथुरादास माथुर। विधायी कार्य।

**श्री मथुरादास दास माथुर** (वित्त मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरीय भूमि कर संशोधन विधेयक, 1968 को प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक और बढ़ा दिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1968 को प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक और बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास।

**श्री हीरालाल देवपुरा** (राज्य मंत्री गृह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पुलिस (अप्रीति उद्दीपन) विधेयक, 1970 को पुर स्थापित करता हूं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या चीज ?

**श्री हीरालाल देवपुरा** : राजस्थान पुलिस उद्दीपन एक्ट।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री बी० एन० जोशी।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : बालक।

**श्री बी० एन० जोशी** (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बालक (संशोधन) विधेयक, 1971 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान बालक (संशोधन) विधेयक, 1971 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

स्वीकार किया गया।

**श्री बी० एन० जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बालक (संशोधन) विधेयक, 1971 को पुरःस्थापित करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : राजस्थान भू-गृहादि (किराया नियन्त्रण तथा बेदखली) संशोधन विधेयक, 1970। श्री रामकिशन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

# Page No 87



**श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : माननीय उपाध्यक्ष जी माननीय सतीशजी बोलें उसके पहले में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह जो विधेयक है राजस्थान भू-गृहादि (किराया नियन्त्रण तथा बेदखली) संशोधन विधेयक, 1970 लिखा हुआ है। यह तो 71 है।

**श्री उपाध्यक्ष** : अध्यादेश जिस सत्र का है उसी का होगा।

**श्री भगवानदास शास्त्री** : किन्तु उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक तो 1971 का होगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : उसके पहले का जो विधेयक है उस पर तो 68 ही लिखा हुआ था। अध्यादेश की डेट को माना जायगा। आप जब चर्चा में हिस्सा लेंगे तो उस समय आपत्ति कर लेना।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व कि अध्यादेश को स्वीकृत करने की बात प्रस्तुत करूं मैं एक संवैधानिक आपत्ति के बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस अध्यादेश के सम्बन्ध में मुझे जो एक संकल्प प्रस्तुत करना है उससे पूर्व मैं एक संवैधानिक आपत्ति इस संशोधन अध्यादेश वाले विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्तुत करना चाहता हूं और वह भी मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा और राज्य सरकार से भी मेरा निवेदन है मेरी उस आपत्ति पर गंभीरता से और गहराई से विचार करें अन्यथा अनेक प्रकार की दुविधायें उत्पन्न हो जायेंगी और फिर कोई दूसरा कानून इस राज्य में बनाना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो आपत्ति मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं वह एक प्रकार से तो बहुत साधारण, सामान्य लेकिन सूक्ष्म है। हमारा उद्देश्य इस संशोधन अध्यादेश अथवा विधेयक के माध्यम से राजस्थान प्रिमिसेस कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड इविक्शन एक्ट, 1950 में संशोधन करने का है। इस कानून के अन्तर्गत इसकी मियाद समाप्त हो गई और अब हम इसकी मियाद 5 साल और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इतना सा ही केवल संशोधन इस अध्यादेश से किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय जरा आप स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्टस एण्ड रीजन्स जो ऑर्डीनेन्स जारी करने के समय लिखे हैं कृपया इनकी ओर ध्यान दीजिए जिसमें लिखा है "यह अध्यादेश 24 दिसम्बर, 70 को जारी किया गया। इस कानून की मियाद 28 नवम्बर, 70 को समाप्त हो गई"। 28 नवम्बर, 70 को जिस कानून की मियाद समाप्त हो गई उस कानून का कार्यकाल आप 24 दिसम्बर, 70 को 5 वर्ष बढ़ा रहे हैं। मेरी इस संबंध में संवैधानिक आपत्ति यह है कि जब 28 नवम्बर, 70 को यह कानून समाप्त हो गया, इसकी मियाद नहीं बढ़ाई गई तो 28 नवम्बर, 70 के बाद याने 29 नवम्बर, 70 को यह कानून स्टेचुट बुक पर नहीं रहा, यह एक डेड लॉ हो गया और डेड लॉ होने के कारण 29 नवम्बर, 70 के बाद इस प्रकार का कोई भी संशोधन मियाद बढ़ाने का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। संशोधन तब ही किया जा सकता है जबकि कानून एग्जिस्ट करता हो और जब 29 नवम्बर, 70 के बाद 24 दिसम्बर को कानून स्टेचुट बुक पर नहीं रहा, कानून राजस्थान प्रिमिसेस कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड इविक्शन एक्ट, 1950 29 नवम्बर, 70 को स्टेचुट बुक पर नहीं था, यह कोई लिविंग कानून नहीं था और 28 नवम्बर, 70 को उसकी मियाद समाप्त हो गई, यह कानून समाप्त हो गया।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
यह टेम्पोरेरी मेजर था जो कि किरायेदारों को रिलीफ देने के लिए बनाया गया था–इस बात का तो मुझे बड़ा खेद है कि यह कानून समाप्त हो जाये और न मैंने इस बात की पैरवी की कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं इसके पक्ष में हूं कि किरायेदारों को राहत देने के लिए कानून रहना चाहिए लेकिन इसमें यह खामी रहेगी और अगर किसी प्रकार का ड्रॉबेक रह गया तो इसका परिणाम यह होगा कि हम तो समाधान कर लेंगे कि हमने कानून बना दिया किरायेदारों को राहत देने के लिए कि 5 साल की मियाद बढ़ा दी लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कानून के आधार पर अदालतों में जो मामले चल रहे हैं उनके ऊपर इतना विपरीत असर पड़ेगा कि वहां पर मकान मालिकों की तरफ से इस प्रकार के प्रश्न उठाये गये हैं, उठाये जा रहे हैं और उठाये जायेंगे कि यह कानून 28 नवम्बर, 70 को समाप्त हो गया याने कि यह मर गया। It was not a living law, it was not existing on the Statute Book after 28 th November, 1970. और जो कानून मर गया, जो एक डेड लॉ है उसकी मियाद बढ़ाने का सवाल 24 दिसम्बर, 70 को खड़ा नहीं होता और हमें इस संबंध में दूसरा कानून इस विधान सभा में पास करना होगा। राजस्थान प्रेमिसेस कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड इविक्शन एक्ट, 1950 जो 28 नवम्बर, 70 को समाप्त हो गया और दुबारा से राजस्थान के किरायेदारों के हक में मैं और मेरा दल इसका पक्षपाती है कि किरायेदारों के हकूकों की रक्षा के लिए इस प्रकार का कानून बनायें लेकिन यह पंगु कानून हमारे किरायेदारों को वह राहत नहीं दे सकता क्योंकि यह कानून समाप्त हो गया। सरकार चाहे सन्तोष करले कि हमने 5 साल मियाद बढ़ाई है लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैंने इस संबंध में अध्ययन किया और मैंने फैडरल कोर्ट की रूलिंग्स भी देखीं और मैंने कोशिश भी की कि हमारे विधान सभा की लाइब्रेरी में वह फैडरल कोर्ट की रूलिंग मिल सके लेकिन नहीं मिल सकी इसलिए वह जजमेन्ट और ओब्जर्वेशन जो कि फैडरल कोर्ट ने दिये हैं, जो कि हिन्दुस्तान का सर्वोच्च न्यायालय उस समय था सन् 45 में–वहां भी यही सवाल उठाया था–बंगाल की हार, मुझे निश्चित रूप से याद नहीं—वहां पर प्रिवेन्टिव डिटेन्शन का कानून था उसकी मियाद खतम हो गई और उसकी मियाद बाद में बढ़ाई गई तो फैडरल कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन दिया है कि यह डेड लॉ था, यह कानून उस तारीख को समाप्त हो गया और इसकी मियाद नहीं बढ़ाई जा सकती, यह इल्लीगल है। कानून को आपको रिवाइव करना है तो रिट्रास्पेक्टिवली सारे कानून को करना पड़ेगा, फिर से कानून को बनाना पड़ेगा। इसलिए मेरी यह मान्यता है कि वास्तविक रूप से यह सदन और सरकार यदि राजस्थान के समस्त किरायेदारों के हकों की रक्षा करना चाहता है तो हम कानून ऐसा बनायें जो कि कानून की नजर में कानून हो, जिसकी कोई वेलेडिटी हो, जिसकी कान्स्टीट्यूशनेलिटी हो और मेरी नजर में जो अध्यादेश के द्वारा संशोधन किया गया है जिसका सदन में विधेयक ला रहे हैं विधेयक पारित करके इसकी जो भावना है, यह कानून रहे इसकी मियाद बढ़े–मैं इसके विरोध में नहीं हूं, इसके पक्ष में हूं–मैं और मेरा दल उस संबंध में सुझाव भी देगा और मैं इस पर बाद में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सुझाव दूंगा लेकिन में निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा पंगु कानून जो आपने बनाया है यह ध्यान में लाना मेरा परम कर्त्तव्य है कि यह कानून पंगु कानून है, यह इल्लीगल है, यह अवैधानिक है और यह गैर कानूनी है। ऐसा संशोधन जो कि पांच साल का किया गया है यह डेड लॉ में नहीं किया जा सकता। यह 28 नवम्बर, 70 को अपनी मौत मर गया। अच्छा तो यह था कि राजस्थान सरकार इस कानून में संशोधन लाने के लिए विधान सभा के पिछले अधिवेशन में विधेयक प्रस्तुत करती, वह तो किया नहीं और जब एक महीने का समय गुजर गया तो फिर रिट्रोस्पेक्टिवली उसकी मियाद बढ़ाई है।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी संवैधानिक आपत्ति यह है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की विधान सभा में अनेक कानून ऐसे इस सदन में आये हैं और इस प्रकार के कानूनों के लिए आपत्ति उठाई है तो राज्य सरकार ने सरसरी तौर पर उनके बारे में कहा है कि हम कानून बना सकते हैं और हमारी आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया और उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और ऐसे उदाहरण हैं कि उन कानूनों को सुप्रिम कोर्ट में चेलैन्ज किया गया जैसे राजस्थान पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स एक्ट के बारे में हुआ। नतीजा यह हुआ कि सुप्रिम कोर्ट ने पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स एक्ट को उन्हीं आपत्तियों के आधार पर जो कि हमने सदन में उठाये और उस कानून की धाराओं को अनकान्स्टीट्यूशनल करार दे दिया और नतीजा यह हुआ कि सरकार ने दुबारा ऐसे आर्डीनेन्स निकाले और सदन में विधेयक लाये। ऐसी स्थिति फिर से पैदा नहीं हो और कोर्ट में यह इन्टरप्रिटेशन न हो जाये कि डेड लॉ को रिवाइज नहीं किया जा सकता, उसमें अमेन्डमेन्ट नहीं हो सकता इसलिए इसी इन्टरेस्ट से और किरायेदारों के हितों की दृष्ठि से मैंने संवैधानिक आपत्ति उठाई है। मैं समझता हूं कि सरकार गम्भीरता से इसको एग्जामिन करेगी और जल्दबाजी में यह कानून पास नहीं करके अगर आवश्यकता हो तो इस पर बैठकर विचार कर लिया जाये और उसके बाद इसके ऊपर हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं होगा और पांच मिनट में यह सदन में पास हो सकेगा।

**श्री यशवन्तसिंह नाहर** (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि रेन्ट कन्ट्रोल एण्ड एविक्शन एक्ट आपका जो कानून है उस कानून में कई दफाएं हैं और एक दफा यह है कि उसकी मियाद 20 साल तक रहेगी। वह कानून टेम्पोरेरी कानून था। परमानेन्ट लॉ नहीं था। अगर परमानेन्ट लॉ होता तो मैं एग्री करता हूं राज्य के साथ। उसके शब्द हैं: "Shall be deemed to have come into force from 28th November, 1970." तो बहुत आसानी से हर कानून में यह प्रोवीजन होता है उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं। उससे मैं इनकार नहीं कर सकता।

अब प्रश्न यह है कि यह कानून टेम्पोरेरी था, अर्थात राज्य सरकार ने इसकी मियाद मुकर्रर कर दी। जिस कानून में मियाद नहीं है वह परमानेन्ट कानून है और जिस कानून में मियाद है वह टेम्पोरेरी लॉ है। वह 27 नवम्बर, 1970 को खत्म हो गया। इसका मतलब यह है कि

( श्री यशवन्तसिंह नाहर)

वे सारी दफाएं जो रेन्ट कन्ट्रोल एण्ड एविक्शन एक्ट में है वे सब 27 नवम्बर, 1970 को खत्म हो गये, क्योंकि वह उसकी अवधि थी। अब वह अवधि समाप्त हो गई। अब आप एक एमेंडमेंट कर रहे हैं और एमेंडमेंट यह कर रहे हैं कि 20 की जगह 25 पढ़ा जाय। जिस तारीख को यह समाप्त हो गया उस तारीख को 20 साल समाप्त हो गये। एक सेक्शन ही खत्म नहीं हुआ बल्कि सारा कानून ही खत्म हो गया।

अब प्रश्न सामने यह रहता है कि आज यह करते हैं तो क्या इस कानून को रिवाइज कर सकते हैं? इट इज ए टेम्पोरेरी लॉ एन्ड टेम्पोरेरी लॉ कैननॉट बी रिवाइज्ड... by subsequent amendment;

आप ( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ) फेडरल कोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं लेटेस्ट रूलिंग दूंगा और उसके कुछ प्रोविजन हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इनकी बात नहीं कहना चाहता हूं या मेरी बात इनके पक्ष में है। तीन दिन तक क्या करते रहे बैठे हुए? तीन बार यह कह चुके हैं कि हमारी पार्टी किराएदारों के पक्ष में है। एज ए लायर मैंने इस कानून के तहत कई केसेज लड़े हैं। 20 साल तक यह कानून जिन्दा रहा और उसमें इसकी जो स्थिति रही वह मैं विधान सभा के माननीय सदस्यों और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह कानून जितना जल्दी समाप्त हो जाय उतना अच्छा है। इस कानून से किराएदारों को कोई फायदा नहीं होगा। एक तरफ तो अरबन सीलिंग लाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ यह हालत है कि किसी के पास 100 दुकानें हैं तो कोर्ट में जाकर वह मालिक कहता है कि मुझे व्यक्तिगत काम के लिए इसकी जरूरत है। वह ले लेता है। किरायेदार के लिए कोई मकान नहीं है। उसको कोई राहत या कानून नहीं देता है।

**एक माननीय सदस्य :** परेशान करते हैं।

**श्री यशवन्तसिंह नाहर :** कहां परेशान हुए हैं। सैकड़ों नजीरे हैं। उसकी मर्जी चाहे करेगी। एक खाली करा ली; उसको 10-5 दिन खाली रखा और दे दी और फिर दूसरी खाली करा ली।

मैं यह बताना चाहूंगा कि आपके यहां की रिपोर्ट है, राजस्थान सरकार की सैन्सस रिपोर्ट है। उस सैन्सस रिपोर्ट में 1961 के अन्दर अरबन सैक्टर में कम से कम ढाई लाख आदमी बेघरबार और उसके बाद 50 हजार आदमी किराये पर हैं 60 हजार हाउसेज ऐसे हैं जो कि किराये पर हैं। इन दस सालों में राजनैतिक परिवर्तनों से और राज्य के प्रयत्नों या अन्य प्रयत्नों के द्वारा जो कुछ हो रहा है प्राईवेट आदमियों ने अपने साधनों से मकान बनाये हैं या राज्य सरकार ने ऋण देकर मकान बनाये हैं, या अब तक जो योजनाएं हुई हैं उन सबको लेकर राजस्थान में 500 मकानों की संख्या इस साल में नहीं बनी तो क्या 10 साल में 50 हजार या 45 हजार मकान बनकर तैयार हो गये? यह चीज आप कच्ची बस्तियों में जाकर देखिये कि कहां पर मकानों की व्यवस्था है। राज्य सरकार ने कानून

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

रखा है और कहा कि 5 साल की अवधि बढ़ाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत 5 वर्षों में मकानों की समस्या हल नहीं कर सकती है । भारतवर्ष का सारा बजट राजस्थान की मकानों की समस्याओं को हल करने में लगा दिया जाये तो 5 वर्ष में भी उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो फिर इस लॉ को बनाने की जरूरत नहीं है। 5 वर्षों में कोई बड़ा दाव देश को मिल जायेगा तो यदि यह कल्पना करते हो तो आप अन्धेरे में हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वह अवसर है कि इसको खत्म करें। मैं चाहता हूं कि एक परमानेन्ट लॉ लायें, नये अधिकारों के साथ में किरायेदारों के लिए तो अरबन प्रॉपर्टी पर शायद आवश्यकता न पड़े सीलिंग लगाने के लिए। समाजवाद की नई रोशनी हमारे पास आ रही है और अंधेरे में हम टटोल रहे हैं। प्रधान मंत्री ने एक मीटिंग में कहा था कि देश आगे कैसे बढ़ेगा वह आपके हाथों में है, लेकिन आप अन्धकार में चलते चले जा रहे हैं । कल्पना करें 5 वर्ष की ।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कॉन्स्टीटयूशनल ऑब्जेक्शन तो आपने उठाया है उसको मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन दो रूलिंग मैं आपके सामने पेश करूंगा और दोनों रूलिंग का आधार यह है कि परमानेन्ट लॉ अगर खत्म हो गया है तो उसको कर सकते हैं, लेकिन टेम्पोरेरी लॉ को रिवाइज नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में कि एक लाइन में इसको रिवाइज करदें और रेन्ट कन्ट्रोल एण्ड एविक्शन एक्ट को 20 से 25 वर्ष के लिए कर दें। एक रूलिंग 1955, सुप्रीम-कोर्ट 84 जो बिल्कुल इस तरह की रूलिंग है कि टेम्पोरेरी लॉ केन नॉट बी रिवाइज्ड । दूसरी यह है कि टेम्पोरेरी लॉ में सब्सीक्वेन्ट एमेंडमेन्ट के आधार पर क्या उसको रिवाइज किया जा सकता है सारे एक्ट को ? उसके ऊपर यह किया गया है 1954, इलाहाबाद 608 । यह बिल्कुल एक्जेक्ट सेम रूलिंग टेम्पोरेरी लॉ के लिए थी। उस टेम्पोरेरी लॉ में अर्ज करना चाहता हूं कि जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 6 पर, माननीय लॉ मंत्री महोदय, या जो इसको पायलाट कर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह तय किया है। अच्छा हो कि इस कानून के सम्बन्ध में बहस और अधिक चले और इसके लिए और लोग भी बोलें और फिर इसके ऊपर सिर्फ एक एक लाइन को एग्जामिन कर लें और फिर लायें । तो मेरा निवेदन यह है ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री दुर्गालाल बाड़वार :** यही आब्जेक्शन है......

**श्री दामोदरलाल व्यास :** आप उसके बाद में बात कर लें ।

**श्री दुर्गालाल बाड़वार :** इसको सब्स्टेन्शियेट कर रहा हूं ।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है कॉन्स्टीटयूशनल प्रोप्राइटी या उसकी लीगेलिटी के लिए

# Page No 92



(श्री दामोदरलाल व्यास)

तो उसके लिए मैं यह चाहूंगा कि मैं भी अपने यहां के जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं, एडवोकेट जनरल उनकी सलाह लेना चाहता हूं। मैं भी इस तरह के कानून नहीं बनाना चाहता हूं कि हाई कोर्ट या सुप्रिम कोर्ट में जा कर वह अल्ट्रावायर्स डिक्लेयर होगा। भीलवाड़े से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि टेम्पोरेरी लॉ रिवाइज नहीं हो सकता हैं। अगर यह पोजीशन है तो उसको एग्जामिन करना पड़ेगा। तो मेरी प्रार्थना है कि इसको डेफर कर दिया जाय।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक तो अध्यादेश वगैरह के प्रस्तावें पर बहस हो रही है बिल पर नहीं......

**श्री भगवानदास शास्त्री** : अभी तक जो केसेज चले होंगे......

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : बिल को रिजेक्ट करने के बारे में बहस नहीं हुई थी। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं..

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इसका सवाल ही नहीं होता।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मैं कॉन्स्टीट्युशनल पॉइंट रेज करना चाहता हूं......

**श्री भगवानदास शास्त्री** : बहस तो विधेयक पर है। अध्यादेश का क्या होगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा होम मिनिस्टर महोदय से कि इस बिल में 1964 में एक अमेण्डमेन्ट आया था, उस समय भी कहा गया था कि इस बिल की अवधि 6 साल में खत्म होने वाली है। अभी बढ़ा दी जाये। उस समय नहीं बढ़ाई गई। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी मियाद निकलने के बाद क्यों बढ़ा दी गई ?

**श्री उपाध्यक्ष** : इस ऑर्डिनेंस को पेश किया जा सकता था। इसको सब्साइड करने का कानून बनाया जा सकता है। इस पर निर्णय करना है। राज्य सरकार चाहती है कि वह खुद इस प्रश्न पर विचार कर ले।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : ठीक है, बाद में तय कर लेंगे। It is a complicated question of law.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I understand the importance. Therefore, I say that I must be given some time. It may not happen that the legislation may be challenged later in a court of law,

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : As a Legislator it is my duty to see that we do not pass such Legislation which may be challenged.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : You are a Legislator as well as an able lawyer.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : It is dereliction of duties on behalf of some of your Government officers.

**श्री उपाध्यक्ष** : अग्रवालजी को धन्यवाद देते हैं ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : लेकिन आप के सेक्रेटरीज अथवा गवर्नमेंट ने क्या किया ?

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राज्य सरकार की ओर से.........

**श्री दामोदरलाल व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, उसको डेफर कर दिया जाये । इसमें कोई गुंजाइश नहीं है ।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : उपाध्यक्ष महोदय,......

**श्री उपाध्यक्ष** : आपके पक्ष की बात है ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मुझे पक्ष की जरूरत नहीं है ।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : राज्य सरकार इस संकल्प पर दृढ़ होकर चलना चाहती है । यह लीगल्ली बिट्रेयल नहीं है ।

**एक माननीय सदस्य** : रूलिंग हो चुकी है ।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नवम्बर, 70 तक यह विधान सभा का सत्र चला । नवम्बर, 70 में ही यह समाप्त हो गया । उसके बाद भी राज्य सरकार ने यह चेष्टा नहीं की कि इसका नया कानून बनाने की जरूरत है । मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 21 नवम्बर, 70 तक राजस्थान विधान सभा सत्र चला । 27 नवम्बर, 70 तक यह कानून जो प्रारम्भ में टेम्पोरेरी लेजिस्लेशन बनाया परिवर्तित परिस्थितियों में, यह प्रियेम्बल में लिखा हुआ है, वह देख लें । इसको प्रोवाइड करने के लिए इस दृष्टिकोण से कानून बनाते हैं......

(3.54 म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

**श्री भगवानदास शास्त्री** : वह तो निर्णय हो गया है ।

**श्री अध्यक्ष** : It has been deferred.

**श्री मदनसिंह** : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि डैफर हो गया है ।

(श्री बाढ़दार और श्री मदनसिंह, एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

**श्री भगवानदास शास्त्री** : ऐसे तो हो सकता है कि हम भी बोलते रहें ।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, क्या उसको वापिस लाया जाये ?

(श्री बाढ़दार और श्री मदनसिंह, एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज ।

**श्री मदनसिंह** : अध्यक्ष महोदय,......

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : (अश्रव्य)

**श्री मदनसिंह** : जहां तक गवर्नमेन्ट से हमने यह समझा......

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने यह नहीं कहा है ।

**श्री मदनसिंह** : अध्यक्ष महोदय, आज की चर्चा कल अखबारों में भी आयेगी। इसलिए 10 दिन में या 15 दिन में किरायेदार को निकाल देते हैं तो वह किससे गाइड हो। जब यह मान चुके हैं......

**श्री दामोदरलाल व्यास** : वह ऑर्डिनेंस चालू है।

**श्री मदनसिंह** : वह तो चालू हो चुका है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : वह कैसे हो सकता है।

**दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंकने वालों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार प्रस्ताव**

**श्री अध्यक्ष** : यह बिल डैफर किया गया है। अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि जो व्यवधान सदन में उपस्थित किया गया था......

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : और बिजनैस होगा ?

**श्री अध्यक्ष** : मैं पहले इसको ले लेता हूं।

**श्री मदनसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मूड में तो हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है,

'यह सभा संकल्प करती है कि जो व्यक्ति अपने आपको श्री नजीर हुसैन भारती कहते हैं, जिन्होंने आज एक बज कर 10 मिनट पर दर्शक दीर्घा से सभा भवन में परचे फैंके और जिनको वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तत्काल हिरासत में ले लिया, उन्होंने घोर अपराध किया है और वे इस सभा के अपमान के दोषी हैं।

यह सभा आगे संकल्प करती है कि उसको 15 दिनों के लिए जेल की सजा दी जाये और जेल भेजा जाये।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** ( मुख्य सचेतक) : वह व्यक्ति है,

(1) श्री नजीर भारती सन ऑफ वजीर अहमद, कोटा, एट प्रजेण्ट, एम० एल० ए० क्वा० बी 10।

(2) श्री प्रेमाराम सन ऑफ लच्छीराम, नीम का थाना।

(3) श्री तुलसीराम सन ऑफ पांचूलाल, कोली।

ये 3 व्यक्ति हैं। इनके सम्बन्ध में यह प्रस्ताव आया है।

अब मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहूंगा कि दो स्थितियां हैं। या तो उनको एट दी बार ऑफ दी हाउस प्रस्तुत किया जाये (अल्प विराम) या सदन इस बारे में जो और निर्णय ले। इसलिए यह विचार करना है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, एक छोटासा तरीका यह है, यह तो मोशन आया है चीफ व्हिप की तरफ से या सरकार की तरफ से, तीन संसोपा के कार्यकर्ता जिन्होंने सदन के गौरव को तोड़ा है, दर्शक दीर्घा से परचे फैंके हैं। सम्भवत: 15 दिन का समय भी रखा गया है कि 15 दिन के लिए उनको

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जेल भेजा जाये। मैं समझता हूं कि यह सदन की परम्परा के विपरीत है। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के जज, श्री ग्रोवर पर, जिस वक्त वह अदालत कर रहे थे, किसी मुल्जिम ने चाकू से वार किया। तो उसको भी उन्होंने एक मजिस्ट्रेट के पास भेजा। जब कि वह स्वयं जज थे और सजा दे सकते थे। उनको अधिकार था। इन्होंने सीधा जेल का वारण्ट बना दिया है। मैं समझता हूं कि उनको सुनवाई का मौका देना पड़ेगा, उनको एक प्रकार से चार्ज-शीट आपकी तरफ से दी जायेगी। इन तीन व्यक्तियों ने इस प्रकार की कार्यवाही की, अपराध किया इस सम्बन्ध में इन तीनों को क्या कहना है, जिस प्रकार की प्रक्रिया रही है उस प्रकार आपने इस सम्बन्ध में क्या मालूमात की हैं, क्या बयान लिये हैं, क्या जानकारी हासिल की है—इस प्रकार की चीज हो तो जो जानकारी आसन को मिली है उसके आधार पर विचार किया जाय। वैसे इसमें एक शब्द वास्तविक रूप से आपत्तिजनक है, इस पर्चे में लिखा है—विधान सभा में बैठ कर गप्पें मारना......

**श्री अध्यक्ष :** फालतू गप्पें।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** फालतू गप्पें मारना बन्द करो। दुर्भाग्य से संसोपा के नेता या माननीय सदस्य इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं। इस प्रकार का मसला है इस सम्बन्ध में वह क्या कुछ कहते—लेकिन वह नहीं हैं। इन्होंने जो मसला उठाया है, वह जिस बात को लेकर उठाया है वह ऐसा मसला है जो सार्वजनिक हित से सम्बन्धित है। जयपुर शहर में रेजगारी की कमी है, घासलेट की कमी है, कोयले की कमी है। इस कारण जनता में असंतोष की भावना है, अभाव अभियोग है। और इस सारे मसलों के कारण तीन नौजवानों के मन में आक्रोश पैदा हो गया, उत्तेजना पैदा हो गई, जिसके कारण सदन में पर्चे फेंक दिये......

**श्री हंसराज आर्य :** आज पर्चे फेंके हैं, कल को बम फेंकेंगे।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** जो पर्चे फेंके हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं......

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** ऐसी बात नहीं है कि बम फेंकने को हमेशा बुरा ही माना गया हो।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** लोक सभा में भी फेंके गये थे। मैं या मेरी पार्टी वैसे उनमें से नहीं है जो कि ऐसी कार्यवाहियों में आस्था रखती हो। हम ऐसी कार्यवाही को बढ़ावा नहीं देते। लेकिन आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आपकी पार्टी के लोगों ने मैसूर विधान सभा में बैठ कर क्या किया है, वहां पर स्पीकर महोदय का घिराव किया गया, पर्चे फाड़ डाले, मुख्य मंत्री के कागज फाड़ डाले। मैसूर में आपके लोगों ने यह सब कुछ किया है...

**श्री अध्यक्ष :** (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) ऑर्डर प्लीज !

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करके कोई प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जिससे कि इस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सम्बन्ध में हमारी विधान सभा की किसी कार्यवाही को लेकर लोगों को ऐसा न लगे कि हमने सरसरी तौर पर बैठ कर बिना सुने, बिना बयान लिये, बिना तथ्यों पर विचार किये निर्णय ले लिया है कि इन्हें पन्द्रह दिनों के लिए जेल भेज दिया जाय। मैं समझता हूं कि प्रक्रिया इस सम्बन्ध में एक बार निर्धारित हो जाय, फिर आगे पनिशमेंट कितना हो या कितना नहीं–इस पर विचार किया जा सकता है।

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, जहां तक यह कार्यवाही हुई, यह गलत कार्यवाही थी। पर विधान सभा में पहले भी कई हरकतें हुई हैं, लेकिन उनके बारे में विरोधी दलों का, जिसमें मैं भी था, हमेशा रुख ऐसा ही रहा है कि जब तक बड़ी घटना न हो जाय, तब तक मैं समझता हूं, उनको माफी ही दें। अब क्योंकि एक पार्टी के आदमी हैं, अगर जनता का कोई आदमी एसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर इस ढंग से पर्चे फेंक देता तो दूसरी बात थी, लेकिन क्योंकि पार्टी के हैं, इसलिए पार्टी से पूछना चाहिए। हो सकता है कि पार्टी के पास कोई काम नहीं हो तो विधान सभा का घेराव ही करती। या और अन्य बात करती। मैं पूछना चाहता हूं कि जो पेपर लेकर आये हैं वह किसके दस्तखत से लेकर आये हैं। विधान सभा भवन में पुलिस रहती है, यह तो एक बण्डल था, यह ले आये लेकिन कल बम भी ला सकते हैं। वैसे यह बम फेंकने जैसी बात नहीं थी। लोगों में असंतोष बढ़ता है तो कागज, पर्चे फेंकते हैं। हम रोज पढ़ते हैं अखबारों में, विधान सभा का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेराव कर लिया। इसलिए क्योंकि एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, इस रूप में आये हैं इसलिए पन्द्रह दिन की सजा न देकर आप इनसे माफी मंगवा लीजिये, इनके नेताओं से माफी मंगवा लीजिये जिन्होंने इन्हें भेजा है।

इसके अलावा जो विधान सभा की गार्ड है उसके भी कान आपको खींचने चाहिएं.....

**श्री अध्यक्ष** : अलग से प्रश्न है।

**श्री मदनसिंह** : इनके रहते हुए ऐसा होता है......

**श्री अध्यक्ष** : यह भी बात है।

**श्री मदनसिंह** : पर्चे फेंक रहे हैं और वह देख रहे हैं तो आगे कोई भी चीज कोई फेंक सकता है। एक राजनैतिक दल के लोगों ने ऐसा किया है, मैं समझता हूं कि यह बम फेंकने वाली बात नहीं थी। केवल उन्होंने रोष प्रकट किया है, इसलिए ही राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कहा था कि इस प्रश्न को लेकर सदन को स्थगित करने की क्या आवश्यकता है। सदन में कागज आये तो आपने ज्यादा ध्यान दिया, मैंने तो कागजों की ओर ध्यान नहीं दिया था। मैं समझता हूं कि माफ कर दें तो अच्छा है। आप माफ करते आये हैं। अब भी माफ कर दें तो अच्छा होगा।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मकराना! (स्वतंत्र पार्टी के एक अन्य सदस्य के खड़े होने

(श्री अध्यक्ष)

पर) दो सदस्य, माननीय सदस्य एक ही दल के मैंने मकरानाजी को सम्बोधित किया है ।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की सन् 1967 से कई घटनायें इस विधान सभा में हुई हैं । वह सब वैसे तो खेदजनक हुई है, कोई भी उनको एप्रीशियेट नहीं करता है, परन्तु जो बर्ताव और लोगों के साथ विधान सभा द्वारा किया गया है उस तरह का बर्ताव इनके साथ भी किया जाना चाहिए । इसलिए नहीं कि यह संसोपा के कार्यकर्ता हैं, इसलिए इन्हें सजा दे दी जानी चाहिए । आज दूसरा भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो किसी पार्टी को बिलांग नहीं करता हो । पहले भी किन्हीं लोगों ने जब कोई हरकत की थी उनको भी किसी प्रकार या किसी तरह माफी दे दी थी अनकन्डीशनल......

श्री अध्यक्ष : कन्डीशनल !

श्री विजयसिंह : ऐसा करके....

श्री अध्यक्ष : अनकन्डीशनल नहीं, कन्डीशनल ।

श्री विजयसिंह : कन्डीशनल होगा । वह लिखवा कर, उन व्यक्तियों से लिखित माफी मंगवा कर औरों के साथ जैसा व्यवहार किया गया है वैसा ही इनके साथ किया जाना चाहिये ।

श्री दुर्गालाल बाहवार : मेरा विनम्र निवेदन हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : माननीय रामानन्द अग्रवाल :

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो आज घटना हुई है संसोपा के कुछ सदस्यों के द्वारा इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है, वैसे विधान सभा की गरिमा की दृष्टि से इस प्रकार का व्यवहार उचित तो नहीं कहा जा सकता है परन्तु जिन विषयों की तरफ ध्यान इन पर्चों के जरिये दिलाया गया है, वह आपत्तिजनक नहीं है । पहली बात—उसमें तीन बातों की तरफ ध्यान दिलाया गया है, रेजगारी नहीं मिलती, केरोसिन नहीं मिलता या कोयला नहीं मिलता । वास्तव में हम लोग जो विधान सभा में आते हैं, हम भी देखते हैं कि लोगों को काफी दिक्कतें हैं, उनमें उत्तेजना है । रेजगारी के बगैर रिक्शा वाला रिक्शे में नहीं बैठाता है, बस वाला बस में नहीं बैठाता है, इन्कार करता है । पहले पूछता है, पैसा है या नहीं खुला हुआ, नहीं है तो नहीं बैठायेगा । यह हम लोगों ने, मैंने तो खुद अनुभव किया है, इसलिए वास्तविक दिक्कतें लोगों के सामने हैं । यह विधान सभा में प्रश्न उठाये भी गये हैं, लेकिन फिर भी उससे कोई राहत लोगों को नहीं मिली, इसलिए जहां प्रश्न जनता के हैं वह वास्तविक रूप में हमारी गवर्नमेंट का ध्यान दिलाने योग्य है । अभी तक जनता के आदमियों को राहत नहीं मिली सलिए जनता के लोग उसको किसी न किसी रूप में सामने लाना चाहते हैं ।

दूसरी बात जो इसके अन्दर कही है, विधान सभा के अन्दर बैठ कर फालतू गप्पें मारना बन्द करो । यह बुरा कुछ माननीय सदस्यों को अवश्य लगेगा परन्तु हम लोग जनता के प्रतिनिधि है हमारी आलोचना जनता यदि करे, सही बात

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की तो उससे चिढ़ना नहीं चाहिए। गैलेरी में बैठने वाले लोग हमको सोते हुए भी देखा है, वह भी देखते हैं, कि कुछ लोग यहां बैठते हैं, बाकी के कभी बैठते नहीं हैं यहां पर और अन्दर सोते रहते हैं। तो सोने वालों को यह कहें, गप्पें मारने वालों को यह कहें—फालतू गप्पें मत मारो, तो हम जनता के काम के लिए यहां आये हैं, तो हम उनके कहने का बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन यह जो तरीका अख्तियार करा है....

**श्री अध्यक्ष :** आसन का अधिकार अख्तियार कर रहे हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** यह जो तरीका अख्तियार कर रहे हैं—यह बुरा है। मैं निवेदन करूंगा कि सतीशचन्द्रजी ने जो कहा, वह बात सही है, अपना तरीका इस बारे में ऐसा होना चाहिए जो आपत्तिजनक न हो। यह न कहें कि उन्हें कहने का मौका नहीं मिला। माननीय अध्यक्षजी ने बयान उनके लिये होंगे....

**श्री अध्यक्ष :** अभी नहीं लिये हैं। आपका आदेश होगा, उसके बाद।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** वरना उनको अपनी बात कहने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए और उनको सुन कर फिर कोई निर्णय किया जाना चाहिए।

तीसरे मैं निवेदन करूंगा कि इतना सीरियस रुख, जितना इस प्रस्ताव पर जाहिर किया गया है, इतना सीरियस एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। उनको किसी प्रकार वार्निंग देकर, समझाइश करके छोड़ देना चाहिए क्योंकि कोई गम्भीर घटना इस प्रकार की नहीं हुई है सिवाय इसके कि परम्परा के खिलाफ, हमारे तरीके के खिलाफ है, वैसे इससे किसी के घाव नहीं हुआ है, न फिजिकल एसॉल्ट हुआ है। इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। इसलिए ऐसा तरीका उचित नहीं होगा। यह बात जरूर है कि जो कामयाब हो गये, वह शहीद हो गये, हम शहीदे आजम भगतसिंह कहते हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट में बम फेंका था, जो बेहरे बैठे थे उनको जगाने के लिए। इसको कोई अप्रिय नहीं कहता, और हिन्दुस्तान की लड़ाई में, हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में शहीद हो जाने वाले कहते हैं, उनका गौरव से जिक्र करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि वही गौरव आज समझें, क्योंकि आज की विधान सभा और उस समय की एसेम्बली में बहुत बड़ा फर्क है। आज तो रेस्पॉन्सिबल सरकार है लेकिन फिर भी जिस प्रकार की गरिमा अंग्रेजों के समय कौंसिल में मानी जाती थी और ऐसी कार्यवाही वहां पर आपत्तिजनक मानी जाती थी, उतनी ही यहां पर भी आपत्तिजनक मानी जाए तो ठीक नहीं है। कई माननीय सदस्यों का ख्याल है कि जब राज्यपाल महोदय आते हैं तो सांस बंद करके रहना चाहिए, यह अपने अपने ख्यालात हैं। गरिमा के बारे में तो मेरा उस हद तक ख्याल नहीं है। तो इस घटना को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कुछ समस्याओं को लेकर सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं तो जब तक कोई जुर्म करने की नियत न हो तो सजा पाने के हकदार नहीं बनते हैं। इसलिए कोई मेनसरिया साबित नहीं होता है इसलिए उनको चेतावनी देकर छोड़ना चाहिए।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) :** मेरा

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

निवेदन है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जो कुछ इन्होंने किया है वह गलत है और सदन की मानहानि है—इसलिए नहीं कि अंग्रेजों के जमाने से परम्परा चल रही है बल्कि इसलिए कि हमारे नियमों के विरुद्ध है और सदन की कार्यवाही को इस तरह डिस्टर्ब करना, यह सदन की मानहानि है। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने जुर्म किया है और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है कि उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि उनकी जो मन्शा है वह सदन की मानहानि करने की नहीं बल्कि सरकार के सामने जो समस्याएं है शहर में उनको सामने लाना चाहते हैं। मुझे ऐसा मालूम है कि मुख्य मंत्री और कई मंत्रियों का घेराव किया था और उन्होंने वायदा किया था कि इन समस्याओं को देखेंगे। वाकई ये समस्यायें शहर की हैं तो मन्शा कोई खराब नहीं है, फिर भी मानहानि पहले भी हुई है इस सदन में, तब अध्यक्ष महोदय को इस बात का अख्तियार दिया था कि वे अपने चेम्बर में उनका ट्रायल करदें और अगर वह माफी मांगे तो माफी पर छोड़ दिया जाए। और फिर भी वे एडमंट हैं माफी नहीं मांगते हैं तो फिर यह सदन, जैसे अध्यक्ष महोदय मुनासिब समझें, उनको सजा दे दें।

**श्री अध्यक्ष** : मुख्य मंत्री।

**श्री दुर्गालाल बादवार** (हवामहल, जयपुर) : केवल एक जानकारी लेना चाहता हूं। जो प्रस्ताव आया है आपके सामने उस पर आपने कोई इन्क्वायरी कर ली ?

**श्री अध्यक्ष** : नहीं।

**श्री दुर्गालाल बादवार** : अपराधी को दण्ड देना या न देना या क्षमा करना, यह तो दूसरा सवाल है। पहला सवाल आता है कि अपराध किया भी हो। It is not sufficient that justice is done but it should also appear to have been done.

**श्री अध्यक्ष** : अपराध किया या नहीं, यह प्रश्न सदन की जानकारी में है।

**श्री दुर्गालाल बादवार** : आपकी जानकारी में है ?

**श्री अध्यक्ष** : मेरी जानकारी में बहुत इत्मीनान से है।

**श्री दुर्गालाल बादवार** : आपको दण्ड देने का अधिकार है अगर आप (माननीय सदस्यों की ओर इशारा करके) गवाह हो सकते हैं। न्याय की दृष्टि से मेरा निवेदन है कि आपको कोई न कोई प्रोसीजर एडॉप्ट करना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष** : वही प्रश्न आ रहा है।

**श्री दुर्गालाल बादवार** : सदन में जितनी चर्चाएं हो रही हैं, उसमें क्षमा का भी, 15 दिन का दण्ड देने का प्रस्ताव चला आता है, दूसरी ओर कहा जाता है....

**श्री अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करें तो प्रोसीजर चाक आउट हो जाता है।

**श्री दुर्गालाल बादवार** : आसन के सामने मेरा प्रस्ताव है कि यह निर्विवाद सत्य है कि इस विचारधारा को मैं भी नहीं मानता क्योंकि सदन प्रजातन्त्र तरीके

(श्री दुर्गालाल बाहुबार)

से काम करता है और कोई बम फेंके, उनको शहीद मानले, अपनी अपनी विचारधाराओं के अन्दर हो सकता है लेकिन हम तो प्रजातन्त्र प्रणाली में वि वास रखकर चलने वाले आदमी हैं और जो परम्पराएं इस प्रणाली को जीवित रखने के लिए आवश्यक हैं उ को सामने रखते हैं। उन विचारधाराओं के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं तो केवल इस सदन की मर्यादा को निभाने की दृष्टि से, आसन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए और समाज यह लांछन न लगाए कि कानून बनाने वाले आदमियों द्वारा इस तरह के प्रस्ताव आते हैं लोगों को दंडित कर लेते हैं, इस प्रकार के आरोप सदन पर नहीं लगाए जायें, इस दृष्टिकोण से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे आप करते आए हैं, एक कमेटी बनाकर या स्वयं अधिकार अपने में लेते हैं। आप स्वयं इन्क्वायरी करते हैं। सदन आप में अधिकार वेस्ट करता है उस आधार पर जो आप उचित समझें वह करें लेकिन प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी किए बगैर इस प्रस्ताव के आधार पर दंड देने की प्रक्रिया आपने अपनाई तो इस सदन का बाहर अपमान होगा।

**श्री अध्यक्ष :** यह प्रस्ताव मात्र है, प्रोसीजर इसके साथ चल रहा है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री):** मैं समझता हूं किसी भी माननीय सदस्य की यह मन्शा नहीं हो सकती कि हम किसी को सजा देना चाहें या और कोई बात है। चाहे इधर बैठने वाले चाहे उधर बैठने वाले, इस सदन की गरिमा को और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इन बातों के बारे में सबको विचार करके चलना होगा और उस दृष्टि से जो विचार करके चलने वाली बात आती है उसमें अगर इन चीजों को हम अपने वक्तव्य से या किसी प्रकार से प्रोत्साहन देने वाली बात करें और भगतसिंह द्वारा बम फेंकने और उन बातों का मुकाबला आज की घटना मे करने वाली बात सोचने लगेंगे, या कोई समस्या या तकलीफ है तो उसके लिए यह हल वाजिब मानकर चलेंगे तो मैं समझता हूं, बहुत गलत परम्परायें कायम होंगी। इससे शायद कोई माननीय सदस्य सहमत नहीं होंगे। जो प्रस्ताव इस समय प्रस्तुत किया गया है, मेरी समझ में उपयुक्त यह होगा कि जैसा पहले भी एक बार हो चुका है, माननीय अध्यक्ष उनको बुलाकर इसमें जो उपयुक्त समझें, वह व्यवस्था दे दें तो वह शायद ठीक होगा।

**श्री अध्यक्ष :** एग्रीड ?

**कई माननीय :** सदस्य ठीक है।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** आपको मालूम है कि इस सदन में पिछली बार काफी समस्यायें रखी गईं। अपन ने प्रस्ताव रखा था। सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की तो जनता का जो असंतोष है भड़क रहा है और उसे डांट देना जरूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री ने जो कहा है वह उदारता पूर्वक कहा है और श्री गिरधारीलालजी की तरह बोलते तो 15 दिन की सजा होती लेकिन मैं समझता हूं कि माफी मांग लेते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष :** तो सदन की अनुमति से मैं उन व्यक्तियों को बुलाकर उनका एग्जामिनेशन करने के बाद यदि वे क्षमा

(श्री अध्यक्ष)

याचना करते हैं तो उस क्षमायाचना के आधार पर उनको छोड़ दिया जाए ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** आपको डिस्क्रिशन है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** The House authorises you to deal with it suitably.

**श्री विजयसिंह :** अध्यक्ष महोदय में आस्था है।

**श्री अध्यक्ष :** तो मुझ पर छोड़ दिया गया ?

**कई माननीय सदस्य :** जी हां।

**श्री अध्यक्ष :** धन्यवाद।

**श्री भगवानदास शास्त्री :** सदन की भावनाओं को देखते हुए।

**श्री अध्यक्ष :** माफी मांगें तो दिलवा दें, नहीं तो......

मैं सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11-00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 4-18 बजे, दिनांक 23 मार्च, 1971 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

---

## परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 51 की सूची)

Copy of letter No. F. 10(17) Edu./I/69 dated 10th/12th September, 1969 from Secretary to the Government, Education (Cell-I) Department, Rajasthan, Jaipur to the Director, Primary and Secondary Education, Rajasthan, Bikaner.

It has been decided to upgrade the Primary Schools to upper Primary Standard according to the list attached, and subject to the following conditions:—

1. The entire expenditure for this upgradation will have to be borne by the Panchayat Samiti, in whose area, the school falls for any number of years, as long as the school is not taken over by the Government.

2. Adequate building facilities are available.

3. Atleast 15 students are available for admission to Class VI, and atleast a total number of 100 students study in that school.

4. In the first year the Panchayat Samiti will have to provide a second grade graduate trained teacher, to work as the Head Master of the School. He will have to be taken on deputation from the Education Department. Subsequently, the Panchayat Samiti will have to provide for four more 3rd grade teachers. All this expenditure will be the sole responsibility of the Panchayat Samiti. All other recurring and non-recurring expenditure in this connection will also have to be borne by the Panchayat Samiti concerned.

5. The school will have to be get recognised by the Education Department.

6. All the expenditure as a result of this upgradation, will be the first charge from the income of the Panchayat Samiti.

# LIST OF PRIMARY SCHOOLS

| | *Panchayat Samiti* | *Name of the School* |
|---|---|---|
| | **Jodhpur District** | |
| 1. | Mandor | Jajiwal Kalan |
| 2. | Luni | Kakelao |
| 3. | Bilara | Boliawas |
| 4. | Osian | Samrahu |
| | **Barmer District** | |
| 5. | Shiv | Shiv |
| | **Jaipur District** | |
| 6. | Bairath | Naurangpura |
| 7. | Sikar | Gumanpura |
| 8. | Dudu | Hirnoda |
| 9. | Amer | Rampura Daodi |
| | **Jhunjhunu District** | |
| 10. | Udaipurwati | Bhatiwad |
| 11. | Nawalgarh | Jhakad |
| 12. | Khetri | Sihod |
| 13. | Jhunjhunu | Islampur (Girls) On Govt. expenses. |
| | **Pali District** | |
| 14. | Desuri | Dallana |
| | **Bharatpur District** | |
| 15. | Bayana | Samogar |
| 16. | Baseri | Mamodhan |
| 17. | Nadbai | Kawai |
| 18. | Nagar | Rasive |
| 19. | Kama | Sawlana |
| 20. | Deeg | Redham |
| 21. | Weir | Chhonkarwara |
| 22. | Dholpur | Purani Chhawani |
| 23. | Roopwas | Khan Surjapur |
| 24. | Roopwas | Dahina |

| *Panchayat Samiti* | *Name of the School* |
|---|---|
| **Udaipur District** | |
| 25. Mavli | Sakrauda |
| 26. Vallabhnagar | Karnpur |
| 27. Deogarh | Koondava |
| 28. Bheem | Saroth |
| 29. Kumbhalgarh | Ora |
| 30. Salumbar | Bassi |
| 31. Bargaon | Bhoowana |
| 32. Khamnor | Savan Ka Kheda |
| 33. Railmagra | Oda Adkiya |
| **Ajmer District** | |
| 34. Arai | Borada |
| 35. Bhinai | Sarana |
| **Ganganagar District** | |
| 36. Sadoolshahar | Rasuwala |
| 37. Rasinghnagar | Shyamgarh |
| 38. Hanumangarh | Canal Colony |
| 39. Hanumangarh | Chaohilabali |
| 40. Bhadra | Malsisar |
| 41. Ganganagar | Daulatpura (Girls) |
| 42. Padampur | 70 L. N. P. |
| **Bikaner District** | |
| 43. Nokha | Kochor (Authuni) |
| 44. Lunkaransar | Notlai |
| **Dungarpur District** | |
| 45. Sagwasa | Kukapur |
| **Nagaur District** | |
| 46. Ladnu | Kusumbi |

| *Panchayat Samiti* | *Name of the School* |
|---|---|
| **Bhilwara District** | |
| 47. Asind | Katar |
| 48. Nandal | Lesava |
| 49. Suwana | Zanthal |
| 50. Sahada | Sonivana |
| 51. Mandalgarh | Manpura |
| 52. Kotari | Satarakheda |
| 53. Raipur | Khala |
| 54. Shahpura | Tasbariya Basan |
| 55. Jahazpur | Aamlada |
| 56. Nurda | Soder |
| 57. Banera | Sardar Nagar |
| **Chittorgarh District** | |
| 58. Nimbahera | Bari |
| 59. Kapasan | Buddakheda |
| 60. Rashami | Jadana |
| 61. Dangla | Sagssera |
| 62. Begun | Lukara |
| 63. Chhitorgarh | Dhanot |
| 64. Bhupal Sagar | Bavarana |
| 65. Chhoti Sadari | Xarioo |
| 66. Masroadgarh | Javada |
| 67. Bhadesar | Asawara |
| 68. Pratapgarh | Arnod Kanvashala |

## परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 59 की सूची)

**सूची उन गांवों की जो अकाल ग्रस्त घोषित किये गये हैं**

| क्रम सं० | नाम जिला | कुल गांवों की संख्या | अकाल ग्रस्त गांवों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | बीकानेर | 680 | 83 |
| 2 | बाड़मेर | 852 | 133 |
| 3 | जैसलमेर | 512 | 131 |
| 4 | चूरू | 907 | 21 |
| 5 | झुन्झुनू | 700 | 28 |
| 6 | उदयपुर | 3,178 | 24 |
| 7 | जोधपुर | 726 | 49 |
| 8 | गंगानगर | 2,0[illegible]1 | 34 |
| | कुल योग .. | 9,636 | 583 |

**अकाल राहत कार्यों पर सन 1964-65 से 1970-71 तक किये गये जिलवार व्यय का विवरण पत्रक**

(अंक लाखों में)

| क्र० सं० | नाम जिला | | 1964-65 | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 | 1969-70 | 1970-71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अजमेर | ... | 29.80 | 90.45 | 57.82 | 19.58 | 26.63 | 181.74 | 263.78 |
| 2 | अलवर | ... | 0.15 | — | — | 0.05 | 3.11 | 1.34 | 1.18 |
| 3 | बांसवाड़ा | ... | — | 15.66 | 130.52 | 123 84 | 19 64 | 217.82 | 91.29 |
| 4 | बाड़मेर | ... | 10.05 | 10.43 | 50.14 | 111.17 | 100.03 | 1752.91 | 750.93 |
| 5 | भीलवाड़ा | ... | 5.49 | 5 95 | 63.27 | 50.07 | 37.01 | 251.58 | 290.32 |
| 6 | बीकानेर | ... | 25.23 | 6.82 | 56.20 | 15 18 | 131 45 | 519.25 | 235.13 |
| 7 | भरतपुर | ... | 0.25 | 0.33 | 0 23 | — | 3 37 | 10 57 | 1.94 |
| 8 | बून्दी | ... | 0.08 | 0.20 | 2.87 | 6 25 | 17.19 | 44.35 | 13 30 |
| 9 | चित्तौड़गढ़ | ... | — | 1.09 | 11.83 | 11.44 | 29 18 | 93.59 | 3 98 |
| 10 | चूरू | ... | 10.87 | 11.28 | 91 57 | 1.06 | 47 95 | 345.41 | 72.21 |
| 11 | डूंगरपुर | ... | — | 12.64 | 194 04 | 131.69 | 28.31 | 213.19 | 186.47 |
| 12 | गंगानगर | ... | 12.12 | 1.65 | 14 48 | 0 22 | 0 37 | 57.84 | 12 38 |
| 13 | जयपुर | ... | 11.81 | 4.24 | 30.04 | 8 78 | 66 70 | 141.84 | 57.51 |
| 14 | जैसलमेर | ... | 8.25 | 17.73 | 43.41 | 17.04 | 186 82 | 336 12 | 173.86 |
| 15 | जालोर | ... | 2.75 | 0 53 | 2 35 | 8.76 | 67 83 | 299.47 | 338.07 |
| 16 | झालावाड़ | ... | — | 1 42 | 6 51 | 7 65 | 6.01 | 27.48 | 23.69 |
| 17 | झुन्झुनू | ... | 4.82 | 8.74 | 44.81 | 1.09 | 25 38 | 70.66 | 7.56 |
| 18 | जोधपुर | ... | 15.85 | 0.56 | 46.90 | 29.67 | 225 52 | 905.01 | 810 63 |
| 19 | कोटा | ... | — | 0 03 | 2.73 | 0.13 | 16.47 | 8.22 | 4.44 |
| 20 | नागौर | ... | 10.63 | 1.95 | 46 05 | 20.70 | 25 09 | 235 35 | 300 12 |
| 21 | पाली | ... | 36.27 | 0.99 | 11 50 | 13.44 | 42.29 | 227.24 | 292.07 |
| 22 | स० माधोपुर | ... | — | 0.25 | 3.50 | 0 38 | 4 40 | 2 56 | 2 79 |

# Page No 108



| क्र० सं० | नाम जिला | | 1964-55 | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 | 1966-70 | 1970-61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | सीकर | ... | 0.60 | 00.78 | 4.24 | 1 98 | 25.82 | 76.45 | 3.22 |
| 24 | सिरोही | ... | — | — | 11.10 | 11 65 | 9.82 | 75.00 | 106.17 |
| 25 | टोंक | ... | 0 27 | 2 07 | 56.94 | 28 00 | 16.56 | 62.81 | 25.89 |
| 26 | उदयपुर | ... | 3 86 | 8 78 | 165.62 | 173.99 | 57.56 | 538.21 | 390.84 |
| 27 | सी० सी० एफ० | ... | 2 08 | 8.37 | 0.80 | 4 05 | 18 79 | 19.39 | 2.52 |
| 28 | आ० सी० पी० | ... | — | — | — | — | — | 70.00 | 50.22 |
| 29 | ल्वेज | ... | 19 50 | — | 3.83 | 0 85 | 14.39 | 7 01 | 6.61 |
| 30 | खाद विभाग | ... | 2 00 | — | — | — | 0.82 | — | — |
| 31 | पी०ई०पी०डब्ल्यू०डी० | | 250.19 | — | 0.12 | — | — | — | — |
| 32 | विकाच विभाग | ... | — | — | — | — | 2.70 | — | 3.43 |
| 33 | पी०ई० रामेशन | ... | 1.29 | — | 17.34 | — | — | — | — |
| 34 | सी०ई० हेल्थ | ... | — | — | 46.68 | — | — | — | — |
| 35 | डी०ई०एम०एम०एस० | | — | — | 0 06 | — | — | — | — |
| 36 | भू० खण्ड जल मण्डल | | — | — | — | — | 48.56 | 90.29 | 25 13 |
| 37 | गौ सेवा संघ | ... | — | — | 1.15 | — | 4.46 | — | — |
| 38 | कृषि फार्म सूरतगढ | ... | — | — | — | 0 20 | — | — | — |
| 39 | शाक एवं कृषि सेवा | ... | — | 0.79 | 0.70 | — | — | — | — |
| 40 | माईजेशन | ... | 0.32 | — | — | — | — | — | — |
| | कुल योग | ... | 463.37 | 132.65 | 1212.53 | 782.28 | 1378.33 | 6283.37 | 4664.67 |

# परिशिष्ट 3

( तारांकित प्रश्न संख्या 53 की सूची)

सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर में अध्ययन करने वाली छात्राओं की कक्षावार सूची

| क्रम सं० | कक्षा | छात्राओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | प्रथम वर्ष कला | 29 |
| 2 | द्वितीय वर्ष कला | 22 |
| 3 | तृतीय वर्ष कला | 18 |
| 4 | एम० ए०, राजनीति शास्त्र (प्रीवियस) | 2 |
| 5 | एम० ए०, इतिहास („) | 2 |
| 6 | एम० ए०, अर्थ शास्त्र („) | 8 |
| 7 | एम० ए०, अन्तिम वर्ष अर्थशास्त्र | 1 |
| 8 | एम० ए०, अन्तिम वर्ष समाज-शास्त्र | 1 |
| 9 | प्रथम वर्ष विज्ञान | 8 |
| 10 | द्वितीय वर्ष विज्ञान | 9 |
| 11 | तृतीय वर्ष विज्ञान | 3 |
| | कुल ... | 103 |

सनातन धर्म उच्च विद्यालय, ब्यावर (कन्या) में छात्राओं की सूची

| क्रम सं० | कक्षा | छात्राओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | कक्षा 6 | 156 |
| 2 | कक्षा 7 | 130 |
| 3 | कक्षा 8 | 127 |
| 4 | कक्षा 9 | 227 |
| 5 | कक्षा 10 | 209 |
| 6 | वन्द कक्षा 11 | 88 |
| | कुल .. | 937 |

# परिशिष्ट 4

( अ० प्र० सं० 43 की सूची )

## APPENDIX 'A'

## RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

Statement showing the number of localities electrified upto January 1971 and their percentage.

| S. No. | District | Total No. of villages in the district | No. of localities electrified upto 31-1-71 | % age of electrified localities |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ajmer | 950 | 126 | 13.2 |
| 2. | Alwar | 1853 | 194 | 10.5 |
| 3. | Banswara | 1426 | 67 | 4.7 |
| 4. | Barmer | 822 | 30 | 3.6 |
| 5. | Bharatpur | 1838 | 114 | 6.2 |
| 6. | Bhilwara | 1500 | 115 | 7.7 |
| 7. | Bikaner | 525 | 59 | 11.2 |
| 8. | Bundi | 718 | 46 | 6.4 |
| 9. | Chittorgarh | 2025 | 136 | 6.2 |
| 10. | Churu | 843 | 105 | 12.5 |
| 11. | Dungarpur | 816 | 44 | 5.4 |
| 12. | Jaipur | 2694 | 428 | 15.8 |
| 13. | Jaisalmer | 485 | 3 | 0.6 |
| 14. | Jhunjhunu | 693 | 152 | 21.9 |
| 15. | Jalore | 591 | 56 | 9.6 |
| 16. | Jhalawar | 1423 | 136 | 9.6 |
| 17. | Jodhpur | 716 | 95 | 13.3 |
| 18. | Kota | 1860 | 115 | 6.2 |
| 19. | Nagaur | 1199 | 118 | 9.8 |
| 20. | Pali | 826 | 120 | 14.5 |
| 21. | S. Madhopur | 1524 | 95 | 6.2 |
| 22. | Sikar | 798 | 100 | 12.5 |
| 23. | Sirohi | 417 | 45 | 10.8 |
| 24. | Sri Ganganagar | 1538 | 129 | 8.4 |
| 25. | Tonk | 1002 | 75 | 7.5 |
| 26. | Udaipur | 3159 | 159 | 5.0 |
| | TOTAL .. | 32241 | 2862 | 8.9 |

## परिशिष्ट 5

( अ० प्र० सं० 40 की सूची )

## APPENDIX 'A'

### LIST OF VILLAGES OF TEHSIL CHAKSU AND FAGI IN WHICH CONNECTION TO AGRICULTURE WELLS HAVE BEEN RELEASED

| S. No. | Name of village | Name of tehsil |
|---|---|---|
| 1. | Chaksu | Chaksu |
| 2. | Manpur Dungri | —do— |
| 3. | Sheel Ki Dungri | —do— |
| 4. | Shive Das Pura | —do— |
| 5. | Chandlai | —do— |
| 6. | Bar Khera | —do— |
| 7. | Bara Padampura | —do— |
| 8. | Basti Jogyan | Phagi |

LIST OF PERSONS TO WHOM CONNECTIONS HAVE BEEN RELEASED IN THE

VILLAGES OF TEHSIL CHAKSU AND FAGI

| S. No. 1 | Name of consumer 2 | Date of connection 3 |
|---|---|---|
| (1) | CHAKSU | *Upto March, 1969.* |
| 1. | Shri Mool Chand S/o Kapur Chand | 13-1-69 |
| 2. | Shri Vikas Adhikari, P. S., Chaksu | 24-6-67 |
| 3. | Shri Purshotam Das Shastri | 31-10-68 |
| 4. | Shri Bhatt Madavram S/o Sri Mukand Ram | 1-2-68 |
| 5. | Shri Hardeo S/o Shri Ghyarsa | 13-11-68 |
| 6. | Shri Ram Gopal S/o Shri Omkar Lal | 2-3-68 |
| 7. | Shri Ram Gopal S/o Bhouriya | 16-5-68 |
| 8. | Shri Kashi Ram S/o Shri Rodu Ram | 11-5-68 |
| 9. | Shri Mohan S/o Shri Ganesh Mali | 24-11-68 |
| 10. | Shri Garsi Lal S/o Mohru Mahadev | 9-1-69 |
| | | *Connect. During 1969-70* |
| 1. | Shri Shyam Lal S/o Shri Gulab Chand | 13-9-69 |
| 2. | Shri Shyam Lal S/o Shri Satya Narain | 13-9-69 |
| 3. | Shri Bhouri Lal S/o Shri Ganna Lal | 13-9-69 |
| 4. | Shri Bhura Narain S/o Shri Mangia Sobax | 13-9-69 |
| 5. | Shri Mohd. Khan S/o Khaju Khan | 25-10-69 |
| 6. | Shri Bhawar Lal S/o Suraj | 20-1-70 |
| 7. | Shri Gauri Shankar S/o Shri Bala Bux | 20-1-70 |
| 8. | Shri Fakir Mohd. S/o Shri Mohd. Khan | 5-2-70 |
| 9. | Shri Roop Narain S/o Shri Bhouri Lal | 21-9-70 |
| 10. | Shri Kalyan S/o Shri Manphool | 12-6-70 |
| | | *During 70-71 (upto 15-3-71)* |
| 1. | Shri Kaloo S/o Shri Narain | 23-5-70 |
| 2. | Shri Gopal S/o Shri Ram Pal | 23-5-70 |
| 3. | Shri Suraj S/o Shri Anand Ram | 23-5-70 |
| 4. | Shrimati Sita Devi W/o Jagdish Prasad | 28-11-70 |
| 5. | Shri Moti Ram S/o Shri Nanag Ram | 25-11-70 |
| 6. | Shri Lalu S/o Shri Nathu Madan Lal | 25-11-70 |
| 7. | Shri Dhonkal S/o Shri Mangi Lal | 25-11-70 |
| 8. | Shri Moti Lal S/o Shri Udai Lal | 1-2-70 |
| 9. | Shri Birdha S/o Shri Rooda | 25-11-70 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 10. | Shri Ranjun Khan S/o Shri Chand Khan | 16-11-70 |
| 11. | Shri Samwla S/o Shri Rampratap | 13-11-70 |
| 12. | Shri Noor Khan Chotu Khan S/o Mhtab Khan | 13-11-70 |
| 13. | Shri Fakir Khan Neer Khan S/o Rehman Khan | 28-11-70 |
| 14. | Shri Alladin Khan S/o Shri Hussain Khan | 28-11-70 |
| 15. | Shri Madari Khan S/o Shri Husain Khan | 28-11-70 |
| 16. | Shri Ramu S/o Shri Kalyan | 28-11-70 |
| 17. | Shri Deva S/o Shri Mangoo | 28-11-70 |
| 18. | Shri Ladhu Ram | 23-12-70 |
| 19. | Shri Mohan Lal S/o Shri Kana Ram | 23-12-70 |
| 20. | Shri Panchu S/o Shri Mangla | 23-12-70 |
| 21. | Shri Heera Sarwan Nangia | 24-2-70 |
| 22. | Shri Heera Sarwan Nangia | 24-2-71 |
| 23. | Shri Bhowri Lal S/o Teja Ram | 24-2-71 |
| 24. | Shri Chouti Kalyan Mali S/o Khasi Mali | 24-2-71 |
| 25. | Shri Keshra S/o Shri Mahadev Mali | 17-2-71 |
| 26. | Shri Sonia S/o Shri Chandmal Mali | 18-2-71 |
| 27. | Shri Shankar S/o Shri Mohan | 18-2-71 |
| 28. | Shri Pratap Molia Mali | 18-2-71 |
| 29. | Shri Nand Lal S/o Shri Bhola Prasad | 9-12-70 |
| 30. | Shri Gopal Lal S/o Shri Chand Behari Mathur | 22-1-71 |
| (2) | BARKHERA | *Upto March, 1969* |
| | NIL | |
| | | *During 1969-70* |
| 1. | Shri Mahadeo Chouth S/o Shri Harichanda | 20-12-69 |
| 2. | Shri Girdhari S/o Shri Chetar | 20-1-70 |
| 3. | Shri Ram Chander S/o Shri Narain | 20-1-70 |
| | | *During 70-71 (Upto 15-3-71)* |
| 1. | Shri Suwalal S/o Shri Chaju | 23-2-71 |
| (3) | CHANDLAI | *Upto March, 1969* |
| 1. | Shri Gopal Kalyan S/o Shri Jawahar | 3-3-69 |
| | | *During 1969-70* |
| 1. | Shri Lokh Bharati | 28-8-69 |
| 2. | Shri Kalyan Rampal | 28-8-69 |
| 3. | Shri Jagan Nath Mangi Lal | 30-12-69 |
| | | *During 70-71 (Upto 15-3-71)* |
| | NIL | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| (4) | SHIVEDASPURA | *Upto March, 1969* |
| 1. | Shri Tara Chand Jain | 27-12-67 |
| 2. | Shri Ram Pratap S/o Shri Bhowri Lal | 19-10-68 |
| 3. | Shri Ganpat Lal S/o Shri Nathu Lal | 4-11-68 |
| | | *During 1969-70* |
| 1. | Shri Kalyan S/o Shri Sukh Dev | 12-9-69 |
| 2. | Shri Kanhiya Lal Ram Narain | 12-9-69 |
| 3. | Shri Ram Narain Ghasi | 12-9-69 |
| 4. | Shri Kalyan Panchu S/o Shri Narain | 16-1-70 |
| | | *During 70-71 (upto 15-3-71)* |
| 1. | Shri Kalyan Ladhu Ram S/o Ganesh | 4-6-70 |
| 2. | Shri Kanhiyalal S/o Shri Ghujarmal | 4-6-70 |
| (5) | BARA PADAMPURA | *Upto March, 1969* |
| 1. | Secretary, Digambar Jain Mandir | 12-9-68 |
| 2. | —do— | 31-3-69 |
| 3. | Shri Prem Narain S/o Shri Ram Sahai | 23-1-68 |
| | | *During 1969-70* |
| | NIL | *During 70-71 (upto 15-3-71)* |
| | NIL | |
| (6) | MANIPUR DUNGRI | *Upto March, 1969* |
| 1. | Shri Shyam Lal Satya Narain S/o Shri Gulab Chand | 13-9-68 |
| | | *During 1969-70* |
| 1. | Shri Mahadev S/o Shri Latchu | 25-10-69 |
| 2. | Shri Bhowria S/o Balu | 25-10-69 |
| 3. | Shri Ghasi Lal S/o Shri Deva | 25-10-69 |
| 4. | Shri Mangi Lal S/o Shri Gopal | 25-10-69 |
| 5. | Shri Kalu Chotu S/o Shri Jeevan | 21-2-70 |
| | | *During 70-71 (Up to 15-3-71)* |
| | NIL | |
| (7) | SUEEL-KI-DUNGRI | *Upto March, 1969* |
| | NIL | |
| | | *During 1969-70* |
| 1. | Shri Govind Narain S/o Shri Bhowri Lal | 20-11-69 |
| 2. | Shri Puja S/o Shri Bhawana | 20-10-70 |
| 3. | Shri Ram Narain S/o Moliya | 22-10-70 |
| 4. | Shri Bhagwan Sahai Radhe | 22-10-70 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. | Shri Madan Lal Ghasi Lal | 22-10-70 |
| 6. | Shri Ram Pal S/o Shri Ganesh | 22-10-70 |
| | | *During 70-71 (Upto 15-3-71)* |
| 1. | Shri Suja S/o Shri Bhawana | 22-10-70 |
| 2. | Shri Ram Narain S/o Shri Muliya | 22-10-70 |
| 3. | Shri Bhagawan Sahai Radha Mohan | 22-10-70 |
| 4. | Shri Madan Lal Ghasi Lal | 22-10-70 |
| 5. | Shri Ram Pal S/o Shri Ganesh | 22-10-70 |
| 6. | Shri Mohan Lal S/o Shri Pokhar Lal | 23-12-70 |
| (8) | TEHSIL PHAGI | |
| | (Basti Jogiyan) | |
| | | *Upto March, 1969* |
| | NIL | |
| | | *During 1969-70* |
| | NIL | |
| | | *During 70-71 (Upto 15-3-71)* |
| 1. | Shri Ranjeeta S/o Shri Salga | 9-?-71 |

## परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न सं० 43 की सूची)

## APPENDIX 'A'

## RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

Statement showing the number of localities electrified upto January 1971, and their percentage.

| S. No. | District | Total No. of villages in the district | No of localities electrified upto 31-1-71 | % age of electrified localities |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ajmer | 950 | 126 | 13.2 |
| 2. | Alwar | 1853 | 194 | 10.5 |
| 3. | Banswara | 1426 | 67 | 4.7 |
| 4. | Barmer | 822 | 30 | 3.6 |
| 5. | Bharatpur | 1838 | 114 | 6.2 |
| 6. | Bhilwara | 1500 | 115 | 7.7 |
| 7. | Bikaner | 525 | 59 | 11.2 |
| 8. | Bundi | 718 | 46 | 6.4 |
| 9. | Chittorgarh | 2025 | 136 | 6.2 |
| 10. | Churu | 843 | 105 | 12.5 |
| 11. | Doongarpur | 816 | 44 | 5.4 |
| 12. | Jaipur | 2694 | 428 | 15.8 |
| 13. | Jaisalmer | 485 | 3 | 0.6 |
| 14. | Jhunjhunu | 693 | 152 | 21.9 |
| 15. | Jalore | 591 | 56 | 9.6 |
| 16. | Jhalawar | 1423 | 136 | 9.6 |
| 17. | Jodhpur | 716 | 95 | 13.3 |
| 18. | Kota | 1860 | 115 | 6.2 |
| 19. | Nagaur | 1199 | 118 | 9.8 |
| 20. | Pali | 826 | 120 | 14.5 |
| 21. | S. Madhopur | 1524 | 95 | 6.2 |
| 22. | Sikar | 798 | 100 | 12.5 |
| 23. | Sirohi | 417 | 45 | 10.8 |
| 24. | Sri Ganganagar | 1538 | 129 | 8.4 |
| 25. | Tonk | 1002 | 75 | 7.5 |
| 26. | Udaipur | 3159 | 159 | 5.0 |
| | Total .. | 32241 | 2862 | 8.9 |

## परिशिष्ट 7

( अ० प्र० सं० 47 की सूची )

### सन् 71-72 की चित्तौड़गढ़ जिले की प्रस्तावित सिंचाई योजनाएं

मध्यम श्रेणी सिंचाई योजनाएं:

(1) बेड़च बड़गांव

लघु सिंचाई योजनाएं:

(1) भोपाल सागर फीडर
(2) सादी
(3) मुरलिया
(4) कंकरिया
(5) अरनिया
(6) दोराई
(7) ऊचकिया
(8) मेवदा
(9) परसोली

## परिशिष्ट 8

( अ० प्र० सं० 48 की सूची )

### सूची तहसीलवार अवशेष बकाये की

| क्रम संख्या | नाम तहसील | अभिकरण वाईज बकाया राशि | |
|---|---|---|---|
| | | सार्वजनिक निर्माण | सिंचाई विभाग |
| 1. | तहसील टोंक | 11,405 | 2,392 |
| 2. | तहसील निवाई | 1,196 | 360 |
| 3. | तहसील अलीगढ़ | 9,102 | 360.75 |
| 4. | तहसील देवली | 4,919 | 200 |
| 5. | तहसील मालपुरा | 3,492 | 3,132 |
| 6. | तहसील टोड़ारायसिंह | 5,213 | 574 |

## परिशिष्ट 9

( अ० प्र० सं० 49 की सूची )

पंचायत समिति केशवरायपाटन (जिला बूंदी) के अधीनस्थ चल रही प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापक व छात्रों की संख्या का विवरण

| क्र० सं० | नाम पाठशाला | अध्यापक संख्या | छात्र संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | कोटा खुर्द | 2 | 60 |
| 2 | कन्या बड़ा खेड़ा | 1 | 22 |
| 3 | रामगंज | 1 | 31 |
| 4 | करोरिया | 1 | 15 |
| 5 | डगारिया | 2 | 72 |
| 6 | पापड़ी | 2 | 59 |
| 7 | खारपुरा | 3 | 96 |
| 8 | चमावली | 2 | 67 |
| 9 | माखीदा | 1 | 25 |
| 10 | बसवाड़ा | 1 | 24 |
| 11 | गरमपुरा | 7 | 137 |
| 12 | मांडगुवार | 1 | 31 |
| 13 | गुहाटा | 3 | 12 |
| 14 | चहिवा | 2 | 61 |
| 15 | खरायता | 1 | 20 |
| 16 | खेड़ली देवजी | 1 | 13 |
| 17 | बहड़ावली | 1 | 14 |
| 18 | स्टेशन लाखेरी | 6 | 160 |
| 19 | कन्या झाली जी का बराना | 1 | 30 |
| 20 | स्टेशन काप्रेण | 1 | 38 |
| 21 | हाडिया खेड़ा | 1 | 35 |
| 22 | बालोद | 2 | 85 |
| 23 | बलकासा | 2 | 62 |
| 24 | कन्या रोटेदा | 1 | 33 |
| 25 | कन्या अरनेठा | 3 | 48 |
| 26 | बामडली | 1 | 27 |
| 27 | कंवरपुरा | 1 | 22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 28 | चरडाना | 3 | 82 |
| 29 | मिन्डी | 1 | 29 |
| 30 | चाड़गांव | 2 | 69 |
| 31 | नया गांव | 1 | 24 |
| 32 | डोलरा | 2 | 66 |
| 33 | चीतरा खेड़ा | 2 | 73 |
| 34 | कारेण | 10 | 309 |
| 35 | आजन्दा | 2 | 57 |
| 36 | श्रयीपुरा | 1 | 28 |
| 37 | अडीला | 3 | 90 |
| 38 | देइ खेड़ा | 3 | 111 |
| 39 | हिगोनीया | 2 | 55 |
| 40 | बोरदामाल | 1 | 28 |
| 41 | घरावन | 1 | 21 |
| 42 | पीपळदा खरड़ा | 1 | 31 |
| 43 | कोटड़ी | 1 | 28 |
| 44 | नोताड़ा | 3 | 85 |
| 45 | मालिकपुरा | 1 | 18 |
| 46 | बाळापुरा | 2 | 50 |
| 47 | करवाला की मो० | 1 | 25 |
| 48 | बून्दी रोड़ | 1 | 36 |
| 49 | लाखेरी खुर्द | 1 | 31 |
| 50 | रंगराजपुरा | 1 | 26 |
| 51 | नीमोडा | 1 | 40 |
| 52 | बुडिया | 1 | 23 |
| 53 | बीरज | 1 | 36 |
| 54 | छरकवाड़ा | 1 | 21 |
| 55 | कोडोजा | 2 | 61 |
| 56 | काली तलाई | 1 | 46 |
| 57 | माधोराजपुरा | 2 | 54 |
| 58 | बालीयों | 1 | 16 |
| 59 | जालोदा | 3 | 75 |
| 60 | रेडी | 3 | 108 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 61 | सारसला | 3 | 65 |
| 62 | लेसरदा | 3 | 81 |
| 63 | करवाला | 3 | 93 |
| 64 | इन्द्रपुरिया | 1 | 32 |
| 65 | ईश्वर नगर | 3 | 100 |
| 66 | मायजा | 2 | 59 |
| 67 | प्रतापगढ़ | 1 | 19 |
| 68 | हस्तनापुर | 1 | 21 |
| 69 | लबान | 4 | 135 |
| 70 | काकरामेज | 1 | 22 |
| 71 | गुडली | 2 | 52 |
| 72 | मसदपुरिया | 1 | 20 |
| 73 | मैनोली | 1 | 26 |
| 74 | कोडवया बालाजी | 1 | 24 |
| 75 | गोठड़ा | 1 | 23 |
| 76 | जगन्नाथपुरा | 2 | 48 |
| 77 | फोलाई | 2 | 72 |
| 78 | कन्या जैथल | 1 | 20 |
| 79 | कन्यन मिथा | 1 | 22 |
| 80 | सूनगर | 2 | 102 |
| 81 | नीमोदा | 2 | 51 |
| 82 | पटोल्या | 1 | 22 |
| 83 | देवली डीकोली | 1 | 36 |
| 84 | अनन्तपुरा | 1 | 34 |
| 85 | खेडीया दुर्जज | 1 | 20 |
| 86 | पादड़ा | 1 | 29 |
| 87 | रंगपुरिया | 1 | 30 |
| 88 | कोड़ल्या आजन्दा | 1 | 33 |
| 89 | झुवासा | 1 | 23 |
| 90 | कन्याघाट का बराणा | 1 | 30 |
| 91 | छोड़ेदा | 1 | 15 |

# परिशिष्ट 10

(अ० प्र० सं० 50 की सूची)

## पंचायत समिति झोटवाड़ा के अधीन चल रही नल योजना के सम्बन्ध में की गई शिकायतों का विवरण

| क्रम संख्या | नाम ग्राम | शिकायत कर्ता का नाम व शिकायत का विवरण | शिकायत का दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | झोटवाड़ा | श्री भंवरलाल पुत्र श्री कालूराम राशि जमा न कराने की स्थिति में | 20-8-69 |
| 2 | ,, | श्री भीमाराम पुत्र श्री अमराराम पानी न आना | 18-12-69 |
| 3 | ,, | श्री सोदान पुत्र श्री कल्याण पानी न आना | 9-1-70 |
| 4 | ,, | श्री गोपाल लाल पुत्र श्री सूरजी पानी न आना | 12-1-70 |
| 5 | ,, | श्री राम सहाय पुत्र श्री ग्यारसी लाल पानी न आना | 21-7-70 |
| 6 | ,, | श्री हरिनारायण पुत्र श्री घासीलाल किरायेदार न होना | 21-12-70 |
| 7 | ,, | श्री सूरजनारायण पानी न आना | 16-1-71 |
| 8 | ,, | श्री आनन्दी लाल पुत्र श्री कल्याण पानी न आना | 19-1-71 |
| 9 | ,, | श्री सूरजनारायण पुत्र श्री देवी सहाय पानी न आना | 12-2-71 |
| 10 | ,, | श्री भागीरथ पानी न आना | 19-2-71 |
| 11 | ,, | श्री राम गोपाल पुत्र श्री जय किशन पानी न आना | 25-2-71 |
| 12 | ,, | श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री हरस्वरूप सिंह पानी न आना | 4-3-71 |

## पंचायत समिति, झोटवाड़ा द्वारा संचालित नल योजना के अन्तर्गत वर्ष 1967 से 1969 तक हुई आय-व्यय का विवरण

| नाम ग्राम | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 रामपुरा रूपा | 1967 | 2313.75 | 1922.15 |
| ,, | 1968 | 3023.20 | 1661.25 |
| ,, | 1969 | 6161.00 | 2078.75 |
| 2 झोटवाड़ा | 1967 | 7860.92 | 6730.00 |
| ,, | 1968 | 4691.00 | 7680.91 |
| ,, | 1969 | 7860 92 | 5003·09 |

## शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 22 मार्च, 1971)

| स्तम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | अन्तिम से 2 | इा | इसी |
| 2 | 1 | भू पूर्व | भूतपूर्व |
| 2 | 3 | कम्पाउडर | कम्पाउन्डर |
| 2 | 11 | ना | बना |
| 4 | 6 | ताने | बताने |
| 6 | 1 | आ के | आपके |
| 6 | 8 | …क…ह | तक वह |
| 6 | 11 | ार | चार |
| 6 | 16 | य स्था | व्यवस्था |
| 6 | 17 | आ श्यकता | आवश्यकता |
| 6 | 18 | डिपार्ट न्ट | डिपार्टमेन्ट |
| 7 | अन्तिम से 3 | लें ो | लेंगे |
| 8 | 8 | रम्मत | मरम्मत |
| 8 | 13 | माण्ड | कमाण्ड |
| 9 | 9 | केशोरायपा न | केशोरायपाटन |
| 11 | 8 | नि यों | नदियों |
| 13 | 6 | शा ा | शाला |
| 16 | अन्तिम से 12 | एसा | ऐसा |
| 16 | अन्तिम से 7 | पंचयत | पंचायत |
| 19 | अन्तिम से 15 | परच गेज | परणजेज |
| 19 | अन्तिम से 14 | परचजेज | परणजेज |
| 19 | अन्तिम से 13 | म | में |
| 24 | 1 | डिग्गि ों | डिग्गियों |
| 24 | 6 | म | में |
| 24 | 10 | कार्य ाही | कार्यवाही |
| 24 | अन्तिम से 6 | का ों | कार्यों |

| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | अन्तिम से | 4 | जरिय | जरिये |
| 27 | अन्तिम से | 4 | मैंन | मैंने |
| 27 | अन्तिम से | 2 | प्राथना-पत्र | प्रार्थना-पत्र |
| 28 | | 1 | प्रार्थन-पत्र | प्रार्थना-पत्र |
| 29 | | 2 | देंग | देंगे |
| 92 | अन्तिम | | का | की |
| 30 | अन्तिम से | 6 | स तें | सकतें |
| 31 | अन्तिभ से | 4 | न | ने |
| 32 | अन्तिम से | 10 | हजारा | हजार |
| 39 | अन्तिम से | 14 | विघत | विद्युत् |
| 40 | अन्तिम से | 6 | दो | दी |
| 41 | अन्तिम से | 16 | विद्युत | विद्यत् |
| 42 | | 6 | फलचन्द | फूलचन्द |
| 42 | | 11 | होत वल | होता, केवल |
| 44 | | 6 | मांग | मांगें |
| 44 | | 7 | आय | आये |
| 44 | अन्तिम से | 12 | न | ने |
| 47 | अन्तिम से | 2 | म | में |
| 50 | | 4 | ि चार | विचार |
| 50 | | 4 | जता | जाता |
| 53 | | 2 | ( | , |
| 56 | | 12 | कस ों | कस्बों |
| 56 | | 15 | म | में |
| 56 | अन्तिम से | 3 | म | में |
| 68 | | 13 | टैंक | टोंक |
| 74 | अन्तिम से | 3 | जनकारी | जानकारी |
| 76 | अन्तिम | | वक | बैंक |
| 79 | अन्तिम से | 8 | आपन | आपने |
| 81 | अन्तिम से | 9 | क | का |
| 81 | अन्तिम से | 7 | सकार | सरकार |
| 82 | | 9 | म | मैं |
| 86 | | 9 | स य | समय |
| 91 | अन्तिम | | ाया | गया |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 93 | अन्तिम से 7 | हीं | नहीं |
| 94 | 2 | यह | कह |
| 97 | 12 | माच | मार्च |
| 98 | 16 | obiection | objection |
| 98 | अन्तिम से 17 | numbcr | number |
| 99 | अन्तिम से 16 | म | में |
| 100 | 10 | द | दें |
| 100 | अन्तिम से 16 | orde | order |
| 100 | अन्तिम से 10 | महेदय | महोदय |
| 103 | अन्तिम से 10 | करों | करने |
| 103 | अन्तिम से 6 | सहागता | सहायता |
| 105 | 12 | संदम | संदर्भ |
| 107 | 1 | म | में |
| 107 | 2 | न | इन |
| 108 | 1 | दिय | दिये |
| 108 | 7 | इनफामशन | इन्फोर्मेशन |
| 109 | 14 | प्रस्वाव | प्रस्ताव |
| 109 | 14 | व्ववस्था | व्यवस्था |
| 110 | 7 | प्र:वाव | प्रस्ताव |
| 111 | अन्तिम से 6 | म | में |
| 114 | 7 | होदय | महोदय |
| 114 | अन्तिम से 9 | सझता | समझता |
| 116 | 8 | फसला | फैसला |
| 118 | अन्तिम | आय | आये |
| 119 | 4 | ाह | वह |
| 119 | 7 | अन्त ाि | अन्तर्गत |
| 119 | 7 | आ को | आपको |
| 120 | अन्तिम से 3 | न | ने |
| 120 | अन्तिम से 3 | खद | खुद |
| 123 | अन्तिम से 9 | आवश्यक्ता | आवश्यकता |
| 124 | 9 | कसी | कैसी |
| 133 | अन्तिम | दे ी | दे दी |

4

| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 135 | | 13 | म | में |
| 139 | | 2 | में | में |
| 140 | अन्तिम से | 14 | नताओं | नेताओं |
| 140 | अन्तिम से | 2 | करन | करने |
| 143 | | 8 | समने | सामने |
| 144 | | 13 | बठक | बैठक |
| 152 | अन्तिम से | 8 | उसके | उससे |
| 152 | अन्तिम से | 7 | न | ने |
| 164 | अन्तिम से | 2 | म | में |
| 155 | अन्तिम से | 5 | बनान | बनाने |
| 156 | | 1. | फर्टीलाजर | फर्टीलाइजर |
| 166 | | 9 | म | में |
| 167 | | 9 | म | में |
| 168 | अन्तिम | | म | में |
| 171 | अन्तिम से | 16 | मथुरादासदास माथुर | मथुरादास माथुर |
| 173 | अन्तिम से | 2 | रा य | राज्य |
| 174 | अन्तिम से | 19 | ह | हैं |
| 182 | अन्तिम से | 2 | ह | है |
| 199 | | 7 | उ को | उनको |
| 205 | | 3 | Sagwasa | Sagwara |
| 209 | क्रम संख्या | 28 | आ० सी० पी० | आर० सी० पी० |
| 209 | क्रम संख्या | 32 | विकाच विभाग | विकास विभाग |

———